सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया
Central Bank of India
1911 से आपके लिए "केंद्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911

हमारे कृषि उत्पाद

भोपाल अंचल

सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया
Central Bank of India
1911 से आपके लिए "केंद्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911

अनुक्रमणिका

➢ प्रस्तावना	4
➢ भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था	6
➢ भारतीय कृषि का स्वरूप	7
➢ भारत के विकास में कृषि बैंकिंग का महत्व	7
➢ ग्रामीण भारत में बैंकिंग क्षेत्र की भूमिका	13
➢ नॉबार्ड की भूमिका	17
➢ भारत में प्रचलित कृषि ऋण संबंधी योजनायें	28
➢ कृषि बैंकिंग की जरूरत एक दृष्टिकोण	32
➢ सेंट किसान क्रेडिट कार्ड (सीकेसीसी)	36
➢ सेंट किसान गोल्ड कार्ड	37
➢ सेंट डेयरी योजना	39
➢ सेंट पॉली हाउस, ग्रीन हाउस, शेड नेट हाउस योजना	41
➢ सेंट ग्रामीण भंडारण योजना	43
➢ सेंट किसान तत्काल योजना	45
➢ सेंट वर्मीकॉम्पोसट योजना	46
➢ सेंट सोलर वाटर हीटर योजना	48
➢ सेंट सोलर लाइट	49
➢ सेंट एग्री फार्मेहाउस योजना	50
➢ सेंट एग्रीकल्चर लैंड पर्चेज स्कीम	52
➢ सेंट किसान साथी	53
➢ सेंट एसएचजी बैंक लिंकेज योजना	54
➢ सेंट एग्री क्लीनिक एवं एग्रीबिजनेस सेंटर्स	55
➢ वेयरहाउस रसीद की रसीद पर वित्तपोषण की संशोधित योजना	56
➢ सेंट किसान व्हीकल स्कीम	58
➢ सेंट ट्रैक्टर ऋण योजना	60
➢ सेंट सोलर पंपसेट	62
➢ संयुक्त देयता समूहों / सदस्यों को वित्त पोषण	63
➢ संयुक्त देयता समूहों/ सदस्यों को वित्त पोषण	65
➢ सेंट पोल्ट्री	71
➢ सेंट सोलर - प्रधानमंत्री कुसुम योजना	74
➢ सेन्ट सरल व्यवसाय ऋण	76
➢ सेन्ट स्वयं सहायता समूह	78
➢ सेंट सोलर पंपसेट	80

➢ सेंट एसआरएम योजना	82
➢ सेंट विश्वास योजना	84
➢ सेंट पीएमएफएमई योजना	86
➢ दीनदयाल अंत्योदय योजना–एनआरएलएम	88
➢ सेन्ट कम्प्रेसेड बॉयो गैस	92
➢ सेंट कृषि विपणन आधारभूत संरचना योजना	93
➢ सेंट पशुपलन आधारभूत योजना	94
➢ सेंट इस्टेट खरीदी योजना	95
➢ सेंट मत्स्य योजना	96
➢ सेंट फलेक्सी कृषि व्यवसाय ऋण योजना	97
➢ सेंट फूड प्रोसेसिंग प्लस योजना – राईस मिल्स	98
➢ सेन्ट एफपीओ ऋण योजना	99
➢ सेन्ट यूपीआई पंजीकरण हेतु प्रक्रिया	100
➢ उपसंहार	101

:प्रस्तावना:

भारत ग्रामीण समाज प्रधान देश है जहां तीन चौथाई जनसंख्या अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है और उनकी आजीविका का आधार कृषि एवं ग्रामीण कुटीर उद्योग हैं. भारत में ग्रामीण जीवन इसकी मूल विशिष्टिता बन चुका है इसी संदर्भ में महात्मा गांधी का कहना था कि भारत गांवों में बसता है. अतः गांवों का विकास ही सच्चे अर्थो में भारत का विकास होगा न केवल सार्थक हैं बल्कि आधुनिक भारत में निर्माण का प्रमुख केंद्र बिन्दु है. कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदण्ड है. जहां एक ओर यह प्रमुख रोजगार प्रदाता क्षेत्र है. वहीं सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में इसका महत्वपूर्ण योगदान है. देश की लगभग 70 प्रतिशत जनसंख्या अपनी आजीविका हेतु कृषि पर ही निर्भर है. कृषि की सकल घरेलू उत्पादन में भागीदारी लगभग 21 प्रतिशत है.

मध्यप्रदेश में राज्य स्तरिय बैंकर्स समिति का संयोजक बैंक होने के कारण प्रदेश में कृषि उद्योग को बढ़ावा देने के लिए केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं को लागू करने की हमारी जिम्मेदारी और अधिक हो जाती है. बैंकों द्वारा कृषि ऋण बहुत ही किफाईती ब्याज दरों पर उपलब्ध करवाए जा रहे है जिससे किसान अच्छे उपकरण खरीद कर अपनी उपज में वृद्धि कर सके. किसानों की आय बढाने के लिए बैंकों द्वारा विभिन्न कृषि योजनाओं के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है. नाबार्ड एवं पशु पालन विभाग द्वारा भी किसानों की आय दुगनी करने के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से विशेष सहयोग प्रदान किया जा रहा है. केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री फार्मलाइजेशन आफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटेरप्राइजेज़ योजना के माध्यम से फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने के लिए रूपये 10 लाख का अनुदान दिया जाता है. फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर कच्चे माल से प्रोसैस फूड करके जैसे आचार, पापड़, टोमोटो कैचप, चिप्स आदि बनाकर उनकी पैकिंग की जाती है और इस सामान को देश के अलावा विदेशों में भी भेजा जा सकता है. मध्यप्रदेश में उचित भंडारण व्यवस्था न होने के कारण काफी मात्रा में अनाज खराब हो जाता है. सरकार द्वारा एग्रिकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फ़ंड योजना के माध्यम से किसानों को ग्रामीण गोदाम, कोल्ड स्टोरेज एवं वेयर हाउस के लिए ऋण सुविधा दी जाती है जिससे अनाज को बर्बाद होने से बचाया जा सकता है .

आज, भारत खाद्यान्न में आत्मनिर्भर है, हालांकि बढ़ती जनसंख्या की खाद्यान्न जरूरतों को पूरा करने का दबाव भी भारत पर निरंतर बढ़ता जा रहा है. अंर्तराष्ट्रीय पटल पर, विश्व में भारतीय कृषि के लिए, भविष्य में निहितार्थ रखेगा. भारत किस प्रकार इन चुनौतियों से निपटेगा, यह देखा जाना शेष है.

हमारे भोपाल अंचल के राजभाषा अधिकारियों द्वारा कृषि की विभिन्न योजनाओं के बारे में पुस्तक लिखने का अच्छा प्रयास किया गया है. मुझे आशा है कि इस पुस्तक के माध्यम से हमारे किसान भाई बैंक की योजनाओं का लाभ उठा पाएंगे.

(एस डी माहुरकर)
फील्ड महाप्रबंधक
सेंट्रल बैंक आफ इंडिया
आंचलिक कार्यालय भोपाल

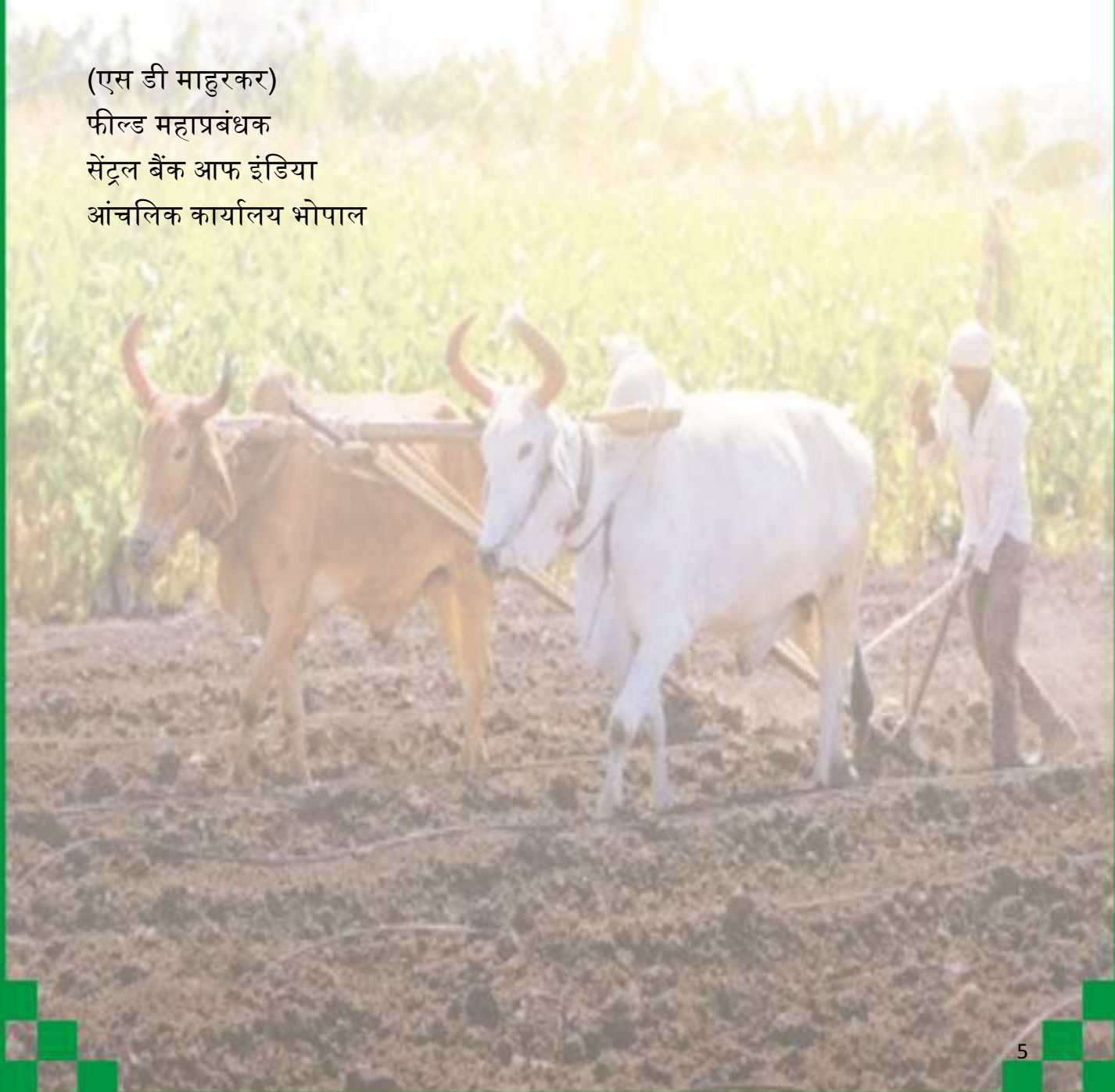

उत्तम खेती मध्यम बान
नीच चाकरी कुक्कर निदान

यह प्रसिद्ध चुटकी सदियों से हमारे बुजुर्ग सुनाते रहे हैं. खेती को सर्वोत्तम कार्य माना गया है जबकि व्यापार व नौकरी को क्रमश: मध्यम व निम्न स्तर का कार्य कहा गया है. सदियों से चली आयी ये भारतीय अवधारणा आज बिल्कुल उलटी हो गई है. अगर इस कहावत को सही परिप्रेक्ष्य में हम समझ पाए तो यकीनन देश की अनेक समस्याओं का हल चुटकियों में सुलझ जाएगा.

भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था

भारत कृषि प्रधान देश है. यह तथ्य भारत को विकासशील देशों में शामिल करता है. विकसित राष्ट्रों में सकल घरेलू उत्पाद में कृषि की भागीदारी का प्रतिशत कम होता है. वहां की अपेक्षाकृत कम जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न होती है.

कृषि के माध्यम से खाद्यान्न तो उपलब्ध होता ही है, साथ ही अनेक प्रमुख उद्योगों के लिए कच्चा माल भी उपलब्ध होता है (सूती वस्त्र उद्योग, जूट उद्योग, चीनी उद्योग, चाय उद्योग, सिगरेट उद्योग और तम्बाकू उद्योग, आदि). भारत में कृषि राष्ट्रीय आय का एक प्रधान स्रोत है. कृषिजन्य उत्पाद व्यापार (राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय) का एक अभिन्न एवं प्रमुख हिस्सा है. भारत द्वारा चाय, कपास, तिलहन, मसाला, तम्बाकू आदि का विश्व-व्यापार होता है. कृषिजन्य उत्पादों के आंतरिक व्यापार से परिवहन कर और अंतरराष्ट्रीय व्यापार से तटकर की आय में वृद्धि होती है, जो अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के लिए नितांत आवश्यक है.

कृषि संपूर्ण राष्ट्र को प्रभावित करती है. कृषि-उत्पादन मुद्रास्फीति दर पर अंकुश रखता है, उद्योगों की शक्ति प्रदान करता है, कृषक आय में वृद्धि करता है तथा रोजगार प्रदान करता है. कृषि का आर्थिक महत्व के साथ-साथ सामाजिक महत्व भी है. यह क्षेत्र निर्धनता उन्मूलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है क्योंकि इस क्षेत्र में अधिकांश निर्धन लोग ही कार्यरत हैं और यदि कृषि क्षेत्र का विकास होगा तो निर्धनता भी स्वतः समाप्त हो जायेगी.

भारतीय कृषि का स्वरूप

स्वतंत्रता प्राप्ति के दशकों बाद कृषि का उत्पादन कई गुणा बढ़ चुका है. किंतु भारतीय कृषि में व्याप्त कुछ कारक इसके संतुलित विकास व वृद्धि में अवरोधक हैं.

अभी भी भारत में प्रतिहेक्टेयर भूमि में उत्पादन का स्तर बहुत ही न्यून है. कृषि के विकास के लिए नयी तकनीक, मशीनरी तथा नव-विकसित बीजों को अपनाकर यदि कृषि के क्षेत्र में कदम बढ़ाया जाए, तो हम विश्व के प्रमुख देशों के उत्पादन-स्तर से अधिक हासिल कर सकते हैं. कृषि को उद्योग का दर्जा देना नितांत आवश्यक है. भारत में अधिकांश कृषि क्षेत्र अल्प-वर्षा वाले हैं और वहां सिंचाई की सुविधा भी बहुत ही सीमित है. बहुत-से क्षेत्र बाढ़ और सूखा जैसी प्राकृतिक आपदा से त्रस्त हैं. यहां मिट्टी का वितरण भी विभिन्न क्षेत्रों में असमान ही है, इसलिए विभिन्न प्रकार की फसलें उत्पादित होती हैं.

हमारे कृषक आज भी निरंतर कृषि की परम्परागत तकनीक का इस्तेमाल करते हैं और अधिकतर निर्वाह कृषि ही करते हैं. वित्तीय बाधाएं लघु एवं सीमांत कृषकों को उत्पादकता एवं उत्पादन में वृद्धि करने हेतु खेती की आधुनिक पद्धति को अपनाने से रोकती है. भारतीय कृषि अभी भी व्यापक रूप से सिंचाई हेतु मानसून पर निर्भर करती है. लगभग 60 से 70 प्रतिशत विशुद्ध बुवाई क्षेत्र निरंतर सिंचाई की अपेक्षा वर्षा के जल पर निर्भर रहता है. खस्ताहाल विपणन एवं भण्डारण व्यवस्था भी भारतीय कृषि की समस्याओं का बखान करती हैं.

भारत के विकास में कृषि बैंकिंग का महत्व

भारतीय बैंकिंग प्रणाली में बैंकों का राष्ट्रीयकरण एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना भारतवर्ष के कृषकों एवं पिछड़े वर्ग के लोगों के जीवन में क्रांतिकारी घटना मानी जा सकती है क्योंकि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना के पीछे मूल उद्देश्य यही है कि छोटे तथा मझोले स्तर के किसानों, भूमिहीन मजदूरों आदि को आसानी से बैंकिंग सेवाओं एवं सुविधाओं का लाभ पहुंचाया जाए तथा उन्हें युग-युग से चले आ रहे साहूकारों की जंजीरों से मुक्ति दिलाकर उनके अपने गौरव को पुनरूज्जीवित करनें की सहायता प्रदान की जाए. इन बैंकों की स्थापना क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के अध्यादेश 1975 अंतर्गत किए जाने का निर्धारण किया गया और स्थानीय जरूर दृष्टिगत रखकर सभी अनुसूचित बैंकों को इस प्रकार की क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको की स्थापना के लिए अनुदेश जारी किए गए हैं. इन अनुदेशों के अनुसार सभी वाणिज्यिक बैंकों ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की है और निरंतर ये बैंक स्थापित किए जा रहे हैं और इस प्रकार की महत्वाकांक्षी योजना तैयार की गई है कि इनका विकास ऐसे

क्षेत्रों में विशेष रूप से किया जाएगा जहां पर वाणिज्यिक बैंकों तथा सहकारी बैंकों की सेवाओं एवं सुविधाओं का विकास नहीं हो सका है. इस प्रकार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा उनके लक्ष्य की पूर्ति करने की दिशा में निरंतर प्रयास जारी है और इनकी सेवाओ तथा सुविधाओं का लाभ उचित जरूरतमंद व्यक्तियों तक पहुंच रहा है, यही क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लोकप्रिय होने की पावती मानी जा सकती है.

भारतीय बैंकिग प्रणाली में वाणिज्यिक बैंकों की अपनी अलग पहचान होने के साथ ही उनका महत्व विशेष माना जा सकता है. बैंकिंग प्रणाली की 'रीढ़' की हड्डी इसको कहा जा सकता है. ये बैंक अपने पूर्ण अंश पत्रों के विक्रय, जनता से प्राप्त जमा सुरक्षित कोष, अन्य बैंकों तथा केन्द्रीय बैंक से ऋण लेकर प्राप्त करते हैं और सरकारी प्रतिभूतियों, विनिमय पत्रों, बाड़ों, तैयार माल अथवा अन्य प्रकार की तरल या चल सम्पत्ति की जमानत पर ऋण प्रदान करते हैं. भारतीय रिजर्व बैंक का इन पर नियंत्रण रहता है. राष्ट्रीयकरण से पूर्व इनका उद्देश्य तथा बैंकिग प्रणाली थोड़ी भिन्न प्रकार की थी किन्तु प्रमुख बैंकों के राष्ट्रीयकरण के साथ ही इनकी कार्य प्रणाली तथा अंतर्गत परिचालन की दशा एव दिशा में आमूलाग्र परिवर्तन हुए हैं. इस परिवर्तन के पीछे बैंकों के राष्ट्रीयकरण का मूल उद्देश्य निहित है. अत: भारतीय बैंकिंग व्यवस्था के प्रमुख वाणिज्यिक बैंको के राष्ट्रीयकरण की घटना युगप्रवर्तक मानी जा सकती है. बैंक राष्ट्रीयकरण के साथ ही भारतवर्ष की सामाजिक तथा आर्थिक विकास की दिशा उन्नत करने वाले एक नए पर्व की शुरूआत हुई है. 19 जुलाई 1969 को देश के ५० करोड़ रुपये से अधिक जमा राशि वाले प्रमुख चौदह अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के राष्ट्रीयकरण के साथ ही इस नए विकास पर्व का श्रीगणेश हुआ. इसी के साथ ही भारतीय बैंकिंग प्रणाली मात्र लेन-देन, जमा या ऋण के माध्यम से केवल लाभ अर्जित करने वाला उद्योग ही न रहकर भारतीय समाज के गरीब, दलित तबकों के सामाजिक एवं आर्थिक पुनरुत्थान और आर्थिक रूप में उन्हें ऊंचा उठाने का एक सशक्त माध्यम बन गया. बैंक राष्ट्रीयकरण की सूत्रधार सौदामिनी श्रीमती इंदिरा गांधी को पूरा यकीन था कि यह बैंकिंग उद्योग राष्ट्र के सर्वागीण विकास एवं पुनरुत्थान की दिशा में तेजी लायेगा. बैंकों के राष्ट्रीयकरण के ऐतिहासिक पर्व की शुरूआत करते समय कहा गया था कि "बैंकिंग प्रणाली जैसी संस्था, जो हजारों-लाखों लोगों तक पहुंचती है और जिसे लाखों लोगों तक पहुंचाना चाहिए, के पीछे आवश्यक रूप से कोई बड़ा सामाजिक उद्देश्य होना चाहिए जिससे वह प्रेरित हो और इन क्षेत्रों को चाहिए कि वह राष्ट्रीय प्राथमिकताओं तथा उद्देश्यों को पूरा करने में अपना योगदान दें. "

भारत की लगभग अस्सी प्रतिशत जनता ग्रामवासिनी है. यदि देश की ग्रामीण जनता के विकास पर कोई ध्यान नहीं दिया जाएगा तो बीस प्रतिशत शहरी लोगों की उन्नति के बल पर राष्ट्रीय उन्नति के स्वप्न देखना बेईमानी हैं. कई शताब्दियों से ग्राम निवासी भूख, रोग, अज्ञानता और शोषण से पीड़ित है. स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद गाँववासियों की

अवस्था में सुधार के कई प्रयास किए गए है, लेकिन अभी बहुत कुछ कमियाँ हैं, जिसका सामना हमें करना हैं. गाँवों में सुधार की गति में तीव्रता लाने की आवश्यकता है, ताकि वे भी शहरों के समान विकास के आयामों को छू सके और हम अपने सपनों के भारत की ओर उन्मुख हो सकें.

1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण भारतीय अर्थव्यवस्था के इतिहास की महत्वपूर्ण घटना है. इससे पहले ग्रामीण क्षेत्र हमारी अर्थव्यवस्था का पूर्णत: उपेक्षित हिस्सा था. गाँवों में आय का मुख्य साधन कृषि है. हमारी राष्ट्रीय आय का लगभग पचास प्रतिशत का योगदान ग्रामीण और अर्द्धग्रामीण इलाकों से प्राप्त होता है. कृषि पर आधारित उद्योग भी कृषि के उत्पादन पर निर्भर होती है. यह क्षेत्र पिछड़ा और शोषित है. इसके विकास पर ही हमारी सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था का विकास निर्भर करता है. भारतीय अर्थव्यवस्था द्विआयामी है. इसके दो मुख्य क्षेत्र शहरी और ग्रामीण है. दोनों में कोई संबंध नहीं है. ग्रामीण इलाकों में सहकारी ऋणों की सुविधा नही है. गांव वाले महाजन से कर्ज लेते हैं, जो भोले-भाले लोगों से अधिक ब्याज लेकर उनका शोषण करते हैं. किसी वित्तीय संस्था से उनका संबंध नहीं होता है. भारतीय रिजर्व बैंक की आर्थिक नीति का प्रभाव साहूकारों पर नहीं पड़ा है. इस प्रकार भारतीय अर्थव्यवस्था के दोनों क्षेत्रों की विशेषताएँ अलग-अलग हैं, जिनका आपस में सामंजस्य नहीं के बराबर है.

बैकिंग प्रणाली को देश के अंदर तक प्रसारित करने के लिए ग्रामीणों को आसान और सरल किश्तों पर ऋण की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही है. इससे कृषि और ग्रामीण उद्योगों को प्रोत्साहन मिला है. इससे हरित क्रांति को भी बढ़ावा मिला है. कृषि उत्पादों में वृद्धि होने से राष्ट्र के विकास को सहयोग प्राप्त हुआ है. कृषि उत्पादन में अवरोध से औद्योगिक विकास को हानि पहुँचती है, जबकि कृषि उत्पादन में विकास से राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है. ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक सेवा बचत में वृद्धि के लिए उपयोगी है, उस बचत का प्रयोग उत्पादकीय कार्यो में किया जा सकता है. वर्तमान समय में गांवों में बहुत कम बचत होती है, और उसे भी दबाकर रखने या सोना खरीदने में लगा दिया जाता है. कुछ व्यक्ति उसका व्यय सामाजिक रीति-रिवाजों के पालन में कर देते हैं. ग्रामीण बैंकों को छोटी-छोटी बचतों को जमा करने की सुविधा प्रदान करनी चाहिए. इस बात का प्रबंध भी किया जाना चाहिए ताकि किसान ऋण का भुगतान कृषि उत्पादों के रूप में कर सकें. बैंकों को प्राकृतिक आपदाओं के दौरान ग्रामीणों को सहायतार्थ ऋण की सुविधाएं देनी चाहिए.

गाँवों की स्थिति में सुधार के लिए बैंकों को गाँव में कार्यरत स्थानीय संस्थाओं की सहायता करनी चाहिए. उन्हें सड़क, दीवार, कुओं के निर्माण और शिक्षा-संस्थाओं की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करनी चाहिए. बैंक गांवों में घरों के निर्माण का जिम्मा भी उठा सकते हैं और उसकी भरपाई किश्तों द्वारा ली जा सकती है. फसलों के बीमे की सुविधा उपलब्ध कराई जानी चाहिए ताकि प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, सूखा,

महामारी की चपेट में आने से किसानों को हानि न उठानी पड़े. इसके अतिरिक्त बैंक स्थानीय संस्थाओं की मदद से गांवों में लघु उद्योगों और कुटीर उद्योगों की स्थापना कर सकते हैं. किसान को कृषि का कार्य केवल छः महीने या मौसम के हिसाब से करना होता है, लघु उद्योग खाली समय में उसके आय का स्रोत बन सकते हैं. कुटीर उद्योगों के विकास से गाँव में बेरोजगारी की समस्या का बहुत हद तक समाधान किया जा सकता है. इन उद्योगों द्वारा उत्पादित वस्तुएँ ग्रामीणों को कम कीमतों पर प्राप्त हो सकेंगी और उन्हें इन वस्तुओं को खरीदने के लिए शहर जाने की आवश्यकता नहीं होगी.

गाँव में बैंक सेवा के विकास की संभावनाएं विस्तृत हैं. बैंकों के माध्यम से ग्रामीण इलाकों का विकास होगा और फलतः देश का विकास होगा. गाँव की आर्थिक उन्नति होगी जिससे आय के असमान वितरण की समस्या सुलझ जाएगी. बैंकों की गरीबी-रेखा से नीचे के लोगों को भी सुविधा प्राप्त होगी. इससे धनी किसानों और निर्धन किसानों के बीच का अंतर कम होगा. इस प्रकार देश की उन्नति ही नहीं होगी, बल्कि ग्रामीण जनता में आत्मनिर्भरता की भावना का प्रसार होगा.

राष्ट्रीयकरण से पूर्व सभी वाणिज्यिक बैंकों की अपनी अलग और स्वतंत्र नीतियां होती थीं और उनका उद्देश्य अधिकाधिक लाभ के मार्गों को प्रशस्त करने तक ही सीमित था जो स्वाभाविक ही माना जाना चाहिए क्योंकि इन बैंकों के अधिकतर शेयर-धारक कुछ इने-गिने पूंजीपति व्यक्ति थे जो अपने हितों की रक्षा के साथ निजी हिताधिकारियों को ही बैंकिंग सेवाओं एवं सुविधाओं का लाभ पहुंचाते थे. समाज के गरीब, कमजोर वर्ग, दलित तथा सामान्य ग्रामीण तबकों के लोगों को बैंक किस चिडिया का नाम होता है, इसका भी पता नहीं था. अतः वे दिन-प्रतिदिन सेठ-साहूकारों एवं महाजनों के सूद के नीचे इतने दब गए कि जीवन की असली पहचान तक भूल गए. भारतवर्ष असलियत में ग्रामों में ही बसा है और ग्रामों में किसान एवं खेतीहर मजदूर बसते हैं. बैंक राष्ट्रीयकरण के पूर्व किसानों की हालत इतनी खराब होती थी कि उनके बारे में एक कड़वा सत्य कहा जाता है कि भारतीय किसान कर्ज में ही जन्म लेता है. कर्ज में ही पलता है और पीछे कर्ज छोड़कर ही मरता है. फलतः ऐसी दशा में पूंजीपति अधिक धनवान होते गए तथा निर्धन और भी गरीबी के दो पाटों में पिसते गए और देश में भयंकर सामाजिक असंतुलन का संकट पैदा हो गया. सामाजिक असंतुलन के साथ ही राष्ट्र जबर्दस्त आर्थिक विषमताओं के कोढ़ में उलझ गया. इस प्रकार सामाजिक तथा आर्थिक विकास की गति अवरुद्ध होती गई जिसके फलस्वरूप क्रांतिकारी नई आर्थिक नीति की आवश्यकता महसूस की जाने लगी थी अतः देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी बैंकों का राष्ट्रीयकरण करके उन्हें देश के विकास प्रवाह में शामिल किया जाना एक राष्ट्रीय आवश्यक्ता थी. फलतः बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया. इस राष्ट्रीयकरण में मूल उद्देश्य यही रहा कि बैंकिंग प्रणाली देश के आर्थिक विकास

मूलक कार्यों में सक्रिय सहयोग प्रदान करके बैंकिंग सेवाओं एवं सुविधाओं का लाभ समाज के कमजोर वर्गों सहित अन्य सभी क्षेत्रों को पहुंचाने में अहम भूमिका अदा करें.

इस प्रकार प्रमुख वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने के मूल उद्देश्य थे.

(अ) बैंकिंग सुविधाओं तथा सेवाओं का विस्तार करना, राष्ट्रीयकरण के पहले बैंकिग सेवाए कुछ पूजीपतियों एवं बड़े व्यापारी तथा किसानों तक ही सीमित थीं जिसके फलस्वरूप समाज के दो वर्गों में बहुत बड़ी आर्थिक दरार उत्पन्न हो गई थी. इस आर्थिक विषमता को दूर करने हेतु बैंकिग सेवाओं एवं सुविधाओं का लाभ समाज में सभी वर्गों विशेषत: ग्रामीण कस्बाई क्षेत्रों में बसे कमजोर वर्गों तक पहुंचाने का मूल उद्देश्य बैंकों के राष्ट्रीयकरण में निहित है.

(आ) देश का आर्थिक विकास दूसरा उद्देश्य माना जा सकता है. जैसा कि पहले भी कहा जा चुका है कि बैंक राष्ट्रीयकरण के पहले देश में आर्थिक संकट उत्पन्न होने के कारण आर्थिक विकास की गति अवरुद्ध हो गई थी. अत: देश के आर्थिक विकास में तेजी लाने के लिए बैंको का राष्ट्रीयकरण किया जाना बहुत ही आवश्यक हो गया था क्योंकि किसी भी देश की प्रगति एवं खुशहाली के लिए उसके आर्थिक विकास की ही महत्वपूर्ण भूमिका रहती है.

(इ) बैंक राष्ट्रीयकरण का तीसरा उद्देश्य था देश में बेरोजगारी की समस्या. यह भारतवर्ष की मुख्य चिंता रही है कि बैंकों के राष्ट्रीयकरण के माध्यम से इस समस्या का समाधान खोजा जा सकता था क्योंकि शिक्षित बेरोजगारों को आर्थिक सहायता के माध्यम से उनके अपने निजी उद्योग या स्वरोजगार के अनेक साधनों में वृद्धि करके बेरोजगारी पर काबू पाया जा सकता था. जब तक देश में बेरोजगारी की समस्या का उचित हल नहीं होता तब तक उसके विकास कार्य में तेजी नहीं आ सकती. इस तथ्य को दृष्टिगत रखकर बेरोजगारी उन्मूलन की दिशा में ठोस कदम उठाए जाना जरूरी हो गया था ताकि बैंकिंग सेवाओं तथा सहायता का लाभ शिक्षित बेरोजगारों को मिलकर वे अपनी उन्नति के नए मार्ग प्रशस्त कर सकें.

(ई) बैंक राष्ट्रीयकरण का एक उद्देश्य यह भी था कि समाज के कम जोर वर्गों तथा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के लोगों का बैंकिंग सेवाओं एवं सुविधाओं के माध्यम से उत्था करके देश की आर्थिक उन्नति को एक नई दिशा प्रदान कराना. देश के कमजोर वर्ग तथा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के लोग अर्थात् छोटे तथा मंझोले किसान, भूमिहीन मजदूर, शिक्षित बेरोजगार, छोटे कारीगर आदि की आर्थिक उन्नति में योगदान दिया जाना बहुत आवश्यक हो गया था क्योंकि ऐसे वर्गों के लोग देशभर में फैले हुए थे और उनकी संख्या काफी थी. समाज में वे अपेक्षित भी थे. अत: वर्गों के लोगों में नया आत्मविश्वास पैदा करके उन्हें उन्नति एवं खुशाहाली के मार्ग पर लाना देश की सर्वांगीण प्रगति के लिए बहुत

जरुरी हो गया था. अत: बैंकिंग सुविधा के माध्यम से ही इनका विकास संभव था. फलत: बैंक राष्ट्रीयकरण का विचार सामने आया.

(उ) बैंकों के राष्ट्रीयकरण का एक और मूल उद्देश्य था ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति में सुधार तथा कृषि एवं लघु उद्योगों के क्षेत्रों की समुचित प्रगति किया जाना. भारतीय किसान युग-युग से उपेक्षित ही रहा और हर बार वह औरों से चुसता ही गया. फलत: वह गरीबी की पर्तों से ऊपर नहीं उठ सका था. यही हालत कुटीर उद्योग एवं लघु उद्योगों की थी. ये व्यवसाय अधिकतर कृषि पर ही निर्भर करते थे और कृषि और कृषि का क्षेत्र उपेक्षित तथा अविकसित होने के कारण इन उद्योगों का भी प्रगति नहीं हो पाई थी. इस प्रकार, कृषि एवं लघु उद्योग जैसे उपेक्षित क्षेत्रों की ओर उचित ध्यान देकर उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाया जाना राष्ट्र की प्रगति के लिए बहुत आवश्यक तथा अनिवार्य हो गया था.

(ऊ) देश के बीमार उद्योगों को पुनरूज्जीवित करके नए लघु-स्तरीय उद्योगों के नव निर्माण को बढ़ावा देना भी बैंकों के राष्ट्रीयकरण का एक उद्देश्य था. बीमार उद्योगों के कारण बेरोजगारी की समस्या में वृद्धि होकर आर्थिक मंदी फैलने का यह भी एक कारण था अत: ऐसे उद्योगों को आर्थिक सहायता देकर पुनरूज्जीवित करना आवश्यक था. इसके साथ ही लघु-स्तरीय उद्योगों की संख्या पर्याप्त नहीं थी जिससे कस्बाई क्षेत्रों की प्रगति में तेजी नहीं आ पा रही थी और ऐसे उद्यमी हमेशा विदेश की ओर आंखें लगाकर बैठे हुए होते थे. अत: देश की प्रगति के लिए लघु-स्तरीय उद्योगों को बढ़ावा दिया जाना भी अत्यंत जरूरी था जोकि आर्थिक सहायता के बगैर असंभव-सा प्रतीत होता था. अत: बैंकों द्वारा आर्थिक नियोजन के लिए उनपर सरकार का स्वामित्य होना एक आवश्यक बात हो गई थी. इस प्रकार अनेक सामाजिक तथा आर्थिक उद्देश्यों के कारण बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया जिससे कि कमजोर एवं उपेक्षित वर्गों की उन्नति के साथ समाज की और प्रकारांतर से राष्ट्र की प्रगति हो.

ग्रामीण भारत में बैंकिंग क्षेत्र की भूमिका

भारतीय बैंकिंग प्रणाली नें 18 वीं शताब्दी से भारत के आर्थिक विकास में एक महत्पपूर्ण भूमिका निभाई थी. भारतीय रिजर्व बैंक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, निजी बैंकों, वित्तीय और गैर वित्तीय संस्थाओं का मुख्य प्राधिकरण है. बैंकिंग प्रणाली को अनुसूचित बैंक और गैर अनुसूचित बैंक में वर्गीकृत किया जाता है. बैंकिंग क्षेत्र के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में हुए सबसे बड़े परिवर्तन को जानते हैं.

वर्तमान परिदृश्य में कई ऐसे ग्रामीण क्षेत्र हैं जहाँ लोग भारत सरकार द्वारा चलायी जा रहीं योजनाओं के बारे में जागरूक नहीं है. बैंकिंग क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्रों के शिक्षित और अशिक्षित लोंगों में योजनाओं के बारे में जागरुकता फैलाने का सबसे अच्छा माध्यम है. ग्रामीण क्षेत्र में 41% लोगों का आम बचत खाता होता है जो बैंकिंग क्षेत्र में विकसित प्रौद्योगिकी जैसे एटीएम, क्रेडिट कार्ड लोन सुविधा, नेट बैंकिंग आदि के बारे में भी नहीं जानते हैं. भारत में सिर्फ 20% लोगों को ही बैंक की इन सेवाओं का ज्ञान है. ग्रामीण भारत पर बैंकिंग क्षेत्र द्वारा किये गये सबसे बड़े प्रभाव इस प्रकार हैं:

- किसानों के लिये धन
- शिक्षा व्यवस्था के लिये धन
- व्यापारी लोंगों के लिये धन
- खुदरा बैंकिंग

किसानों के लिये धन

बैंक ग्रामीण भारत में किसानों की वित्तीय स्थिति और आर्थिक विकास में उत्थान के लिये अनेक योजनाओं की घोषणा करते हैं. बैंकों ने किसानों के माध्यम से कृषि क्षेत्र के विकास के लिये निम्न ब्याज दरों पर ऋण सुविधा उपलब्ध कराते हैं. प्रत्येक बैंक नें बैंक की ऋण सुविधाओं और योजनाओं के बारे में किसानों के मार्गदर्शन के लिये कृषि अधिकारी मदद करने के लिए उपस्थित होते हैं.

शिक्षा के लिये धन

बैंक द्वारा प्रदान किये गये शैक्षिक ऋण से निम्न और मध्यम आय स्तर के लोंगों के बच्चों की शिक्षा पर शानदार प्रभाव पड़ा है. इस ऋण की सहायता से ग्रामीण लोग अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा प्रदान कर सकते हैं. शिक्षा, बैंकिंग क्षेत्र द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में किये गये प्रमुख विकासों में से एक है.

व्यापार के लिये धन

मुद्रा बैंक बैंकिंग क्षेत्र के विकास की दिशा में उठाए गये महत्वपूर्ण कदमों में से एक है. मुद्रा बैंक विशेष रुप से सूक्ष्म इकाइयों/लघु स्तर के व्यापारियों को समर्पित है. यह निम्न और मध्यम लोगों को व्यापार के लिये ऋण प्रदान करता है. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का प्रयोग सभी सूक्ष्म इकाई व्यापार को विकसित करने में हो रहा है.

मुद्रा बैंक द्वारा प्रदान की गई योजनायें हैं –

- शिशु में 50000 रुपये तक की ऋण राशि शामिल है.
- किशोर में 50000 रुपये से 5 लाख रुपये तक की ऋण राशि शामिल है.
- तरुण में 5 लाख से 10 लाख रुपये तक की ऋण राशि शामिल है.

मुद्रा बैंक छोटे स्तर के उद्यमों के विस्तार की गतिविधियों के लिये मील का पत्थर साबित हुआ है.

खुदरा बैंकिंग

खुदरा बैंकिंग जो उपभोक्ता बैंकिंग के रुप में जानी जाती है कम्पनी के बजाय अलग–अलग उपभोक्ताओं के लिये सेवा प्रदान करती है. ग्रामीण क्षेत्र के लोग खुदरा बैंकिंग के एटीएम, बचत खाता, डेबिट और क्रेडिट कार्ड, व्यक्तिगत ऋण, गृह ऋण आदि माध्यम से बैकिंग क्षेत्र का प्रयोग कर रहे हैं.

ऋण क्या होता है?

ऋण वह है, जो किसी से माँगा या लिया जाता है; सामान्यतः यह ली गयी संपत्ति को व्यक्त करता है, लेकिन यह शब्द धन की आवश्यकता के परे नैतिक दायित्व एवं अन्य पारस्परिक क्रियाओं को भी व्यक्त करता है. परिसंपत्तियों के मामले में, ऋण कुल जोड़ अर्जित होने के पूर्व वर्तमान में भविष्य की क्रय शक्ति के प्रयोग का माध्यम है. कुछ कंपनियां एवं निगम ऋण का प्रयोग अपनी संपूर्ण संगठित (कॉरपोरेट) वित्तीय योजनाओं के भाग के रूप में करते हैं.

ऋण तब सृजित होता है जब एक ऋणदाता एक ऋण प्राप्तकर्ता या ऋणी को कुछ परिसंपत्ति प्रदान करता है. आधुनिक समाज में, सामान्यतः ऋण को अपेक्षित पुनर्भुगतान के साथ प्रदान किया जाता है; ज़्यादातर मामलों में, ब्याज सहित. ऐतिहासिक रूप से, ऋण अनुबंधित नौकर के सृजन हेतु जिम्मेदार था.

बैंकिंग और ग्रामीण ऋण : कृषि ऋण

अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों, जिसमें कृषि एक प्रमुख क्षेत्र है, को उचित ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था. सर्वांगीण विकास को गति देने के लिए पर्याप्त मात्रा में धन की आवश्यकता होती है. सरकार ने बैंकों को निर्देश दिया कि कृषि क्षेत्र में ऋण आवंटन को प्राथमिकता दें. पंचवर्षीय योजना में कृषि के लिए विशेष बज़ट आवंटन के मद्देनजर किसानों पर निर्भर है कि वे बैंको द्वारा प्रदत्त योजना से किस हद तक लाभ उठाते हैं. सहकारी व ग्रामीण बैंक भारत के ग्रामीण भागों में ऋण प्रदान करने में एक बड़ी भूमिका निभा रहे हैं.

भारत में कृषि बैकिंग का विकास

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी): पहले 196 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक थे जो 27 राज्य सहकारी बैंकों द्वारा प्रायोजित थे. विलय के पश्चात 31 मार्च 2013 तक इनकी संख्या 196 से घटकर 64 हो गई. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) को नाबार्ड द्वारा विनियमित किया जाता है. इस प्रकार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना से कुछ हद तक कृषि बैकिंग की शुरूआत हुई तथा 1982 में स्थापित नाबार्ड यानि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट (NABARD) ने कृषि बैकिंग में मील का पत्थर का स्थान प्राप्त किया.

शिवरामन समिति (शिवरामन कमेटी) की सिफारिशों के आधार पर राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम 1981 को लागू करने के लिए संसद के एक अधिनियम के द्वारा 12 जुलाई 1982, को नाबार्ड की स्थापना की गयी. इसने कृषि ऋण विभाग (एसीडी (ACD) एवं भारतीय रिजर्व बैंक के ग्रामीण योजना और ऋण प्रकोष्ठ (रुरल प्लानिंग एंड क्रेडिट सेल) (आरपीसीसी (RPCC)) तथा कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम (एआरडीसी (ARDC)) को प्रतिस्थापित कर अपनी जगह बनाई. यह ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण उपलब्ध कराने के लिए प्रमुख एजेंसियों में से एक है.

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 5 अप्रैल, 2017 को लोकसभा में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (संशोधन) बिल, 2017 को पेश किया. यह बिल राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम , 1981 में संशोधन का प्रयास करता है. 1981 के अधिनियम

में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) की स्थापना का प्रावधान है. नाबार्ड ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि और औद्योगिक विकास के लिए ऋण जैसी सुविधाएं प्रदान करने और उन्हें विनियमित करने के लिए जिम्मेदार है.

नाबार्ड की पूंजी में बढ़ोतरी: 1981 के अधिनियम के अंतर्गत नाबार्ड की पूंजी 100 करोड़ रुपए हो सकती है. इसे केंद्र सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक (भारिबैं) की सलाह से 5,000 करोड़ तक बढ़ाया जा सकता है. बिल केंद्र सरकार को इस पूंजी को 30,000 करोड़ रुपए तक बढ़ाने की अनुमति देता है. अगर जरूरी हो तो इसे केंद्र सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक (भारिबैं) की सलाह से 30,000 करोड़ से अधिक किया जा सकता है.

केंद्र सरकार को भारिबैं के हिस्से का हस्तांतरण : 1981 के अधिनियम के अंतर्गत केंद्र सरकार और भारिबैं, दोनों के पास नाबार्ड की शेयर पूंजी का कम से कम 51% हिस्सा होना चाहिए. बिल कहता है कि केंद्र सरकार के पास अकेले नाबार्ड की शेयर पूंजी का कम से कम 51% हिस्सा होना चाहिए. बिल भारिबैं की शेयर पूंजी को केंद्र सरकार को हस्तांतरित करता है और उसका मूल्य 20 करोड़ रुपए तय करता है. केंद्र सरकार भारिबैं को इतनी राशि देगा.

नाबार्ड की उत्पत्ति, उददेश्य , मिशन ,स्वामित्व , संगठनात्मक ढांचा , भूमिका एवं कार्य पर जानकारी

1. पृष्ठभूमि

भारतीय संसद के एक अधिनियम के अंतर्गत राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) की स्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई. एक विकास बैंक के रूप में नाबार्ड को समन्वित ग्रामीण विकास के संवर्धन और समृद्धि हासिल करने तथा उससे जुड़े मामलों अथवा प्रासंगिक उपायों के लिए कृषि, लघु उद्योगों, कुटीर एवं ग्रामोद्योगों, हस्तशिल्प, ग्रामीण शिल्प और ग्रामीण क्षेत्रों में अन्य अनुषंगी आर्थिक गतिविधियों हेतु ऋण उपलब्ध कराने एवं उसका विनियमन करने का अधिदेश दिया गया है.

पिछले तीन दशकों से राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अर्थात नाबार्ड कृषि बैकिंग विकास, वित्तीय समावेशन और समावेशी विकास की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है . वर्ष 1982 में नाबार्ड की स्थापना ग्रामीण विकास और कृषि के संवर्धन की दृष्टि से की गई और नाबार्ड ने ग्रामीण इलाकों में कार्य कर रहे वाणिज्यिक बैंकों की शाखाओं, सहकारी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, भूमि विकास बैंकों, सूक्ष्म वित्त संस्थानों (Micro Finance Institutions) इत्यादि के लिए एक मार्गदर्शक, नियामक एवं प्रेरक बनकर ग्रामीण वित्तीय समावेशन के लिए अनेक योजनाएं एवं कार्यक्रम संचालित किए हैं . वर्ष 1992 से नाबार्ड के तत्वावधान में लागू एसएचजी-बैंक लिंकेज कार्यक्रम ने देश के गांव-गांव तक स्वयं सहायता समूहों की स्थापना एवं संवर्धन में योगदान दिया है . इसी प्रकार किसान क्रेडिट कार्ड, स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड, व्यवसाय प्रतिनिधि इत्यादि के प्रसार में भी नाबार्ड अहम योगदान देता रहा है .

2. नाबार्ड की स्थापना के उद्देश्य

नाबार्ड की स्थापना मुख्य रूप से कृषि और ग्रामीण विकास के उद्देश्य से की गई थी . इसके अलावा नाबार्ड की ग्रामीण विकास में भूमिका इस प्रकार है-

नाबार्ड ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि, लघु उद्योग, कुटीर और ग्रामीण उद्योगों के लिए ऋणों का प्रवाह सुनिश्चित करता है .

नाबार्ड ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण के मामले में नीति, आयोजना और परिचालन से जुड़े सभी मामलों के लिए शीर्ष संगठन के रूप में कार्य करता है .

नाबार्ड ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यकलापों के संवर्धन हेतु दिये जाने वाले संस्थागत ऋण जैसे अल्पावधि और दीर्घावधि ऋण के लिए एक पुनर्वित्त संस्था के रूप में कार्य करता है .

नाबार्ड ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न विकासात्मक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए निवेश और उत्पादन ऋण उपलब्ध कराने वाले संस्थानों के लिए वित्तपोषण की एक शीर्ष एजेंसी के रूप में कार्य करता है .

नाबार्ड ग्रामीण इलाकों में विकास के कार्यों में लगी सभी संस्थाओं के कार्यों में समन्वय स्थापित करता है तथा भारत सरकार, राज्य सरकारों, भारतीय रिज़र्व बैंक एवं नीति निर्धारण के मामलों से जुड़ी अन्य राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं के साथ तालमेल स्थापित करता है .

नाबार्ड अपनी पुनर्वित्त परियोजनाओं की निगरानी एवं मूल्यांकन का कार्य करता है

नाबार्ड ग्रामीण इलाकों में कार्य कर रही सूक्ष्म वित्त संस्थानों, सहकारी बैंकों इत्यादि की निगरानी, पर्यवेक्षण एवं प्रशिक्षण की दिशा में कार्य करता है .

नाबार्ड द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय साक्षरता एवं ऋण सलाह प्रदान करने की दिशा में भी कार्य किया जाता है .

3. मिशन

सहभागिता, संधारणीयता और समानता पर आधारित वित्तीय और गैर-वित्तीय सहयोगों, नवोन्मेषों, प्रौद्योगिकी और संस्थागत विकास के माध्यम से समृद्धि लाने के लिए कृषि और ग्रामीण विकास का संवर्धन

4. स्वामित्व

नाबार्ड, भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व में है.

5. संगठनात्मक ढांचा

नाबार्ड का प्रधान कार्यालय मुंबई में है और राज्यों तथा केन्द्र शासित क्षेत्रों में 31 क्षेत्रीय कार्यालय, श्रीनगर में एक कक्ष, भारत के उत्तरी, पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्र में 03 प्रशिक्षण

संस्थान तथा जिला स्तर पर 418 जिला विकास प्रबंधक हैं. नाबार्ड में 2386 प्रोफेशनल के सहयोग के लिए 1193 अन्य स्टाफ है. (31 मार्च 2020 के डाटा के अनुसार)

6. नाबार्ड की वित्तीय समावेशन में भूमिका

नाबार्ड स्वयं सहायता समूहों, किसान क्लबों और अन्य सामुदायिक समूहों के माध्यम से वित्तीय समावेशन की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है . नाबार्ड ग्रामीण इलाकों में कई विकासात्मक और संवर्धनात्मक गतिविधियाँ करता है जिनसे वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिलता है . नाबार्ड द्वारा किए जा रहे कार्य जिनसे वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिलता है, का संक्षेप में विवरण नीचे दिया गया है–

नाबार्ड का वित्तीय समावेशन विभाग– वित्तीय समावेशन पर श्री सी. रंगराजन की अध्यक्षता में बनी समिति की सिफारिशों के आधार पर नाबार्ड में वित्तीय समावेशन विभाग की स्थापना की गई है जिसके द्वारा नाबार्ड के वित्तीय समावेशन सम्बन्धी कार्यों का समन्वय एवं निरीक्षण किया जाता है. यह विभाग भारत सरकार द्वारा स्थापित 500–500 करोड़ रुपए के कॉर्पस के साथ बनाई गई वित्तीय समावेशन निधि एवं वित्तीय समावेशन प्रौद्योगिकी निधि का भी संचालन करता है . इन निधियों में भारत सरकार, रिज़र्व बैंक एवं नाबार्ड द्वारा क्रमशः 40:40:20 के अनुपात में राशि दी जाएगी . वित्तीय समावेशन निधि के अंतर्गत जहाँ नाबार्ड बैंकिंग सुविधा विहीन लोगों, कम आय वाली निर्धन जनता एवं क्षेत्रों तक वित्तीय समावेशन की पहुंच स्थापित करने के लिए विकासात्मक एवं प्रोत्साहक गतिविधियां संचालित करता है वहीं वित्तीय समावेशन प्रौद्योगिकी निधि का इस्तेमाल वित्तीय समावेशन के लिए नवोन्मेष, नई प्रौद्योगिकी इत्यादि के विकास के लिए किया जाता है . इन निधियों के अंतर्गत अब तक नाबार्ड ने 339.61 करोड़ की राशि की परियोजनाएँ मंजूर की है

7. मुख्य कार्य

संवर्धन और विकास, पुनर्वित्त, पुनर्वित्त पोषण, वित्तपोषण, आयोजना और अनुप्रवर्तन तथा पर्यवेक्षण सहित नाबार्ड के प्रमुख कार्य हैं :

गैर–ऋण संबंधी :

• ऋण आयोजना और अनुप्रवर्तन, विभिन्न एजेन्सियों और संस्थाओं के साथ समन्वय.

• कृषि और ग्रामीण विकास से संबंधित मामालों पर भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक और राज्य सरकारों को नीति निर्माण में सहयोग
• ग्रामीण ऋण वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए सहकारी संस्थाओं और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (क्षेग्रा बैंक) का संस्थागत विकास व क्षमता निर्माण. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (क्षेग्रा बैंक), राज्य सहकारी बैंकों और जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों (जिमस बैंकों) का सांविधिक निरीक्षण और राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों (रासकृग्राबि बैंकों) का स्वैच्छिक निरीक्षण व उनकी स्थलेतर निगरानी.
• कृषि, गैर-कृषि, सूक्ष्म वित्त, वित्तीय समावेशन के क्षेत्रों में संवर्धनात्मक व विकासात्मक पहल सरकार प्रायोजित कार्यक्रमों के साथ सहमेल वित्तीय समावेशन.
• क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों को वित्तीय समावेशन प्रयासों में सहयोग.
• आजीविका अवसरों और सूक्ष्य उद्यमों के संवर्धन पर बल.
• ऋण सहकारिताओं के कार्मिकों व बोर्ड सदस्यों व ग्रामीण वित्तीय संस्थाओं के स्टाफ का वित्तपोषण.
• अनुसंधान और विकास, ग्रामीण नवोन्मेष आदि को सहयोग.

४. साझेदार संस्थाएं/ ग्राहक

ऋण संबंधी :

• अनुसूचित वाणिज्य बैंक
• राज्य सरकार
• राज्य स्वामित्व निकाय और कारपोरेशन
• क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
• राज्य सहकारी बैंक
• जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक
• राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
• अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक
• गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां
• कृषक समूह और उत्पादक संगठन
• भंडारागार आधारभूत सुविधा निधि के अंतर्गत परियोजनाओं के लिए कारपोरेट/ कंपनियां, वैयक्तिक उद्यम, पीपीपी मॉडल के अंतर्गत एसपीवी आदि.

विकासोन्मुख :

• ग्रामीण वित्तीय संस्थाएँ

- गैर–सरकारी संगठन और स्वैच्छिक एजेंसियां
- विकास और स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थाएँ
- स्वयं सहायता समूह
- ग्रामीण नवोन्मेषक
- संयुक्त देयता समूह
- कृषक क्लब
- अनुसंधान संस्थाएँ

नीति निर्माण– नाबार्ड ऐसी कार्यनीति विकसित करता है जिसमें स्वयं सहायता समूहों के संवर्धन के माध्यम से किफायती रूप से ऋण वितरण संभव हो सकता है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों की गरीब और ऋण से वंचित जनता को औपचारिक बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध करायी जा सके . नाबार्ड ने यह नीति तय की है कि जम्मू–कश्मीर, उत्तराखंड, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में वित्तीय समावेशन के लिए चलाए जा रही परियोजनाओं को पूरा 100 प्रतिशत आर्थिक सहयोग प्रदान किया जाएगा. सी. रंगराजन समिति द्वारा रेखांकित किए गए 256 वित्तीय रूप से पिछड़े जिलों के अलावा उड़ीसा, आँध्रप्रदेश और झारखंड के दस नक्सल प्रभावित जिलों को भी वित्तीय समावेशन के मामले में प्राथमिकता दी जाएगी .

वित्तीय साक्षरता में योगदान– नाबार्ड द्वारा वित्तीय साक्षरता के प्रसार हेतु लीड बैंकों द्वारा वित्तीय साक्षरता एवं क्रेडिट सलाह केन्द्र (Financial Literacy & Credit Counselling Centre- FLCC) खोलने को प्रोत्साहन दिया जाता है . मार्च 2012 तक देश में 429 एफएलसीसी खोले जा चुके हैं और आसाम, बिहार और राजस्थान के 9 जिलों में 3 लीड बैंकों को एफएलसीसी स्थापित करने के लिए नाबार्ड ने 46 लाख रुपए मंजूर किए हैं . पिछले साल एफएलसीसी का नाम बदलकर केवल वित्तीय साक्षरता केन्द्र (एफएलसी) कर दिया गया है तथा सभी 630 लीड बैंक प्रबंधकों के कार्यालयों पर वित्तीय साक्षरता केन्द्र खोलने का निर्देश दिया है . इसी तरह, नाबार्ड ने पेंशन फंड विनियामक प्राधिकरण (PFRDA) को असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले कामगारों/मजदूरों के लिए बनाई गई नई पेंशन योजना (New Pension Scheme- NPS) का प्रसार करने के लिए 50 करोड़ रुपए का अनुदान दिया है .इसी प्रकार दूरदर्शन पर हिन्दी भाषा में वित्तीय समावेशन के कार्यक्रम हेतु नाबार्ड ने रू3.28 करोड़ रुपए का अनुदान दिया है .

प्रशिक्षण– नाबार्ड की भूमिका एसएचजी समूहों के प्रशिक्षण में भी काफी महत्वपूर्ण है . इसके अलावा एसएचजी उधारकर्ताओं में भुगतान की नैतिकता के संबंध में जागरूकता पैदा करने के लिए भी नाबार्ड कार्यशालाएं आयोजित करता है . व्यवसाय प्रतिनिधि (business correspondent) को प्रशिक्षण देने के लिए नाबार्ड ने भारतीय बैंकिंग और वित्त

संस्थान (आई.आई.बी.एफ.) तथा फिनो फिनटेक फाउंडेशन दोनों द्वारा 20000 व्यवसाय प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण की एक-एक परियोजना को मंजूरी दी है .

प्रोत्साहन- नाबार्ड स्वैच्छिक एजेंसियों, बैंक, सामाजिक रूप से उत्साही व्यक्तियों, अन्य औपचारिक एवं अनौपचारिक संस्थाओं तथा सरकारी तंत्र को स्वयं सहायता समूह और सूक्ष्म वित्त संस्थानों को ऋण, प्रशिक्षण इत्यादि देने को प्रोत्साहित करता है . नाबार्ड विकासात्मक गतिविधियों के माध्यम से ग्रामीण इलाकों में कृषि एवं अन्य कार्यों हेतु ऋण उपलब्ध कराने वाली संस्थाओं को वित्तीय एवं विकासात्मक सेवाएं प्रदान करता है, जिससे वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिलता है.

सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का विकास- नाबार्ड सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की विकास कार्य योजनाएँ तैयार करने में तकनीकी, सांख्यिकीय एवं प्रशिक्षणात्मक सहायता प्रदान करता है . साथ ही, नाबार्ड ग्रामीण बैंकों को उत्कृष्ट प्रबंध सूचना प्रणाली के स्थापित करने, परिचालनों के कम्प्यूटरीकरण और मानव संसाधनों के विकास के लिए भी वित्तीय सहायता प्रदान करता है . इसके अलावा, नाबार्ड सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का प्रत्यक्ष निरीक्षण कर उसकी वित्तीय स्थिति की परोक्ष निगरानी करता है और यह सुनिश्चित करता है कि उनके द्वारा वित्तीय समावेशन और स्वयं सहायता समूह को ऋण देने सम्बन्धी दिशानिर्देशों और नियमों की पालना की जाए . नाबार्ड ने सितम्बर 30, 2011 तक 11 राज्यों में कार्यरत 17 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को **किसान क्लबों को व्यवसाय सुविधादाता** (Business Facilitators) के रूप में नियुक्त करने पर वित्तीय समावेशन निधि में से 1.72 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं तथा सूचना प्रौद्योगिकी में सुधार करने के लिए वित्तीय समावेशन प्रौद्योगिकी निधि में से 43.96 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है . इसी प्रकार नाबार्ड ने स्वयं सहायता समूहों को व्यवसाय प्रतिनिधि के रूप में प्रशिक्षित करने के लिए 3 राज्यों में 5 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को 32.20 लाख रुपए की सहयोग राशि दी है . नाबार्ड द्वारा 21 कमजोर आर्थिक स्थिति वाले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सीबीएस अपनाने के लिए 191.76 करोड़ की राशि की सहायता राशि मंजूर की है .

एसएचजी बैंक लिंकेज कार्यक्रम- वर्ष 1992 में भारत सरकार ने नाबार्ड के तत्वावधान में स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) को बैंकिंग क्षेत्र से जोड़ने के लिए एसएचजी-बैंक लिंकेज कार्यक्रम एक पायलट स्तर पर 500 एसएचजी को बैंकिंग क्षेत्र से जोड़कर शुरु होकर आज देश में वित्तीय समावेशन का सबसे बड़ा कार्यक्रम बन चुका है . नाबार्ड द्वारा प्रकाशित "भारत में सूक्ष्म वित्त की स्थिति 2011-12" के अनुसार वर्ष 2011-12 में 79.60 लाख एचएचजी द्वारा अपनी बचत बैंक में जमा की गई जिसकी कुल राशि 6551.41 करोड़ रुपए थे . इसी अवधि में 11.98 लाख एसएचजी को ऋण दिए गए जिसकी कुल

राशि 16534.77 करोड़ रुपए थी जबकि बैंकों में बकाया ऋण की राशि 36,340 करोड़ रुपए थी, जो 43.54 लाख एसएचजी को दिए गए थे .

सूक्ष्म वित्त संस्थाओं को सहायता- नाबार्ड द्वारा सूक्ष्म वित्त संस्थाओं को पूंजी सहायता दी जाती है, जिससे वे बैंकों से निधियां प्राप्त कर निर्धनों को कम लागत पर वित्तीय सेवाएं उपलब्ध करा सकें तथा ये सूक्ष्म वित्त संस्थाएं 3 से 5 वर्ष का अवधि में निरंतरता प्राप्त कर सकें . वर्ष 2009-10 के दौरान नाबार्ड ने 10 सूक्ष्म वित्त संस्थाओं के लिए 6.87 करोड़ रुपए मंजूर किए . कुल मिलाकर 33 संस्थाओं को मंजूर संचयी सहायता 27.87 करोड़ रुपए हो गई . हमारे देश में आज भी वाणिज्यिक बैंकों की गांवों तक पहुंच बहुत सीमित है . ऐसी स्थिति में, यह बहुत जरूरी हो जाता है कि सूक्ष्म वित्त संस्थाओं का इस्तेमाल वित्तीय समावेशन स्थापित करने में किया जाए और इस दिशा में नाबार्ड का योगदान अब तक सराहनीय रहा है .

माइक्रो पेंशन सेवाओं को सहयोग- नाबार्ड द्वारा 2.25 करोड़ रुपए का अनुदान इन्वेस्ट इंडिया माइक्रो पेंशन सर्विसेज (IIMPS) को दिया गया है जिसके अंतर्गत 40,000 निर्धन ग्रामीणों को माइक्रो पेंशन सेवाएं उपलब्ध करवाई जाएगी . यह परियोजना अभी देश के चार राज्यों ओडिसा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में लागू की जा रही है .

स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड योजना- नाबार्ड द्वारा स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के छोटे दस्तकारों, हथकरघा बुनकरों, स्वनियोजित व्यक्तियों, स्वयं सहायता समूहों को कम लागत पर कार्यशील ऋण प्रदान करता है, जिससे वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिलता है . मार्च 2010 के अंत तक बैंकों द्वारा 4,254.88 करोड़ रुपए ऋण सीमा सहित 10.48 लाख कार्ड जारी किए गए.

ग्रामीण नवोन्मेष निधि- अक्टूबर 1995 में नाबार्ड के तत्वावधान में गांवों में निर्धनता निवारण के गैर-परंपरागत नवोन्मेष को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण नवोन्मेष निधि (Rural Innovation Fund) की स्थापना की गई . मार्च 2010 तक नाबार्ड द्वारा ग्रामीण नवोन्मेष निधि के अंतर्गत 38 करोड़ रुपए की प्रतिबद्धता युक्त 252 परियोजनाएं मंजूर की गई.

स्वयं सहायता समूह डाकघर कार्यक्रम- इस परियोजना का लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में व्याप्त डाकघरों के विशाल नेटवर्क का उपयोग ग्रामीण स्वयं सहायता समूहों को ऋण वितरित करना है. फिलहाल यह योजना तमिलनाडु एवं मेघालय में कार्यान्वित की जा रही है.

ग्रामीण वित्तीय संस्थागत कार्यक्रम– इस योजना के अंतर्गत नाबार्ड 13 प्राथमिकता प्राप्त राज्यों में सूक्ष्म वित्त संगठन के रूप में कार्यरत गैर-सरकारी संगठनों के प्रोफाइल, गतिविधियों की प्रकृति को जानने तथा इनकी क्षमता निर्माण की आवश्यकताओं के आकलन हेतु अध्ययन किया गया. इस प्रकार के अध्ययन ग्रामीण इलाकों में कार्यरत संस्थाओं के सामने आ रही बाधाओं को उजागर करते हैं, जिसके आधार पर वित्तीय समावेशन के लिए उपाय अपनाए जा सकते हैं .

किसान क्रेडिट कार्ड– किसान क्रेडिट कार्ड योजना का उद्देश्य बैंकिंग व्यवस्था से किसानों को समुचित और यथासमय सरल एवं आसान तरीके से आर्थिक सहायता दिलाना है ताकि खेती एवं जरूरी उपकरणों की खरीद के लिए उनके वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके. मार्च 2020 के अंत तक 3 करोड़ से अधिक किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जा चुके हैं जिसके अंतर्गत बकाया ऋण लगभग 205.15 करोड़ रुपए से अधिक है. किसान क्रेडिट कार्ड योजना की वित्तीय समावेशन में भूमिका को देखते हुए इस कार्ड को एटीएम एवं हैंड हेल्ड डिवाइस में भी इस्तेमाल लेने योग्य स्मार्ट कार्ड में बदलने की योजना बनाई गई है.

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) – जून 2011 में सरकार द्वारा स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को पुनर्गठित कर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का प्रारंभ किया गया जिसके अंतर्गत स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से देश की 2.5 लाख ग्राम पंचायतों और छह लाख गांवों के 7 करोड़ ग्रामीण गरीब परिवारों को स्वरोजगार के लिए तैयार किया जाएगा . इस मिशन की सफलता के लिए स्वयं सहायता समूहों के विकास और संवर्धन में नाबार्ड की भूमिका अहम रहेगी.

व्यवसाय सुविधादाता (Business Facilitators)- व्यवसाय सुविधादाता के लिए गैर सरकारी संगठन, किसान क्लब, सहकारी संस्थान, पोस्ट ऑफिस, बीमा एजेन्ट, ग्रामीण विकास केन्द्र, कृषि विकास केन्द्र, कृषि विज्ञान केन्द्र, केवीआईसी या केवीआईबी के संगठन, सेवानिवृत्त बैंक अधिकारी, भूतपूर्व सैनिक और सामाजिक संगठन व्यवसाय सुविधादाता के रूप में कार्य कर सकते हैं.

व्यवसाय प्रतिनिधि (Business Correspondent)- रिज़र्व बैंक के निर्देशानुसार गैर सरकारी संगठन, सामाजिक या सहकारी संगठन, पोस्ट ऑफिस, किसान क्लब और व्यक्तिगत रूप में रुचि रखने वाले व्यक्ति व्यवसाय प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर सकते हैं. व्यवसाय सुविधादाता और व्यवसाय प्रतिनिधि में केवल ऋण सुविधायें प्रदान करने की सुविधाओं को लेकर अंतर है . व्यवसाय सुविधादाता गैर वित्तीय सेवाएं प्रदान करता है जबकि व्यवसाय प्रतिनिधि मध्यस्थ के रूप में कार्य और कुछेक नकदी संबंधी कार्य भी कर सकता है. मार्च

2012 के अंत तक 95,767 व्यवसाय प्रतिनिधि बैंकों द्वारा नियुक्त किए जा चुके हैं जो कि 1.40 लाख से अधिक गांवों तक बैंकिंग सुविधाओं को पहुंचा रहे हैं .

ग्रामीण समृद्धि के फैसिलिटेटर के रूप में अपनी भूमिका का निर्वाह करने के लिए नाबार्ड को निम्नलिखित जिम्मेदारियाँ सौंपी गई हैं :

- ग्रामीण क्षेत्रों में ऋणदाता संस्थाओं को पुनर्वित्त उपलब्ध कराना
- संस्थागत विकास करना या उसे बढ़ावा देना
- क्लाइंट बैंकों का मूल्यांकन, निगरानी और निरीक्षण करना.
- ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न विकासात्मक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए जो संस्थान निवेश और उत्पादन ऋण उपलब्ध कराते हैं उनके वित्तपोषण की एक शीर्ष एजेंसी के रूप में यह कार्य करता है.
- ऋण वितरण प्रणाली की अवशोषण क्षमता के लिए संस्थान के निर्माण की दिशा में उपाय करता है, जिसमे निगरानी, पुनर्वास योजनाओं के क्रियान्वयन, ऋण संस्थाओं के पुनर्गठन, कर्मियों के प्रशिक्षण में सुधार, इत्यादि शामिल हैं.
- सभी संस्थाएं जो मूलतः जमीनी स्तर पर विकास में लगे काम से जुडी हैं, उनकी ग्रामीण वित्तपोषण की गतिविधियों के साथ समन्वय रखता है, तथा भारत सरकार, राज्य सरकारों, भारतीय रिजर्व बैंक (भारिबैं (RBI)) एवं नीति निर्धारण के मामलों से जुडी अन्य राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं के साथ तालमेल बनाए रखता है.
- यह अपनी पुनर्वित्त परियोजनाओं की निगरानी एवं मूल्यांकन का उत्तरदायित्व ग्रहण करता है.
- नाबार्ड का पुनर्वित्त राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों (SCARDBs), राज्य सहकारी बैंकों ((SCBs), क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRBs) बैंकों, वाणिज्यिक बैंकों (सीबीएस (CBS)) और भारिबैं अनुमोदित अन्य वित्तीय संस्थानों के लिए उपलब्ध है. जबकि निवेश ऋण का अंतिम लाभार्थियों में व्यक्तियों, साझेदारी से संबंधित संस्थानों, कंपनियों, राज्य के स्वामित्व वाले निगमों, या सहकारी समितियों को शामिल किया जा सकता है, जबकि आम तौर पर उत्पादन ऋण व्यक्तियों को ही दिया जाता है.

नाबार्ड मुम्बई स्थित अपने मुख्यालय एवं 28 क्षेत्रीय कार्यालय और एक उप कार्यालय, जो सभी राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानियों में स्थित हैं, के माध्यम से देश भर में परिचालित है. प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय [आरओ] में प्रधान कार्यकारी के रूप में एक मुख्य महाप्रबंधक [CGMs] है और प्रधान कार्यालय में कई शीर्ष अधिकारी कार्यकारी होते हैं जैसे कि कार्यकारी निदेशक [ईडी], प्रबंध निर्देशकों [एमडी] और अध्यक्ष.संपूर्ण देश

में इसके 336 जिला कार्यालय, पोर्ट ब्लेयर में एक उप–कार्यालय और श्रीनगर में एक सेल है. इसके पास 6 प्रशिक्षण संस्थान भी हैं.

नाबार्ड को इसके 'एसएचजी (SHG) बैंक लिंकेज कार्यक्रम' के लिए भी जाना जाता है जो भारत के बैंकों को स्वावलंबी समूहों (एसएचजीज (SHGs)) उधार देने के लिए प्रोत्साहित करता है. क्योंकि एसएचजीज का गठन विशेषकर गरीब महिलाओं को लेकर किया गया है, इससे यह माइक्रोफाइनांस के लिए महत्वपूर्ण भारतीय उपकरण के रूप में विकसित हो गया है. इस कार्यक्रम के माध्यम से मार्च 2006 तक 33 मिलियन सदस्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले 2200000 लाख स्वयं सहायता समूह ऋण से जुड़ चुके थे. [4]

नाबार्ड के पास प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन कार्यक्रम का भी एक (विभाग) पोर्टफोलियो है जिसमें के एक समर्पित उद्देश्य के लिए स्थापित कोष के माध्यम से जल संरचना विकास, आदिवासी विकास और नवोन्मेषी फार्म जैसे विभिन्न क्षेत्रों को शामिल किया गया है.
भारतीय बैंकिंग क्षेत्र भारतीय वित्तीय प्रणाली का एक महत्वपूर्ण घटक है. हाल के वर्षों में शहरी और साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में व्यवसाय को बढ़ावा देने में बैंकिंग क्षेत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं. इसके बिना, भारत को एक स्वस्थ अर्थव्यवस्था नहीं माना जा सकता है.
पिछले तीन दशकों से, भारत की बैंकिंग प्रणाली की क्रेडिट के लिए कई उत्कृष्ट उपलब्धियाँ हैं.
भारत में बैंकिंग प्रणाली, एक उपाय, क्रमिक, सावधानी और स्थिर प्रक्रिया के माध्यम से, एक बड़े परिवर्तन से गुजरी है. प्राचीन दुनिया से लेकर आज तक बैंकों ने एक लंबा सफर तय किया है,

नाबार्ड आज भारत में ग्रामीण इलाकों में वित्तीय समावेशन की पहुंच स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है .नाबार्ड के योग्य निर्देशन में एसएचजी–बैंक लिंकेज कार्यक्रम ने लगभग 80 लाख स्वयं सहायता समूहों को बैंकों से जोड़ा है . अन्य शब्दों में लगभग 10 करोड़ निर्धन लोगों की पहुंच बैंकिंग तंत्र से स्थापित की गई है . नाबार्ड ने सहकारी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, गैर–सरकारी संगठनों, सूक्ष्म वित्त संस्थाओं को वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण, पुनर्वित इत्यादि द्वारा वित्तीय समावेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है . आज आवश्यकता है तो ग्रामीण इलाकों में वित्तीय समावेशन के मद्देनज़र नाबार्ड को और अधिकार और शक्तियां देने की क्योंकि यह संस्था ग्रामीण विकास और कृषि के विकास को प्राथमिक उद्देश्य मानते हुए जमीनी स्तर पर पिछले तीस सालों में अपनी उपयोगिता सिद्ध कर चुकी है वहीं केन्द्रीय सरकार और रिज़र्व बैंक का ढाँचा गांवों से बहुत दूर स्थापित है . यदि नाबार्ड को ग्रामीण वित्तीय समावेशन का पूरा दायित्व दे दिया जाए तो इसके सकारात्मक परिणाम भविष्य में देखने को मिल सकेंगे.

कृषि, लघु उद्योग, कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग, हस्तशिल्प और अन्य ग्रामीण शिल्पों के उन्नयन और विकास के लिए ऋण-प्रवाह सुविधाजनक बनाने के अधिदेश के साथ नाबार्ड 12 जुलाई 1982 को एक शीर्ष विकासात्मक बैंक के रूप में स्थापित किया गया था. उसे ग्रामीण क्षेत्रों में अन्य संबंधित क्रियाकलापों को सहायता प्रदान करने, एकीकृत और सतत ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने और ग्रामीण क्षेत्रों में समृद्धि सुनिश्चित करने का भी अधिदेश प्राप्त है.

भारत में प्रचलित कृषि ऋण संबंधी योजनायें –

अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों, जिसमें कृषि एक प्रमुख क्षेत्र है, को उचित ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया. सर्वांगीण विकास को गति देने के लिए पर्याप्त मात्रा में धन की आवश्यकता होती है. सरकार ने बैंकों को निर्देश दिया कि कृषि क्षेत्र में ऋण आबंटन को प्राथमिकता दें. कुछ राष्ट्रीयकृत बैंकों की कृषि ऋण योजनाएं निम्न प्रकार है–

- कृषि गोल्ड ऋण
- किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी)
- उत्पादन विपणन ऋण
- किसान गोल्ड कार्ड योजना
- एग्री क्लीनिक एवं कृषि व्यापार केंद्रों की स्थापना
- भूमि खरीद योजना
- ट्रैक्टर ऋणों के लिए स्कॉरिंग मॉडल
- पुराने/उपयोग किए गए ट्रेक्टरों की खरीद योजना
- पावर टिलर्स वित्तीयन
- कंबाइन हार्वेस्टर के लिए वित्त
- मूर्त संपत्ति बनाने वाली फार्म मशीनरी के लिए वित्त पोषण की योजना
- डेयरी इकाइयों के वित्तपोषण के लिए डेयरी प्लस योजना
- डेयरी समितियों के वित्तपोषण के लिए,डेयरी सोसायटी प्लस योजना
- ब्राइलर प्लस
- जनरल क्रेडिट कार्ड (जीसीसी) के अंतर्गत सामान्य उद्देश्यों के लिए ऋण
- कृषक उत्थान योजना
- ग्रामीण भण्डारण योजना–ग्रामीण गोदामों के निर्माण / नवीकरण के लिए पूँजी निवेश अनुदानस्कीम
- किसानों को किराए पर देने के लिए निजी कोल्ड स्टोरेज/निजी गोदाम निर्माण को वित्त देने की स्कीम
- बीज प्रोसेसर वित्तपोषण के लिए योजना
- बीज प्रसंस्करण इकाइयों को रेहन ऋण
- जैविक खेती पर राष्ट्रीय परियोजना के अंतर्गत जैविक इनपुट संबंधी वाणिज्यिक उत्पादन इकाईयों के लिए पूँजीगत निवेश अनुदान स्कीम
- उधारकर्ताओं के ऋणों की अदला–बदली की योजना
- आढ़तिया प्लस योजना
- लघु सिंचाई योजनाएं

- बागवानी के लिए वित्तपोषण
- काश्तकार किसानों के संयुक्त देयता समूहों का वित्त पोषण
- माइक्रो फाइनेंस संस्थानों (एमएफआई) / गैर–सरकारी संगठन (एनजीओ) के लिए वित्त पोषण की योजना
- संजीवनी कृषि कल्याण
- जैविक खेती के लिए वित्त पोषण
- अग्रणी बैंक योजना
- बिजनेस कोरस्पोंडेंट–(बीसी) व्यवस्था
- नई ट्रैक्टर ऋण योजना
- ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई)
- किसान शक्ति योजना
- शुष्क भूमि कृषि के लिए सेकेण्ड हैण्ड ट्रैक्टर्स खरीद योज़ना
- डीलर्स/वितरक/कृषि आगत के व्यापारी/ पशुधन के लिए आवश्यक पूँज़ी
- कृषि औज़ारों को किराये पर लेना
- बागवानी का विकास
- डेयरी का विकास
- डेयरी, सुअर पालन, मुर्गी पालन, रेशमकीट पालन इत्यादि में कार्यरत यूनिटों के लिए कार्यगत पूँज़ी.
- कृषि औज़ारों, साधनों, बैलों की ज़ोड़ी, सिंचाई सुविधाओं के सृज़न हेतु अनुसूचित जाति/जनज़ाति वर्गों को वित्तीय सहायता.
- भूमिहीन किसान कार्ड – साझेदारों, काश्तकारी किसानों के लिए.
- किसान समाधान कार्ड – फसल उत्पादन एवं अन्य संबंधित निवेशों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड
- संकर बीज़ उत्पादन, कपास उद्योग, गन्ना उद्योग इत्यादि में ठेका कृषि के लिए अनुदान
- स्वयं सहायता समूह के लिए विशेष योजना और महिलाओं को सशक्त बनाना
- स्वरोज़गार प्रशिक्षण संस्थान (एस. एस.पी .एस) – किसानों के लिए उद्यमीय प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु नई पहल.

फसल ऋण– 7 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से 3 लाख रुपये तक.

सहयोजित सुरक्षा– 50 हज़ार रुपये तक, किसी प्रकार के प्रतिभूति की आवश्यकता नहीं, परन्तु 50 हज़ार से ऊपर के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशों का पालन किया जाएगा.

किसान गोल्ड क्रेडिट कार्ड स्कीम

कृषि औज़ारों, ट्रैक्टरों, फव्वारा सिंचाई पद्धति, ऑयल इंजन, इलेक्ट्रिक पंप सेट जैसे कृषि उपकरण पर निवेश के लिए ऋण की उपलब्धता

7 प्रतिशत की दर से 3 लाख रुपये तक अल्पावधि फसल ऋण
15 दिनों के भीतर ऋणों का निपटान
50 हज़ार रुपये तक कृषि ऋणों के लिए कोई प्रतिभूति नहीं तथा एग्री– क्लीनिक और एग्री बिज़नेस ईकाई की स्थापना हेतु 5 लाख रुपये.

- उत्पादन ऋण – फसल ऋण, चीनी मिल के साथ समझौता और किसान क्रेडिट कार्ड योजना, पट्टेदार, बँटाईदार व मौखिक पट्टेदार को फसल ऋण
- कृषि संबंधी निवेश ऋण – भूमि विकास, सूक्ष्म व लघु सिंचाई, कृषि कार्यों में मशीन का प्रयोग, रोपाई व बागवानी
- कृषि संरचित ऋण – किसान बाइक, कृषि बिक्रेता बाइक, कृषि क्लिनिक एवं कृषि व्यवसाय केन्द्र
- कृषि विकास के लिए समूह ऋण/उधार – संयुक्त साझेदार समूह या स्व–सहायता समूह को ऋण
- नवीन कृषि क्षेत्र – ठेका कृषि, जैविक कृषि, ग्रामीण भंडार गृह, कोल्ड स्टोरेज, औषधीय व सुगंधीय पौधे, जैव ईंधन फसल आदि
- कृषि ऋण हेतु कम्पोज़िट क्रेडिट योजना
- शीत भंडारण/गोदाम की स्थापना
- वित्त पोषण कमीशन एजेन्ट
- शीत भंडारण प्राप्तियों की गिरवी के बदले आलू/फसलों का उत्पादन
- स्व–प्रेरित संयुक्त कृषक
- वन नर्सरी का विकास
- बंजरभूमि विकास
- खुखड़ी/मशरूम, झींगापन एवं कुकुरमुत्ता झींगा उत्पादन
- दुधारू पशुओं की खरीद एवं देखभाल
- डेयरी विकास कार्ड स्कीम
- मछली पालन, सुअर पालन, मधुमक्खी पालन हेतु योज़ना
- फसल ऋण एवं कृषि गोल्ड ऋण
- कृषि उत्पाद का विपणन
- शीत भंडार/निज़ी गोदाम
- लघु सिंचाई एवं कुँआ खुदाई योजना/पुराने कुँओं के विकास की योजना
- भूमि विकास वित्त पोषण
- ट्रैक्टर, पावर टिलर एवं औज़ारों की खरीद
- कृषि भूमि/परती/बंजर भूमि की खरीद
- किसानों के लिए वाहन ऋण
- ड्रिप सिंचाई एवं छिड़काव

- स्वयं सहायता समूह
- एग्री क्लीनिक एवं कृषि व्यापार केन्द्र
- युवा कृषि प्लस योज़ना
- किसान क्रेडिट कार्ड (के. सी. सी.)
- एग्री क्लीनिक एवं कृषि व्यापार केन्द्र
- स्वयं सहायता समूहों को ऋण
- के. वी. आई. सी. मार्जिन मनी स्कीम- कारीगरों एवं ग्रामीण उद्योग के लिए पशु पालन इन्फ्रा स्कीम

कृषि बैंकिंग की जरूरत एक दृष्टिकोण : उपरोक्त बैकिंग परिभाषाओं पर गौर करे तो हम पायेगें कि पूर्व में बैंकों का कार्य क्षेत्र सीमित था किन्तु समय परिवर्तन के साथ अलग अलग तरह की बैकों का चलन शुरू हुआ जिसमें कृषि बैकिंग प्रमुख है. किसान–उन्मुख सार्वजनिक ऋण प्रणाली के सकारात्मक पहलुओं पर प्रकाश डालते हुए ग्रामीण भारत में अभी भी निजी पैसे उधार देने की प्रथा है . सार्वजनिक कृषि ऋण प्रणाली, फसल बीमा और न्यूनतम समर्थन मूल्य में कमियों को दूर करके उन्हें वास्तव में किसान के अनुकूल बनाया जा रहा है.

खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने में कृषि बैंकिंग के इतिहास और नाबार्ड जैसे संस्थानों की भूमिका प्रमुख रही है स्थायी आर्थिक विकास और कृषि और ग्रामीण समृद्धि के लिए तीन स्तंभ हैं ब्रेन (जो कि प्रौद्योगिकी है), ब्रॉन (यानी, श्रम) और बैंक (यानी, वित्त और अन्य संसाधन). बैंकिंग क्षेत्र के साथ–साथ सहकारी आंदोलन के अपने विशाल ज्ञान के साथ, हमारे कृषि के भविष्य को आकार देने में संस्थागत ऋण की भूमिका भी स्पष्ट रही है.

किसानों पर राष्ट्रीय आयोग (NCF), बनाया गया जिसने ग्रामीण ऋण के मुद्दे पर व्यापक रूप से प्रकाश डाला. राष्ट्रीय आयोग ने 4 प्रतिशत ब्याज दर पर कृषक परिवारों को संस्थागत ऋण उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर बल दिया और अब यह एक वास्तविकता बन गई है. राष्ट्रीय आयोग ने एक ओर क्रेडिट और बीमा के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण की आवश्यकता पर बल दिया, और दूसरी ओर मैक्रो–माइक्रो–फाइनेंस पर जोर दिया. स्व–सहायता समूहों (एसएचजी) द्वारा मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा संचालित सूक्ष्म–ऋण कार्यक्रमों को संस्थागत रूप देने के लिए हेतु यह एक कदम है. स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) आंदोलन ने महिला सदस्यों को उत्पादन और विपणन दोनों में मापने की शक्ति और अर्थव्यवस्था दी है. बांग्लादेश में नोबेल विजेता मुहम्मद यूनुस और भारत में श्रीमती इला भट्ट ने यह काम करके दिखाया है कि कैसे सूक्ष्म ऋण गरीबी, बेरोजगारी और भूख के खिलाफ संघर्ष में एक शक्तिशाली सहयोगी बन सकता है. इस संदर्भ में, एक सुव्यवस्थित ग्रामीण ऋण नीति की कमी तथा औपचारिक ऋण तक पहुंच की कमी के कारण किसानों की आत्महत्या अभी भी
काफी हद तक जारी है.

नाबार्ड के किसान क्रेडिट कार्ड कार्यक्रम सहित हमारे ग्रामीण ऋण प्रणाली की एक और कमजोरी है, महिला किसानों की औपचारिक ऋण तक पहुंच की कमी. इसका कारण यह है कि महिला किसानों के पास अक्सर यह अधिकार नहीं होता है कि वे किसान क्रेडिट कार्ड या औपचारिक ऋण के अन्य स्रोतों को प्राप्त करने में योग्य हैं. इसलिए, हमें अपने मौजूदा

क्रेडिट सिस्टम की सावधानीपूर्वक समीक्षा की आवश्यकता है, विशेष रूप से वित्तीय समावेशन पर अब जोर दिया गया है. विशेष रूप से, आधार प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हुए लाभ के प्रत्यक्ष हस्तांतरण की परिकल्पना की जा रही है जिसके लिए सभी के पास बैंक खाता होना आवश्यक है.

हमारे बैंक की कुछ लोकप्रिय कृषक योजनाएं निम्नानुसार है- .

क्रम	योजना
1	सेंट किसान क्रेडिट कार्ड (सीकेसीसी)
2	सेंट किसान गोल्ड कार्ड
3	सेंट डेयरी योजना
4	सेंट पॉली हाउस, ग्रीन हाउस, शेड नेट हाउस योजना
5	सेंट ग्रामीण भंडारण योजना
6	सेंट किसान तत्काल योजना
7	सेंट वर्मीकॉम्पोसट योजना
8	सेंट सोलर वाटर हीटर योजना
9	सेंट सोलर लाइट
10	सेंट एग्री फार्मेहाउस योजना
11	सेंट एग्रीकल्चर लैंड पर्चेज स्कीम
12	सेंट किसान साथी
13	सेंट एसएचजी बैंक लिंकेज योजना
14	सेंट एग्री क्लीनिक एवं एग्रीबिजनेस सेंटर्स
15	वेयरहाउस रसीद की रसीद पर वित्तपोषण की संशोधित योजना
16	सेंट किसान व्हीकल स्कीम
17	सेंट ट्रैक्टर ऋण योजना
18	सेंट सोलर पंपसेट
19	संयुक्त देयता समूहों / सदस्यों को वित्त पोषण
20	संयुक्त देयता समूहों/ सदस्यों को वित्त पोषण
21	सेंट पोल्ट्री
22	सेंट सोलर - प्रधानमंत्री कुसुम योजना
23	सेन्ट सरल व्यवसाय ऋण
24	सेन्ट स्वयं सहायता समूह
25	सेंट सोलर पंपसेट
26	सेंट एसआरएम योजना
27	सेंट विश्वास योजना
28	सेंट पीएमएफएमई योजना
29	दीनदयाल अंत्योदय योजना-एनआरएलएम
30	सेन्ट कम्प्रेसेड बॉयो गैस
31	सेंट कृषि विपणन आधारभूत संरचना योजना

32	सेंट पशुपलन आधारभूत योजना
33	सेंट इस्टेट खरीदी योजना
34	सेंट मत्स्य योजना
35	सेंट फलेक्सी कृषि व्यवसाय ऋण योजना
36	सेंट फूड प्रोसेसिंग प्लस योजना – राईस मिल्स
37	सेन्ट एफपीओ ऋण योजना
38	सेन्ट यूपीआई पंजीकरण हेतु प्रक्रिया

1 सेंट किसान क्रेडिट कार्ड (सीकेसीसी)

उद्देश्य	➢ फसल की खेती के लिये आवश्यक अल्पावधि ऋण की पूर्ति ➢ कटाई पश्चात के व्यय एवं उत्पाद विपणन ऋणों के लिये ➢ किसानों के उपभोग आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये ➢ कृषि उपकरणों एवं अन्य आस्तियों के रखरखाव एवं कृषि सम्बद्ध अन्य गतिविधियों जैसक डेयरी, मछली पालन इत्यादि के लिये आवश्यक कार्यशील पूंजी की पूर्ति के लिये
पात्रता	➢ सभी किसान वैयतिक/संयुक्त उधारकर्ता जो भूस्वामी खेतिहर, काश्तकार किसान, पटटेदार, मौखिक पटटेदार शेयर बटाईदार एवं स्वयं सहायता समूह अथवा किसानों का संयुक्त देयता समूह
ऋण सुविधा की प्रकृति	➢ अल्पावधि परिक्रामी उधार
प्रतिभूति	➢ प्राथमिक – फसल एवं बैंक वित्त से सृजित आास्तियों का दृष्टिबंधक ➢ संपार्षिवक रू. एक लाख तक कोई संपार्श्विक नहीं रू. एक लाख से अधिक के लिये संपार्षिवक प्रतिभूति आवश्यक है.
मार्जिन	निरंक
प्रक्रिया प्रभार	निरंक
प्रलेखीकरण प्रभार	निरंक
चुकौती	➢ प्रत्याशित फसल एवं फसल के विपणन के अनुसार ➢ वार्षिक समीक्षा के अधीन ऋण सीमा 5 वर्ष के लिये मान्य होगी.

2 सेंट किसान गोल्ड कार्ड

उद्देश्य	➢ किसानों की सभी मीयादी ऋण आवश्यकताओं जैसे फार्म मशीनीकरण, भूमि विकास लघु सिंचाई, जल संरक्षण, बागवानी एवं अन्य सम्बद्ध गतिविधियों सबंधी आवश्यक वित्त् की पूर्ति के लिये
पात्रता	➢ कृषि एवं कृषि सम्बद्ध कार्यकलापों में व्यस्त व्यक्तिगत, संयुक्त/कृषकों का समूह स्वामी खेतिहर एवं जेएलजी, एसएचजी आदि.
सुविधा का प्रकार	➢ 9 वर्ष में चुकौती योग्य मीयादी ऋण
ऋण की प्रमात्रा	➢ अगले 2-3 वर्षो में किये जाने वाले निवेशों की योजना के आधार पर, वार्षिक आय का 5 गुना अथवा प्रतिभूति के रूप में रखी गयी जमीन के मूल्य का 50 प्रतिशत अधिकतम ऋण रू. 20 लाख
मार्जिन	➢ लघु एवं सीमांत कृषक 5 प्रतिशत ➢ अन्य कृषक 15 प्रतिशत
प्रतिभूति	➢ रू.1.00 लाख तक – बैंक वित्त से सृजित आस्तियों का दृष्टिबंधक
➢	➢ रू. 1.00 लाख से अधिक (उधारकर्ता दवारा लिया गया कुल ऋण – बैंक वित्त से सृजित आस्तियों का दृष्टिबंधक एवं ऋण राशि का कम से कम 200 प्रतिशत मूल्य की जमीन पर प्रभार/मार्गेज का सृजन
बीमा	➢ ऋण राशि से सृजित आास्तियों के संपूर्ण मूल्य का बीमा
ब्याज दर	➢ रू. 50000/ तक – बेस रेट + 0.50 प्रतिशत ➢ रू. 50000/ से अधिक व रू. 5.00 लाख तक – बेस रेट+1.00% ➢ रू. 5.00 लाख से अधिक व रू. 20.00 लाख तक – बेस रेट +1.50%
प्रक्रिया शुल्क	➢ रू. 25000/- तक निरंक ➢ रू. 25000/ से अधिक @ रू. 120/ प्रति लाख अथवा इसका भाग, अधिकतम रू.20000/

प्रलेखीकरण प्रभार	➢ निरंक
चुकौती	➢ समग्र जनित आय से समय पर उचित किश्तो में भुगतान

3 सेंट डेयरी योजना

उद्देश्य	➢ दुग्ध उत्पादन के लिये डेयरी इकाइयों की संस्थापना हेतु वित्त् पोषण
पात्रता	➢ एकल व्यक्तियों, कृषकों, कृषक समूहों, इकाइयों कंपनियों, सोसायटी एनजीओ आदि
ऋण की प्रमात्रा	➢ मार्जिन राशि को छोडकर इकाई लागत परियोजना की व्यवहार्यता एवं ऋणियों की पुनर्भुगतान क्षमता के आधार पर
मार्जिन	➢ रू. 1.00 लाख तक के ऋणों के लिये – निरंक ➢ रू. 1.00 लाख से अधिक एवं रू. 5.00 लाख तक के ऋणों के लिये 10 प्रतिशत ➢ रू. 5.00 लाख से अधिक एवं रू. 10.00 लाख तक के ऋणों के लिये 15 प्रतिशत ➢ रू. 10 लाख से अधिक के लिये 20 प्रतिशत
ब्याज दर	➢ रू. 50000/ तक – बेस रेट + 0.50 प्रतिशत ➢ रू. 50000/ से अधिक व रू. 5.00 लाख तक – बेस रेट+1.00 प्रतिशत ➢ रू. 5.00 से अधिक 25 लाख तक – बेस रेट+1.50 प्रतिशत ➢ रू. 25 लाख से अधिक – बेस रेट+2.00 प्रतिशत
प्रक्रिया शुल्क	➢ रू. 25000/. तक निरंक ➢ रू. 2500/- से अधिक
दस्तावेजीकरण प्रभार	➢ रू. 2 लाख तक – निरंक ➢ रू. 2 लाख से अधिक रू. 5 लाख तक रू. 200/- ➢ रू. 5 लाख से अधिक रू. 50 लाख तक रू. 500/- ➢ रू. 50 लाख से अधिक रू. 1000/-
प्रतिभुति	➢ रू. 1 लाख तक के ऋणों के लिये ➢ प्राथमिक – पशुधन एवं बैंक के वित्तीय पोषण से सृजित अन्य आास्तियों का दृष्टिबंधक ➢ संपार्श्विक प्रतिभूति – निरंक

	रू. 1 लाख से अधिक के ऋणों के लिये – ➢ प्राथमिक – बैंक के वित्तपोषण से सृजित आस्तियों का दृष्टिबंधक ➢ संपार्श्विक प्रतिभूति – ऋण राशि के कम से कम 100 प्रतिशत बाजार मूल्य के समान बंधक / भूमि पर ऋणभार
पुनर्भुगतान	➢ पुनर्भुगतान अवधि नकद प्रवाह पर निर्भर करेगी जो 3-7 वर्षो के बीच होगी.

4 सेंट पॉली हाउस, ग्रीन हाउस, शेड नेट हाउस योजना

उद्देश्य	➢ उच्च् गुणवत्ता वाली वाणिज्यिक बागवानी की विभिन्न् फसलों जैसे फूल, सब्जी,फल,औषधीय पौधे, मसाले इत्यादि की संरक्षित खेती के लिये आवश्यकता आधारित वित्त्पोषण उपलब्ध कराने के लिये
कार्य/उद्देश्य	➢ ग्रीन हाउसों, पॉली हाउसों, शेड नेट इत्यादि का निर्माण/स्थापना, आवश्यक उपकरणों की खरीद एवं उनका स्थापन और कार्यशील पूंजी
पात्रता	➢ एकल कृषक, कृषकों का समूह, एसएचजी,जेएलजी, वैयक्तिक कृषक, विनिर्माण कंपनियों सहित कारपोरेटस, कृषि एवं संबद्ध कार्यकलापों से प्रत्यक्षतः जुडी साझेदारी फर्में एवं सहकारी समितियां
ऋण की प्रमात्रा	➢ कुल परियोजना लागत का 80 प्रतिशत अधिकतम रू. 5.00 करोड,,एसएचजी, एवं जेएलजी के लिये क्रमशः अधिकतम ऋण सीमा रू. 20.00 लाख एवं रू. 5.00 लाख
मार्जिन	➢ रू. 1.00 लाख – निरंक ➢ रू. 1.00 लाख से अधिक – परियोजना लागत का न्यूनतम 20 प्रतिशत
ब्याज दर (प्रत्यक्ष कृषि के अंतर्गत वर्गीकृत ऋण)	➢ रू. 50000/ तक – ब्याज दर बेस रेट + 0.50 प्रतिशत ➢ रू. 50000/ से अधिक व रू. 5.00 लाख तक – बेस रेट+1.00 प्रतिशत ➢ रू. 5.00 से अधिक 25 लाख तक – बेस रेट+1.50 प्रतिशत ➢ रू. 25 लाख से अधिक – बेस रेट+2.00 प्रतिशत
अप्रत्यक्ष कृषि के अंतर्गत वर्गीकृत ऋण	➢ सीमा – रू. 1 करोड तक – ब्याज दर बेस रेट +1.50 प्रतिशत ➢ 1.00 करोड से अधिक – क्रेडिट रेटिंग के अनुसार
प्रतिभूति	➢ परियोजना की भुमि पर दृष्टिबंधक/प्रभार और बैंक के वित्त से सृजित आस्तियों का दृष्टिबंधक/प्रभार, अन्य ऋण सुविधाओं के लिये बैंक के पास पहले से ही बंधक/प्रभारित भूमि/ आस्तियों के प्रभार का विस्तार
गारंटी	➢ सभी निदेशकों एवं साझेदारों की व्यक्तिगत गारंटी एकल

	उधारकर्ताओं के लिये रू. 10 लाख से अधिक के ऋण के मामले में तीसरे पक्ष की गारंटी ली जाय
प्रक्रिया शुल्क	➢ रू. 25000 तक – निरंक
	➢ रू. 25000 से अधिक – रू. 120/- प्रति लाख अथवा उसका भाग(0.12%) अधिकतम रू. 20000/ के अधीन
दस्तावेजीकरण शुल्क	➢ निरंक
निरीक्षण शुल्क	➢ रू. 2 लाख तक – निरंक ➢ रू. 2 लाख से रू. 5 लाख तक रू. 200 ➢ 5 लाख से रू. 50 लाख तक रू. 500 ➢ रू. 50 लाख से अधिक रू. 1000
पुनर्भुगतान अवधि	➢ 3 से 12 महीने की अधिस्थगन अवधि सहित अधिकतम 7 वर्ष

5 सेंट ग्रामीण भंडारण योजना

उद्देश्य	➢ उच्च गुणवत्ता वाली वाणिज्यिक बागवानी की विभिन्न् फसलों जैसे फूल, सब्जी,फल,औषधीय पौधे, मसाले इत्यादि की संरक्षित खेती के लिये आवश्यकता आधारित वित्त्पोषण उपलब्ध कराने के लिये
कार्य/उद्देश्य	➢ ग्रीन हाउसों, पाली हाउसों, शेड नेट इत्यादि का निर्माण/स्थापना, आवश्यक उपकरणों की खरीद एवं उनका स्थापन और कार्यशील पूंजी
पात्रता	➢ एकल कृषक, कृषकों का समूह, एसएचजी,जेएलजी, वैयतिक्क कृषकों कर विनिनिर्माण कंपनियों सहित कारपोरेटस, कृषि एवं संबद्ध कार्यकलापों से प्रत्यक्षतः जुडी साझेदारी फर्में एवं सहकारी समितियां
ऋण की प्रमात्रा	➢ कुल परियोजना लागत का 80 प्रतिशत अधिकतम रू. 5.00 करोड,,एसएचजी, एवं जेएलजी के लिये क्रमशः अधिकतम ऋण सीमा रू. 20.00 लाख एवं रू. 5.00 लाख
मार्जिन	➢ रू. 1.00 लाख – निरंक ➢ रू. 1.00 लाख से अधिक – परियोजना लागत का न्यूनतम 20 प्रतिशत
ब्याज दर (प्रत्यक्ष कृषि के अंतर्गत वर्गीकृत ऋण)	➢ रू. 50000/ तक – ब्याज दर बेस रेट + 0.50 प्रतिशत ➢ रू. 50000/ से अधिक व रू. 5.00 लाख तक – बेस रेट+1.00 प्रतिशत ➢ रू. 5.00 से अधिक 25 लाख तक – बेस रेट+1.50 प्रतिशत ➢ रू. 25 लाख से अधिक – बेस रेट+2.00 प्रतिशत
अप्रत्यक्ष कृषि के अंतर्गत वर्गीकृत ऋण	➢ सीमा – रू. 1 करोड तक – ब्याज दर बेस रेट +1.50 प्रतिशत ➢ 1.00 करोड से अधिक – क्रेडिट रेटिंग के अनुसार
प्रतिभूति	➢ परियोजना की भुमि पर दृष्टिबंधक/प्रभार और बैंक के वित्त से सृजित आस्तियों का दृष्टिबंधक/प्रभार, अन्य ऋण सुविधाओं के लिये बैंक के पास पहले से ही बंधक/प्रभारित भूमि/

	आस्तियों के प्रभार का विस्तार
गारंटी	➢ सभी निदेशकों एवं साझेदारों की व्यक्तिगत गारंटी एकल उधारकर्ताओं के लिये रू. 10 लाख से अधिक के ऋण के मामले में तीसरे पक्ष की गारंटी ली जाय
प्रक्रिया शुल्क	➢ रू. 25000 तक – निरंक
	➢ रू. 25000 से अधिक – रू. 120/- प्रति लाख अथवा उसका भाग (0.12%) अधिकतम रू. 20000/ के अधीन
दस्तावेजी शुल्क	➢ निरंक
निरीक्षण शुल्क	➢ रू. 2 लाख तक – निरंक ➢ रू. 2 लाख से रू. 5 लाख तक रू. 200 ➢ 5 लाख से रू. 50 लाख तक रू. 500 ➢ रू. 50 लाख से अधिक रू. 1000
पुनर्भुगतान अवधि	➢ 3 से 12 महीने की अधिस्थगन अवधि सहित अधिकतम 7 वर्ष

6 सेंट किसान तत्काल योजना

उद्देश्य	➢ कृषकों की अस्थाई प्रकृति की समस्याओं के निदान के लिये दनकी कृषि एवं घरेलू आपातकालीन आवश्यकताओं के लिये तत्काल ऋण प्रदान करना.
पात्रता	➢ बैंक के वर्तमान किसान क्रेडिट कार्ड धारक एकल कृषक/संयुक्त ऋणी
ऋण की प्रकृति	➢ 5 वर्ष में पुनर्भुगतान योग्य सावधि ऋण
ऋण की मात्रा	➢ सीकेसीसी सीमा का 50 प्रतिशत अथवा वार्षिक आय का 25 प्रतिशत न्यूनतम रू. 1000/ एवं अधिकतम रू. 50000/-
प्रतिभूति	➢ सीकेसीसी के लिये ली गई वर्तमान प्रतिभूति पर प्रभार
ब्याज दर	➢ बेस रेट +0.50 प्रतिशत
प्रक्रिया शुल्क	➢ रू. 25000/- तक निरंक
	➢ रू. 25000/- से अधिक प्रति लाख रू. 120/- दर से अथवा उसके हिस्से के अधीन अधिकतम रू. 20000/-
दस्तावेजी	➢ निरंक
पुनर्भुगतान	➢ समग्र आय सृजन के संगत उपयुक्त किश्तों में 5 वर्ष के भीतर

7. सेंट वर्मीकॉम्पोसट योजना

उद्देश्य	➢ वर्मी काम्पोस्ट ईकाइयों को स्थापित करने एवं इनको चलाने के लिये कृषकों एवं/ या कॉपोरेट की निवेश ऋण/ कार्यशील पूंजी की आवश्यकता को पूरा करना
पात्रता	➢ सभी कृषक स्वयं सहायता समूह, काश्तकार सहित कृषकों के संयुक्त देयता समूह बटाईदार, स्वामी/भागीदारी फर्मे/निजी/सार्वजनिक लि.कं. गैर सरकारी संस्थाएं (एनजीओ) सहकारिताएं, नगर निगम, संघ, कृषि उत्पन्न विपणन समितियां , विपणन बोर्ड एवं कृषि प्रसंस्करण निगम
ऋण सुविधा की प्रकृति	➢ प्रयोजन के अनुसार सावाधि ऋण या नकद साख
ऋण सीमा	➢ **मूल्यांकन पर आधारित अधिकतम 2.00 करोड**
मार्जिन	➢ **रू. 1.00 लाख – निरंक** ➢ **रू. 1.00 लाख से अधिक एवं 5 लाख तक के ऋण – 10%** ➢ **रू. 5.00 लाख से अधिक ऋण सीमा हेतु – 20%**
प्रतिभूति	➢ प्राथमिक – बैंक के वित्त से सृजित संपत्ती का दृष्टिबंधक ➢ संपार्श्विक –रू. 1.00 लाख तक की ऋण सीमा हेतु कोई संपार्श्विक प्रतिभूति नही ➢ रू. 1.00 लाख से अधिक ऋण सीमा हेतु संपति पर साम्यिक बंधक/प्रभार
ब्याज दर	➢ रू. 50000/ तक – ब्याज दर बेस रेट + 0.50 प्रतिशत ➢ रू. 50000/ से अधिक व रू. 5.00 लाख तक – बेस रेट+1.00 प्रतिशत ➢ रू. 5.00 से अधिक 25 लाख तक – बेस रेट+1.50 प्रतिशत ➢ रू. 25 लाख से अधिक – बेस रेट+2.00 प्रतिशत
प्रसंस्करण प्रभार	➢ निरंक

निरीक्षण प्रभार	➢ रू. 2 लाख तक – निरंक ➢ रू. 2 लाख से रू. 5 लाख तक रू. 200 ➢ 5 लाख से रू. 50 लाख तक रू. 500 ➢ रू. 50 लाख से अधिक रू. 1000
पुनर्भुगतान अवधि	➢ 5 से 8 वर्ष

8 सेंट सोलर वाटर हीटर योजना

उद्देश्य	➢ जवाहर लाल नेहरू सौर उर्जा मिशन के अंतर्गत सोलर वाटर हींटिंग सिस्टम के वित्त पोषण
पात्रता	➢ सभी प्रकार के उपयोगकर्ता
ऋण की प्रकृति	➢ सावधि ऋण
ऋण की प्रमात्रा	➢ खरीदे जाने वाले मॉडल की इकाई लागत पर आधारित
मार्जिन	20%
प्रतिभूति	➢ प्राथमिक – ऋण से सृजित परिसंपत्ती का दृष्टिबंधक ➢ संपर्शिविक – नियोक्ता का वचनपत्र (वैतनिक कर्मचारियों के मामले में ➢ पीडीसी ➢ तृतीय पक्ष गारंटी (वैतनिक कर्मचारियों के अलावा अन्य के लिये)
ब्याज दर	➢ 5% प्रतिवर्ष (रियायती दर पर ऋण प्राप्त करने वाले उधारकर्ताओं के लिये) ➢ बेस रेट + 1.25% (पूंजीकृत उपदान प्राप्त करने वाले उधारकर्ताओं के लिये)
निरीक्षण प्रभार	➢ रू. 2 लाख तक – निरंक ➢ रू. 2 लाख से रू. 5 लाख तक रू. 200 ➢ 5 लाख से रू. 50 लाख तक रू. 500 ➢ रू. 50 लाख से अधिक रू. 1000
पुनर्भुगतान	➢ 3 से 5 वर्ष के अंदर

9 सेंट सोलर लाइट

उद्देश्य	➢ जवाहर लाल नेहरू सौर उर्जा मिशन के अंतर्गत सोलर लाइटिंग सिस्टम एवं कम क्षमता वाले फोटो वोल्टिक लाइटिंग सिस्टम हेतु वित्त् पोषण, नव उर्जा एवं नवीकरण योग्य उर्जा मंत्रालय दवारा अनुमोदित मॉडलों पर ही वित्त् पोषण उपलब्ध रहेगा.
पात्रता	➢ वैयक्तिक, व्यक्ति समूह, एसएचजी/जेएलजी/ एनजीओ, किसान, क्लब इत्यादि
ऋण सुविधा की प्रकृति	➢ सावधि ऋण
ऋण की प्रमात्रा	➢ **खरीदे जाने वाले मॉडल की इकाई लागत पर आधारित**
मार्जिन	➢ **10% (कृषि के अंतर्गत रू. 1.00 लाख तक के ऋण के लिये कोई मार्जिन नहीं)**
प्रतिभूति	➢ प्राथमिक – पंम्पिंग सिस्टम का दृष्टिबंधक ➢ संपर्शिविक –ऋण राशि के मूल्य के समान तृतीय पक्ष गारंटी ➢ कृषि के अंतर्गत प्रदत्त रू. 1.00 लाख तक के ऋण पर कोई संपार्श्विक नहीं.
ब्याज दर	➢ रू. 50000/ तक – बेस रेट + 0.50 प्रतिशत ➢ रू. 50000/ से अधिक व रू. 5.00 लाख तक – बेस रेट+1.00 प्रतिशत ➢ रू. 5.00 से अधिक 25 लाख तक – बेस रेट+1.50 प्रतिशत ➢ रू. 25 लाख से अधिक – बेस रेट+2.00 प्रतिशत
प्रक्रिया शुल्क	➢ रू. 25000/- तक के ऋण पर निरंक ➢ रू. 25000/- से अधिक के ऋण पर @ रू.120/- प्रति लाख अथवा उसका भाग अधिकतम रू. 20000/- ➢ रू. 25000/'
दस्तावेजीकरण शुल्क	➢ निरंक
पुनर्भुगतान	➢ 5 वर्ष के भीतर

10 सेंट एग्री फार्महाउस योजना

उद्देश्य	➢ कृषि फार्महाउस की मरम्मत/नवीकरण/विस्तार के लिये वित्त पोषण
पात्रता	➢ पिछले तीन वर्षो में बैंक के साथ अच्छा व्यावसायिक रिकार्ड रखने वाले विघमान ऋणी और नये ऋणी जो किसी भी बैंक और वित्तीय संस्थान के चूककर्ता ना हो.
ऋण की प्रमात्रा	➢ पुनर्भुगतान क्षमता के आधार पर परियोजना लागत के 80% के अधीन प्यूनतम रू. 2 लाख और अधिकतम रू. 25 लाख. मरम्मत/नवीकरण/विस्तार के लिये अधिकतम रू. 5 लाख.
मार्जिन	➢ परियोजना लागत का 20%
अवधि	➢ अधिकतम 15 वर्ष बंधक अवधि सहित यदि कोई हो.
प्रतिभूति	➢ प्राथमिक – वित्तपोषित आास्तियों पर बंधक/ऋणभार ➢ संपार्षिवक प्रतिभूति – अन्य ऋण सुविधाओं के लिये बैंक के पास पहले से ही बंधक की गई भूमि पर ऋणभार का विस्तार प्रभारित भूमि की वर्तमान एवं भावी फसल और मवेशियों का दृष्टिबंधक
गारंटी	➢ रू. 5 लाख से अधिक के ऋण पर व्यक्तिगत गारंटी
ब्याज दर	➢ रू. 2 लाख तक – निरंक ➢ रू. 2 लाख से रू. 5.00 लाख तक – बेस रेट+1.00 प्रतिशत ➢ रू. 5.00 से अधिक 25 लाख तक – बेस रेट+1.50 प्रतिशत ➢ रू. 25 लाख से अधिक – बेस रेट+2.00 प्रतिशत
प्रक्रिया प्रभार	➢ @ रू.120/- प्रति लाख अथवा इसका भाग अधिकतम रू. 20000/- के अधीन
दस्तावेजी प्रभार	➢ निरंक
प्रति निरीक्षण प्रभार	➢ रू. 2 लाख तक – निरंक ➢ रू. 2 लाख से रू. 5 लाख तक रू. 200

	➢ 5 लाख से रू. 50 लाख तक रू. 500 ➢ रू. 50 लाख से अधिक रू. 1000
पुनर्भुगतान अवधि	➢ अधिस्थगन अवधि सहित, अधिकतम 15 वर्ष

11 सेंट एग्रीकल्चर लैंड पर्चेज स्कीम

उद्देश्य	➢ ऊसर भूमि एवं कृषि भूमि के क्रय, विकास एवं जुताई हेतु ऋण
पात्रता	➢ लघु एवं सीमांत किसान, फसल बटाईदार/काश्तकार एवं कृषि पृष्ठभूमि के उद्यमी
सुविधा की प्रकृति	➢ सावधि ऋण
ऋण की प्रमात्रा	➢ क्षेत्रफल एवं भूमि का मूल्य एवं विकास लागत के योग में से मार्जिन घटाकर अधिकतम रू. 10.00 लाख
मार्जिन	➢ 20%
प्रतिभूति	➢ प्राथमिक – – खरीदी जाने वाली भूमि पर प्रभार – भूमि पर उगाई गई फसलों का दृष्टिबंधक ➢ संपार्श्विक – – वर्तमान में ऋणी के स्वामित्व की अन्य भूमि यदि कोई हो.
ब्याज दर	➢ रू. 50 हजार तक – बेस रेट+0.50 % ➢ रू. **50 हजार से अधिक एवं रू. 5 लाख तक** – बेस रेट+1.00 प्रतिशत ➢ रू. 5.00 से अधिक 25 लाख तक – बेस रेट+1.50 प्रतिशत
प्रसंस्करण शुल्क	➢ रू. 120/- प्रति लाख या उसका भाग अधिकतम रू. 20000/-
दस्तावेजी प्रभार	➢ कोई नहीं
पुनर्भुगतान	➢ अर्द्धवार्षिक/वार्षिक किश्तों में 7 से 10 वर्ष

12 सेंट किसान साथी

उद्देश्य	➢ ऋणग्रस्त कृषकों को महाजनों, गिरवीकर्ता, खाद एवं कृषि निविष्टि डीलरों, मध्यस्थों के कर्ज से राहत प्रदान करना.
पात्रता	➢ **गैर- संस्थागत ऋणदाताओं के ऋणग्रस्त कृषक**
ऋण की प्रकृति	➢ **सावधि ऋण**
ऋण की मात्रा	➢ **अधिकतम रू. 1.00 लाख**
ब्याज दर	➢ रू. 50 हजार तक - बेस रेट+0.50 प्रतिशत ➢ रू. 50 हजार से अधिक व रू. 1.00 लाख तक – बेस रेट+1.00 प्रतिशत
प्रक्रिया शुल्क	➢ **प्रति लाख रू. 120/ (0.12%) अथवा उसके हिस्से के अधीन अधिकतम रू. 20000 तक**
दस्तावेजीकण शुल्क	➢ निरंक
पुनर्भुतान	➢ 5 वर्ष
प्रतिभूति	➢ महाजन के पास गिरवी रखी मूर्त प्रतिभूति, यदि कोई हो ➢ फसलों का दृष्टिबंधक ➢ भूमिबंधक

13 सेंट एसएचजी बैंक लिंकेज योजना

ऋण का उद्देश्य	➢ एसएचजी को उनके आंतरिक उधार/ सामूहिक गतिविधियां के लिये वित्तपोषण
पात्रता	➢ एसएचजी
ऋण सुविधा की प्रकृति	➢ **परिक्रामी नकद ऋण /सावधि ऋण**
नकद साख सीमा / सावधि ऋण मिलाकर पात्र प्रमात्रा	➢ **ऋण की प्रमात्रा (5 वर्षो के लिये समग्र तय सीमा) अधिकतम प्रति समूह रू. 10.00 लाख स्थापना के प्रारंभिक वर्ष में अनुपात 1:1 होगा और क्रमशः बचत के 1:4 के अनुपात तक बढ सकेगा.**
ब्याज दर	➢ रू. 50 हजार तक – बेस रेट+0.50 % ➢ रू. **50 हजार से अधिक एवं रू. 5 लाख तक** – बेस रेट+1.00 प्रतिशत ➢ रू. 5.00 से अधिक 25 लाख तक – बेस रेट+1.50 प्रतिशत ➢ रू. 25 लाख से अधिक
प्रक्रिया शुल्क	➢ रू. 120/- प्रति लाख (0.12%) अथवा उसका भाग अधिकतम रू. 20000/- के अधीन
दस्तावेजीकरण शुल्क	➢ निरंक
ऋण की अवधि	➢ वार्षिक समीक्षा के अधीन वर्षो के लिये नकद ऋण सीमा
प्रतिभूति	➢ निरंक

14 सेंट एग्री क्लीनिक एवं एग्रीबिजनेस सेंटर्स

ऋण का उद्देश्य	➢ एग्रीक्लिनिक या एग्रीबिजनेस सेंटर की स्थापना
पात्रता	➢ निपुण/प्रशिक्षित व्यक्ति एवं व्यक्ति समूह
ऋण सुविधा की प्रकृति	➢ संमिश्र ऋण
ऋण की प्रमात्रा	➢ वैयतिकः अधिकतम रू. 20 लाख ➢ सामूहिक परियोजना – अधिकतम रू.100.00 लाख
मार्जिन	➢ 0.20% (ऋण प्रमात्रा के आधार पर)
ब्याज दर	➢ रू. 50 हजार तक – बेस रेट+0.50 % ➢ रू. 50 हजार से अधिक एवं रू. 2 लाख तक – बेस रेट+1.00 प्रतिशत ➢ रू. 2लाख से अधिक – बेस रेट+2.00 प्रतिशत
प्रसंस्करण शुल्क	➢ रू. 120/- प्रति लाख (0.12%) अथवा उसका भाग पर अधिकतम रू. 20000/-
दस्तावेजी प्रभार	➢ कोई नहीं
पुनर्भुगतान	➢ 5-7 वर्षो में
प्रतिभूति	➢ प्राथमिक – बैंक के वित्त से सृजित आास्तियों का दृष्टिबंधक ➢ संपार्श्विक (सिर्फ रू. 5.00 लाख से अधिक के ऋणों के लिये) कृषि भूमि पर बंधक अथवा ऋणप्रभार

15 वेयरहाउस रसीद की रसीद पर वित्तपोषण की संशोधित योजना

ऋण का उद्देश्य	➢ गोदामों/कोल्ड स्टोरेज रसीदों की गिरवी की रसीद पर वित्तपोषण
पात्रता	➢ कृषि एवं सम्बद्ध गतिविधियों में प्रत्यक्षतः संलग्न वैयतिक किसान, एसएचजी, जेएलजी, कार्पोरेटस साझेदार फर्म और कृषकों की सहकारी संस्थाएं ➢ खाघ एवं कृषि आधारित प्रसंस्करण इकाईयां ➢ प्रसंस्करणर्ता, आढतिए एवं व्यापारी
ऋण सुविधा की प्रकृति	➢ नकद साख/ मांग ऋण
ऋण की प्रमात्रा	➢ मार्जिन घटाते हुये निम्नलिखित में से न्यूनतम 1. बाजार मूल्य 2. न्यूनतम समर्थन मूल्य और 3. गोदाम रसीद में उल्लिखित मूल्य
मार्जिन	➢ 35%
प्रतिभूति	➢ प्राथमिक – गोदाम रसीद गिरवीं रखना ➢ सम्पार्शिवक केन्द्र/राज्य वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन और बैंक के साथ अनुबंध व्यवस्था के तहत अन्य सम्पार्शिवक प्रबंधनों दवारा जारी रसीद के मामलों में कोई संम्पार्शिवक नहीं . ➢ अन्य मामलों में ➢ दो व्यक्तियों की तृतीय पक्ष गारंटी ➢ ऋण राशि के कम से कम 50% के समान परिसंपत्ती का बंधक/ प्रभार
ब्याज दर	➢ रू. 50 हजार तक – बेस रेट+0.50 % ➢ रू. 50 हजार से अधिक एवं रू. 5 लाख तक – बेस रेट+1.00 प्रतिशत ➢ रू. 5 लाख से अधिक 25 लाख तक – बेस रेट+1.50 % प्रतिशत ➢ रू. 25 लाख से अधिक – बेस रेट+2.00 % प्रतिशत
(अन्य क्षेत्रों के लिये)	➢ अन्य क्षेत्रों अर्थात, एमएसएमई और गैर प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के लिये उन्हीं क्षेत्रों के अनुसार ब्याज दरें लागू होंगी.

प्रक्रिया शुल्क	➢ @ रू. 120/- प्रति लाख अथवा उसका भाग अधिकतम रू. 20000/- (सीएसएस शुल्क, जहां लागू हो)
दस्तावेजीकरण शुल्क	➢ निरंक
पुनर्भुगतान	➢ 12 माह के अंदर अथवा गोदाम रसीद की नियत तिथि को, जो भी पहले हो.

16 सेंट किसान व्हीकल स्कीम

ऋण का उद्देश्य	➢ कृषि उद्देश्य से दो पहिया/चार पहिया की खरीद हेतु
पात्रता	➢ दो पहिया – रू. 1.00 लाख एवं अधिक की ऋण सीमा प्राप्त वर्तमान ऋणी ➢ चार पहिया – सीकेसीसी/सीकेजीसी धारक के मामले में रू. 2.50 लाख एवं अधिक की ऋण सीमा प्राप्त एवं अन्य सम्बद्ध कार्यकलापों के मामले में रू. 1.00 लाख एवं अधिक ऋण सीमा प्राप्त एवं अन्य सम्बद्ध कार्यकलापों के मामले में रू.1.00 लाख एवं अधिक ऋण सीमा प्राप्त कर रहे वर्तमान ऋणी.
ऋण की प्रकृति	➢ सावधि ऋण
ऋण की मात्रा	➢ 2 पहिया -90% ➢ 4 पहिया – 80%
मार्जिन	➢ 2 पहिया -90 % ➢ 4 पहिया- 80 %
बीमा	➢ ऋण से सृजित संपतित्यों के पूर्णमूल्य का बीमा कराया जाय
ब्याज दर	➢ रू. 50 हजार तक की ऋण सीमा – बेस रेट+0.50 % ➢ रू. 50 हजार से अधिक एवं रू. 5 लाख तक – बेस रेट+1.00 प्रतिशत ➢ रू. 5 लाख से अधिक 25 लाख तक – बेस रेट+1.50 % प्रतिशत ➢ रू. 25 लाख से अधिक - बेस रेट+2.00 % प्रतिशत
प्रक्रिया शुल्क	➢ प्रति लाख रू.120/- (0.12%) अथवा उसके हिस्से के अधीन अधिकतम रू. 20000
दस्तावेजीकरण शुल्क	➢ निरंक
पुनर्भुगतान अवधि	➢ 2 पहिये – 5 वर्ष के भीतर ➢ 4 पहिये – 7 वर्ष के भीतर

प्रतिभूति	➢ वाहन का दृष्टिबंधक ➢ दो व्यक्तियों की गारंटी अथवा भूमि पर बंधक/प्रभार का सृजन

17 सेंट ट्रैक्टर ऋण योजना

ऋण का उद्देश्य	➢ ट्रेक्टर, ट्रेलर एवं अन्य कृषि उपकरण एवं सहायक उपकरणों की खरीदी के लिये ऋण
पात्रता	➢ वैयत्तिक, भागीदारी फर्मे कंपनियां, एफएसएस, कृषि अथवा सम्बद्ध गतिविधियों में संलिप्त पीएसी जिनके पास 8 एकड बारहमासी सिंचित भूमि अथवा 16 एकड की सूखी भूमि हो जिसमें वर्ष में एक फसल होती है अथवा वर्ष में कम से कम दो फसल देने वाली 4 एकड सिचिंत भूमि हो.
ऋण सुविधा की प्रकृति	➢ मीयादी ऋण
मार्जिन	➢ 20%
प्रतिभूति	➢ प्राथमिक – ट्रेक्टर एवं बैंक वित्त से सृजित अन्य आस्तियों का दृष्टिबंधक ➢ फसल का दृष्टिबंधक संपार्श्विक – मार्गेज/ कृषि भूमि पर प्रभार प्राथमिक एवं संपार्श्विक प्रतिभूति का कुल मूल्य ऋण राशि का कम से कम 200 % होना चाहिये
बीमा	➢ ऋण से सृजित आास्तियों के पूर्ण मूल्य का बीमा होना चाहिये
ब्याज दर	➢ रू. 50 हजार तक की ऋण सीमा – बेस रेट+0.50 % ➢ रू. 50 हजार से अधिक एवं रू. 5 लाख तक – बेस रेट+1.00 प्रतिशत ➢ रू. 5 लाख से अधिक 25 लाख तक – बेस रेट+1.50 % प्रतिशत ➢ रू. 25 लाख से अधिक – बेस रेट+2.00 % प्रतिशत
प्रक्रिया शुल्क	➢ रू. 25000/ तक निरंक ➢ @ रू 120/- प्रति लाख अथवा इसका भाग, अधिकतम रू. 20000/-
प्रलेखीकरण प्रभार	➢ निरंक

दस्तावेजीकरण प्रभार	➢ रू. 2 लाख तक – निरंक ➢ रू. 2 लाख से अधिक रूद्य 5 लाख तक रू. 200/- ➢ रू. 5 लाख से अधिक रू. 50 लाख तक रू. 500/- ➢ रू. 50 लाख से अधिक रू. 1000/-
पुनर्भुगतान अवधि	➢ 7 से 9 वर्षो तक

18 सेंट सोलर पंपसेट

ऋण का उद्देश्य	➢ लघु सिंचाई परियोजनाओं के लिये सोलर फोटो वोल्टिक पंपिंग सिस्टम के लिये वित्तपोषण
पात्रता	➢ वैयक्तिक, व्यक्ति समूह, एसएचजी/ जेएलजी/ एनजीओ, किसान क्लब इत्यादि
ऋण सुविधा की प्रकृति	➢ सावधि ऋण
ऋण की प्रमात्रा	➢ खरीदे जाने वाले मॉडल की इकाई लागत पर आधारित
मार्जिन	➢ 15%
प्रतिभूति	➢ प्राथमिक – पंपिंग सिस्टम का दृष्टिबंधक ➢ संपार्श्विक – रू. 1.00 से अधिक की ऋण राशि से अधिक मूल्य की कृषि भूमि पर प्रभार
ब्याज दर	➢ रू. 50 हजार तक की ऋण सीमा – बेस रेट+0.50 % ➢ रू. 50 हजार से अधिक एवं रू. 5 लाख तक – बेस रेट+1.00 प्रतिशत ➢ रू. 5 लाख से अधिक व 10 लाख तक – बेस रेट+1.50 % प्रतिशत
प्रक्रिया शुल्क	➢ रू. 25000/- तक – निरंक ➢ रू. 25000/- से अधिक – रू. 120/-प्रति लाख अथवा उसका भाग, अधिकतम रू. 20000/-
दस्तावेजीकरण शुल्क	➢ निरंक
निरीक्षण प्रभार	➢ रू. 2 लाख तक- निरंक ➢ रू. 2 लाख सक अधिक व रू. 5 लाख तक – रू. 200/- ➢ रू. 5 लाख से अधिक व रू. 50 लाख तक – रू. 500/-
पुनर्भुगतान	➢ 10 वर्ष के भीतर

9. संयुक्त देयता समूहों / सदस्यों को वित्त पोषण

1	**उद्देश्य**	• किसानों, विशेष रूप से छोटे, सीमांत, काश्तकार किसानों, मौखिक पट्टेदारों, बटाईदारों और कृषि गतिविधियों को करने वाले व्यक्तियों के लिए ऋण के प्रवाह को बढ़ाने के लिए. • लक्षित समूह को प्रदान किए जाने वाले ऋणों के लिए संपार्श्विक विकल्प के रूप में कार्य करना. • बैंक और लक्षित समूह के बीच आपसी विश्वास और विश्वास का निर्माण करना. • समूह दृष्टिकोण, क्लस्टर दृष्टिकोण, सहकर्मी शिक्षा और ऋण अनुशासन के माध्यम से बैंक के क्रेडिट पोर्टफोलियो में जोखिम को कम करना. • जेएलजी तंत्र के माध्यम से कृषि उत्पादन, उत्पादकता और आजीविका को बढ़ावा देकर कमजोर वर्गों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करना.
2	**पात्रता**	• संयुक्त देयता समूहों के किसानों, छोटे और सीमांत किसानों, किरायेदार किसानों, मौखिक पट्टेदारों, बटाईदारों, अनुबंध कृषि व्यवस्था के साथ या बिना कृषि गतिविधियों को करने वाले व्यक्तियों को. • संयुक्त देयता समूहों जिनके पास खेती योग्य उपजाऊ भूमि है और जो अनुबंध कृषि व्यवस्था के तहत कॉरपोरेट्स/एजेंटों को अपनी उपज की आपूर्ति कर रहे हैं, उस कॉर्पोरेट/एजेंट द्वारा सिफारिश की जानी चाहिए. • संयुक्त देयता समूहों के पास अनुबंध कृषि व्यवस्था नहीं होने की स्थिति में, कॉर्पोरेट/एजेंट की सिफारिशें प्रदान करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी. • ऋण सुविधा के लिए भूमि जोत का पर्याप्त प्रमाण प्राप्त किया जाना है.
3	बचत और ऋण मानदंड	• बैंक जेएलजीएस/जेएलजीएस के व्यक्तिगत सदस्यों के बीच नियमित बचत और मितव्ययिता की आदत डालने के लिए उनके बचत खाते खोल सकता है.

		• समूहों को दिए जाने वाले ऋण की मात्रा उद्यम की ऋण आवश्यकताओं से संबंधित होनी चाहिए न कि बचत की मात्रा से.
4	अधिकतम सीमा	• 1. समूह के व्यक्तिगत सदस्य के लिए: अधिकतम रु.1.00 लाख • एक समूह के रूप में जेएलजी के लिए: क्रेडिट मूल्यांकन जेएलजी के कैश सदस्य के उपलब्ध कृषि योग्य क्षेत्र / की गई गतिविधि पर आधारित होना चाहिए - अधिकतम रु. 5.00 लाख प्रति समूह.
5	मार्जिन	लिमिट रु. 1.00 लाख तक ऋण: शून्य. लिमिट 1.00 लाख रुपये से अधिक के ऋण:
6	ब्याज दर	हमारे मास्टर परिपत्र संख्या 2017-25 दिनांक 01.01.2017 के अनुसार.
7	बीमा	• जेएलजीएस के व्यक्तिगत सदस्यों का व्यक्तिगत बीमा कम से कम ऋण राशि के बराबर और ली जाने वाली ऋण चुकौती अवधि तक किया जाना चाहिए. • बैंक निधि से सृजित आस्तियों का भी बीमा किया जाना है.
8	सेवा प्रभार	हमारे मास्टर परिपत्र संख्या एमसी 2017-26 दिनांक 01.01.2017 के अनुसार.

20. संयुक्त देयता समूहों/ सदस्यों को वित्त पोषण

1	**उद्देश्य**	• किसानों, विशेष रूप से छोटे, सीमांत, काश्तकार किसानों, मौखिक पट्टेदारों, बटाईदारों और कृषि गतिविधियों को करने वाले व्यक्तियों के लिए ऋण के प्रवाह को बढ़ाने के लिए. • लक्षित समूह को प्रदान किए जाने वाले ऋणों के लिए संपार्श्विक विकल्प के रूप में कार्य करना. • बैंक और लक्षित समूह के बीच आपसी विश्वास और विश्वास का निर्माण करना. • समूह दृष्टिकोण, क्लस्टर दृष्टिकोण, सहकर्मी शिक्षा और ऋण अनुशासन के माध्यम से बैंक के क्रेडिट पोर्टफोलियो में जोखिम को कम करना. • जेएलजी तंत्र के माध्यम से कृषि उत्पादन, उत्पादकता और आजीविका को बढ़ावा देकर कमजोर वर्गों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करना.
2	**कार्य/ उद्देश्य**	• योजना के अंतर्गत कृषि के तहत कृषि और गैर-कृषि दोनों गतिविधियों के लिए ऋण सुविधा प्रदान की जा सकती है.
3	**पात्रता**	• संयुक्त देयता समूहों के किसानों, छोटे और सीमांत किसानों, किरायेदार किसानों, मौखिक पट्टेदारों, बटाईदारों, अनुबंध कृषि व्यवस्था के साथ या बिना कृषि गतिविधियों को करने वाले व्यक्तियों को. • संयुक्त देयता समूहों जिनके पास खेती योग्य उपजाऊ भूमि है और जो अनुबंध कृषि व्यवस्था के तहत कॉरपोरेट्स/एजेंटों को अपनी उपज की आपूर्ति कर रहे हैं, उस कॉर्पोरेट/एजेंट द्वारा सिफारिश की जानी चाहिए. • संयुक्त देयता समूहों के पास अनुबंध कृषि व्यवस्था नहीं होने की स्थिति में, कॉर्पोरेट/एजेंट की सिफारिशें प्रदान करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी. • ऋण सुविधा के लिए भूमि जोत का पर्याप्त प्रमाण प्राप्त किया जाना है.
4	स्वयं सहायता समूहों के	• एक या अधिक स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को मिलाकर एक संयुक्त देयता समूह भी बनाया जा सकता है. संयुक्त देयता समूहों के सदस्य एसएचजीएस के सदस्य बने रहेंगे और पहले की तरह एसएचजीएस की गतिविधियों में भाग

	भीतर और बाहर संयुक्त देयता समूहों (संयुक्त देयता समूहों) को सक्षम करना.	लेंगे. • बैंक एसएचजीएस के भीतर ऐसे उद्यम/आजीविका आधारित संयुक्त देयता समूहों के सृजन को प्रोत्साहित करें. • बैंक इन संयुक्त देयता समूहों को एसएचजीएस को दी गई ऋण/ऋण सीमा के अतिरिक्त वित्तपोषित कर सकते हैं. • छोटे किसानों (एसएफ) /सीमांत किसानों (एमएफ) /किरायेदार किसानों/मौखिक पट्टेदारों/बंटाईदार/सूक्ष्म उद्यमियों/शिल्पकारों के योग्य संयुक्त देयता समूहों को प्राथमिकता दी जा सकती है, जिन्हें अभी तक एसएचजीएस द्वारा कवर नहीं किया गया है.
5	समूह के सदस्य के लिए व्यक्तिगत चयन मानदंड.	1. कॉर्पोरेट/एजेंट द्वारा सिफारिश की जानी चाहिए थी. 2. खेती योग्य उपजाऊ भूमि होने और कॉर्पोरेट/एजेंट को उपज की आपूर्ति कर रहे हैं. 3. हालांकि, संयुक्त देयता समूहों के पास अनुबंध कृषि व्यवस्था नहीं होने की स्थिति में, कॉर्पोरेट/एजेंट की सिफारिशें प्रदान करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी और उपरोक्त दो शर्तों की आवश्यकता नहीं होगी. 4. किसानों / संयुक्त देयता समूहों के सदस्यों से एक शपथ पत्र लेना होगा कि उन्होने किसी भी बैंक / बैंकों या वित्तीय संस्थानों से कोई ऋण नहीं लिया है.
6	सदस्यता के लिए मानदंड.	• सदस्यों को खेती और संबद्ध गतिविधियों को अंजाम देने वाले पृष्ठभूमि और पर्यावरण से संबंधित होना चाहिए और एक संयुक्त देयता समूह के रूप में कार्य करने के लिए सहमत होना चाहिए. इस प्रकार, समूह समान विचारधारा वाले किसानों / व्यक्तियों द्वारा सजातीय और संगठित होना चाहिए और आपसी विश्वास और सम्मान विकसित करना चाहिए. • समान सामाजिक-आर्थिक स्थिति के लिए मानदंड, सदस्यता सदस्य एक ही गांव/क्षेत्र/पड़ोस में रहने वाले होने चाहिए और समूह/व्यक्तिगत ऋणों के लिए संयुक्त दायित्व लेने के लिए एक-दूसरे को अच्छी तरह से जानते और भरोसा करना

		चाहिए. • सदस्य जो अतीत में किसी अन्य औपचारिक वित्तीय संस्थान में चूक कर चुके हैं, उन्हें समूह सदस्यता से वंचित करना चाहिए. • एक ही परिवार के एक से अधिक व्यक्तियों को एक ही जेएलजी में शामिल नहीं किया जाना चाहिए.
7	क्लस्टर समूह दृष्टिकोण	• कृषि मूल्य श्रृंखला में सकारात्मक योगदान करने के लिए जेएलजीएस की मदद करने के लिए क्लस्टर आधार पर जेएलजीएस को बढ़ावा देने और वित्तपोषित करने के लिए दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए. • जेएलजीएस में 4-10 व्यक्ति शामिल होने चाहिए.
8	बचत और ऋण मानदंड	• बैंक जेएलजीएस/जेएलजीएस के व्यक्तिगत सदस्यों के बीच नियमित बचत और मितव्ययिता की आदत डालने के लिए उनके बचत खाते खोल सकता है. • समूहों को दिए जाने वाले ऋण की मात्रा उद्यम की ऋण आवश्यकताओं से संबंधित होनी चाहिए न कि बचत की मात्रा से
9	संयुक्त देयता समूहों वित्तपोषण मॉडल	• मॉडल I : संयुक्त देयता समूह के व्यक्तिगत सदस्यों को वित्तपोषित करना. • जेएलजी मॉडल II : एक समूह के रूप में जेएलजी का वित्तपोषण. मॉडल I और मॉडल II के तौर-तरीकों को अनुबंध-I में समझाया गया है.
10	जेएलजीएस रेटिंग मानदंड	• जेएलजीएस के वित्तपोषण के लिए रेटिंग मानदंड निर्धारित किए गए हैं और तदनुसार, शाखाओं द्वारा रेटिंग की जानी है. • जेएलजीएस 10 में से 6 या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले क्रेडिट लिंकेज के लिए पात्र होंगे.
11	अधिकतम सीमा	• 1. समूह के व्यक्तिगत सदस्य के लिए: अधिकतम रु. 1.00 लाख • एक समूह के रूप में जेएलजी के लिए: क्रेडिट मूल्यांकन जेएलजी के कैश सदस्य के उपलब्ध कृषि योग्य क्षेत्र / की गई गतिविधि पर आधारित होना चाहिए - अधिकतम रु. 5.00 लाख प्रति समूह.

12	अधिकतम चुकौती अवधि	• चुकौती फसल की अवधि और बिक्री से प्राप्त आय पर निर्भर करेगी. • चुकौती या तो सीधे जेएलजी या गारंटर के रूप में खड़े कॉर्पोरेट/सोसाइटी द्वारा की जा सकती है. कॉर्पोरेट/सोसाइटी किसानों/ जेएलजीएस को देय पूरी राशि बैंक को भेजेगी और बैंक किसानों/ जेएलजीएस को बकाया ऋण की कटौती के बाद भुगतान जारी करेगा. यदि देय राशि बकाया से कम है तो कॉर्पोरेट बैंक को किसान / जेएलजी से राशि वसूल करने में मदद करेगा और उसे बकाया ऋण के खिलाफ बैंक को भेज देगा. • जेएलजीएस / किसानों के पास / सोसाइटियों के साथ अनुबंध कृषि व्यवस्था नहीं होने की स्थिति में, ऐसे जेएलजीएस / किसानों द्वारा सीधे भुगतान किया जाना है.
	सुरक्षा	I प्राथमिक : फसलों का दृष्टिबंधक, वेयरहाउस रसीदों की गिरवी और बैंक के वित्त से सृजित परिसंपत्तियों पर प्रभार II संपार्श्विक: प्रति व्यक्ति सदस्य/जेएलजी रु. 1.00 लाख तक ऋण: शून्य. **1)** जेएलजी को 1.00 लाख रुपये से अधिक के ऋण: कृषि भूमि पर बंधक / प्रभार करना. • क्षेत्रीय प्रबंधक जेएलजी समूह ऋणों के मामले में टाई-अप व्यवस्था की ताकत के आधार पर 3.00 लाख रुपये तक के ऋण के लिए संपार्श्विक सुरक्षा को माफ कर सकते हैं. • उधारकर्ता से पीडीसीएस प्राप्त की जानी चाहिए – की जाने वाली पीडीसीएस की संख्या सावधि ऋण के मामले में किश्तों की संख्या और कार्यशील पूंजी वित्त के लिए न्यूनतम 5 पीडीसीएस के अनुरूप होनी चाहिए.
14	गारंटी	• उस कारपोरेट/सोसाइटी की कॉर्पोरेट गारंटी जिसके साथ टाई-अप व्यवस्था की गई है. • कॉर्पोरेट के लिए पात्रता मानदंड: – कम से कम 5 वर्षों के लिए अस्तित्व में होना चाहिए और पिछले 3 वर्षों से नकद लाभ अर्जित करना चाहिए. – गारंटी बैंकों/वित्तीय संस्थाओं की अतिदेय नहीं होनी

		चाहिए. • कंपनी द्वारा कॉर्पोरेट गारंटी के मामले में, हमारा प्रभार निर्धारित समय के भीतर कंपनी रजिस्ट्रार के पास बनाया जाना चाहिए. • यदि जेएलजीएस के अनुबंध कृषि व्यवस्था के तहत कवर नहीं होने की स्थिति में, समूह के सदस्यों की आपसी गारंटी प्राप्त की जानी है.
15	मार्जिन	लिमिट रु. 1.00 लाख तक ऋण: शून्य. लिमिट 1.00 लाख रुपये से अधिक के ऋण:
16	ब्याज दर	हमारे मास्टर परिपत्र संख्या 2017-25 दिनांक 01.01.2017 के अनुसार.
17	बीमा	• जेएलजीएस के व्यक्तिगत सदस्यों का व्यक्तिगत बीमा कम से कम ऋण राशि के बराबर और ली जाने वाली ऋण चुकौती अवधि तक किया जाना चाहिए. • बैंक निधि से सृजित आस्तियों का भी बीमा किया जाना है.
18	सेवा प्रभार	हमारे मास्टर परिपत्र संख्या एमसी 2017-26 दिनांक 01.01.2017 के अनुसार
19	दस्तावेज़ और अन्य अनुपालन की सूची	1. केवाईसी मानदंडों का अनुपालन ;- • बैंकों के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार जेएलजी के सभी सदस्यों से केवाईसी दस्तावेज प्राप्त कर सत्यापित करना चाहिए. • केवाईसी अनुपालन सुनिश्चित करना और निधियों का उचित अंतिम उपयोग शाखा की एकमात्र जिम्मेदारी होगी. इसलिए, प्रत्येक शाखा को उन मामलों में जहां जेएलजीएस अनुबंध कृषि व्यवस्था के तहत कवर किया गया है, गारंटर के रूप में खड़े कॉर्पोरेट / सोसाइटी की विश्वसनीयता से खुद को संतुष्ट करना चाहिए. • शाखा सहायता प्राप्त किसानों और उनकी कृषि भूमि का 100% सत्यापन करेगी. II) उधारकर्ता से प्राप्त किए जाने वाले दस्तावेज: • जेएलजीएस के ऋण आवेदन पत्र पर अधिकृत पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए. व्यक्तिगत रूप से ऋण लेने के लिए सदस्यों को प्रार्थना पत्र में व्यक्तिगत रूप से

		हस्ताक्षर करेंगे. • सह दृष्टिबंधक/असाईनमेंट/प्रतिज्ञा समझौता (जैसा लागू) पर जेएलजी के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा निष्पादित किया जाएगा. व्यक्तिगत सदस्य को ऋण के मामले में, संबंधित सदस्य द्वारा दस्तावेज निष्पादित किए जाएंगे. . • जेएलजी के सभी सदस्यों को परस्पर समझौते पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता है. ऊपर सूचीबद्ध अन्य सभी दस्तावेजों पर जेएलजी के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा हस्ताक्षर किए जा सकते हैं. • व्यक्तिगत सदस्यों को ऋण के मामले में, संबंधित सदस्य से जेएलजी के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता से प्राप्त की जाने वाली मुद्रांकित रसीद लेना है. • समूह प्रतिनिधि (अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता) को जेएलजी की ओर से एक उधारकर्ता के रूप में और अपनी प्रतिनिधि क्षमता में अपनी व्यक्तिगत क्षमता में दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने होंगे. शाखा के पास दस्तावेजों के निष्पादन के लिए "संयुक्त देयता समूह के सभी सदस्यों की ओर से और स्वयं के लिए" युक्त एक रबर स्टाम्प' होना चाहिए. III) कॉर्पोरेट से प्राप्त किए जाने वाले दस्तावेज : गारंटर के रूप में प्रस्तावित कॉरपोरेट्स/एजेंटों के लिए उचित सावधानी बरतने की जरूरत है, खासकर वे कॉरपोरेट्स/एजेंटों के मामले में, जो हमारे बैंक के साथ काम नहीं कर रहे हैं. निम्नलिखित दस्तावेज प्राप्त किए जाने हैं: • सिफारिश पत्र • अनुबंध कृषि व्यवस्था के तहत उनके द्वारा पहचाने और अनुशंसित पूरे समूह के लिए कॉर्पोरेट गारंटी. • कंपनी द्वारा बोर्ड के संकल्प की प्रति. • कंपनी से क्षतिपूर्ति. • कंपनी से पीडीसी घोषणा. • संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय कानूनी विभाग/अधिवक्ता द्वारा संबंधित जेएलजी पर उनकी पुनरीक्षण रिपोर्ट में सुझाए गए अनुसार कोई अन्य दस्तावेज.

		IV) कॉरपोरेट/सोसाइटी से वचन जिसके साथ समझौता किया गया है– समझौता ज्ञापन में निम्नलिखित शर्तें शामिल होनी चाहिए: • कॉर्पोरेट/सोसाइटी किसानों/जेएलजीएस को देय प्राप्तियों के संबंध में वित्तपोषण शाखा द्वारा निर्धारित चुकौती अनुसूची के अनुसार देय तिथि से पहले, ब्याज सहित भुगतान सीधे वित्त पोषण शाखा के पास जमा करेगी. • हमारे बैंक ने जिन किसानों को ऋण सुविधा प्रदान की है, उन किसानों/जेएलजीएस को देय प्राप्तियों के खिलाफ किसी भी राशि का समायोजन नहीं करेगा. • अतिदेय राशि पर अतिदेय अवधि के लिए @ 2% प्रति वर्ष दंडात्मक ब्याज लगाया जाएगा. • किसान/जेएलजीएस को भुगतान में देरी के कारण उत्पन्न होने वाले किसी भी वैधानिक या अन्य दायित्व / दायित्व / जुर्माने के लिए यह जिम्मेदार होगा और वहन करेगा. • मूलधन और ब्याज के पुनर्भुगतान के लिए पोस्ट डेटेड चेक कार्पोरेट / एजेंट से प्राप्त किए जाने चाहिए.

21. सेंट पोल्ट्री

1	उद्देश्य	पोल्ट्री फार्म / यूनिट की स्थापना एवं चलाना
2	घटक	कुक्कुट पालन के तीन मुख्य घटक हैं: • **लेयर : अंडा उत्पादन के लिए**-01 से 03 दिन पुराने चूजों को 72 सप्ताह (18 महीने) तक अंडे देने के लिए पाला जाता है और इन अंडों को खपत के लिए बेचा जाता है. • **ब्रायलर: मांस उत्पादन के लिए**- 01 से 03 दिन के चूजों को 08 सप्ताह (02 महीने) के लिए वयस्क अवस्था में पाला जाता है और फिर मांस के उद्देश्य से बेचा जाता है. • **हैचरी:** लेयर्स या ब्रॉयलर के रूप में पालन करने के लिए 01 से 03 दिनों के गुणवत्ता वाले चूजों का उत्पादन करना.
3	पात्रता	ए) सरकार प्रायोजित योजना के लिए : छोटे और सीमांत किसान, भूमिहीन मजदूर या अन्य व्यक्ति जो बेरोजगार / कम रोजगार वाले हैं और आय सृजन के लिए मुर्गी पालन में उद्यम करना चाहते हैं. बी) वाणिज्यिक गतिविधि के लिए: उधारकर्ता को पोल्ट्री यूनिट चलाने का अच्छा अनुभव होना चाहिए और उसे अपने मुख्य व्यवसाय के रूप में वाणिज्यिक आधार पर इस तरह की गतिविधि में शामिल होने का इच्छुक होना चाहिए. उसके पास आवश्यक भूमि/शेड होना चाहिए जहां वह पोल्ट्री फार्म की स्थापना या विस्तार करना चाहता है.
4	यूनिट का आकार	एक सहायक गतिविधि के रूप में वित्तपोषित की जाने वाली कुक्कुट इकाई का न्यूनतम आकार संचालन के पैमाने के अर्थशास्त्र के कारण अंतर्निहित व्यवहार्यता प्रदान करने के लिए 500 पक्षियों का होना चाहिए. पूंजी/ब्याज सब्सिडी (डीआरडीएएस, पोल्ट्री विकास निगम आदि) प्रदान करने वाली अन्य विकास एजेंसियों द्वारा प्रायोजित प्रस्तावों के मामले में, यदि व्यवहार्य हो तो तुलनात्मक रूप से छोटे इकाई आकार पर विचार किया जा सकता है. ऐसे मामलों में, 1-2 किलोमीटर के सन्निहित क्षेत्र में कम से कम 5 इकाइयों के लिए क्लस्टर आधार पर वित्तपोषण किया

		जाना चाहिए. मुख्य गतिविधि के रूप में वित्तपोषित की जाने वाली वाणिज्यिक इकाइयों की व्यवहार्यता पूर्व-स्वीकृति स्तर पर परियोजना रिपोर्टों के तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन द्वारा स्थापित की जानी चाहिए.	
5	मार्जिन	रुपये तक 5 लाख /- परियोजना लागत का 20% रुपये तक 5 लाख से अधिक /- परियोजना लागत का 25%	
6	ब्याज दर	स्वीकृत सीमा	ब्याज दर
		रु. 1 करोड़ तक	एमसीएलआर+(000+025) पॉइंट
		रु. 1 करोड़ से अधिक	क्रेडिट रेटिंग के अनुसार
		CBI 1-3	एमसीएलआर+(025+050) पॉइंट
		CBI 4-6	एमसीएलआर+(060+100) पॉइंट
		CBI 7-9	एमसीएलआर+(150+250) पॉइंट
7.	दंड ब्याज	रु.25000 तक – कोई दंड ब्याज नहीं रु.25000 से अधिक – @2% राशि चूक होने पर	

22.सेंट सोलर – प्रधानमंत्री कुसुम योजना

उद्देश्य	500 किलोवाट से 2 मेगावाट क्षमता के विकेन्द्रीकृत ग्राउंड / स्टिल्ट माउंटेड ग्रिड कनेक्टेड सोलर या अन्य नवीकरणीय ऊर्जा आधारित बिजली संयंत्र (आरईपीपी) स्थापित करने के लिए.
पात्र संस्थाएं (ईई) / उधारकर्ता	• व्यक्तिगत किसान. • किसानों का समूह. • सहकारी समितियां • पंचायत • किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) • जल उपयोगकर्ता संघ (डब्ल्यूयूए) अक्षय ऊर्जा जनरेटर (आरपीजी) के रूप में जाना जाता है. हालांकि, राज्य / वितरण कंपनियां (डिस्कॉम) सौर या अन्य नवीकरणीय ऊर्जा आधारित स्थापित करने की अनुमति दे सकती हैं. विशिष्ट मामलों में 500 किलोवाट से कम क्षमता के बिजली संयंत्र. सब-ट्रांसमिशन लाइनों की उच्च लागत से बचने और ट्रांसमिशन घाटे को कम करने के लिए आरईपीपी को सब-स्टेशनों के पांच किलोमीटर के दायरे में स्थापित किया जाएगा.
सुविधा प्रकार	• सावधि ऋण • प्राप्य राशियों के विरुद्ध आवश्यकता आधारित कार्यशील पूंजी. • आवश्यकता आधारित गैर निधि आधारित सीमा साख पत्र / बैंक गारंटी
मार्जिन	सावधि ऋण – 25% बैंक गारंटी – 25% निधि आधारित सीमा साख – 40%
ऋण सीमा	उच्चस्तरीय ऋण प्रदान करने के लिए कोई सीमा नहीं. फार्म क्रेडिट – एकल किसान – कोई सीमा नहीं. फार्म क्रेडिट – कारपोरेट किसान – रु. 5 करोड़ तक उधार गृहीता प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत. पाँच करोड़ से अधिक ऋण को गैर प्राथमिकता क्षेत्र में माना जाएगा.
ब्याज	फार्म क्रेडिट के अनुसार

	रु. 3 लाख तक – एमसीएलआर+1.35% रु. 3 लाख से 10 लाख तक – एमसीएलआर+2.50% रु. 10 लाख से 100 लाख तक – एमसीएलआर+3.00% रु. 100 लाख – उधारकर्ता की जोखिम रेटिंग क्रेडिट पॉलिसी परिपत्र क्रमांक केका/साख/पॉलिसी 2019-20/285 दिनांक 30.09.2019 व समय समय पर संशोधित के अनुसार के अनुसार.
पुनर्भुगतान	9 माह से 12 माह के ऋणस्थगन के साथ अधिकतम 10 वर्ष. मासिक / तिमाही / अर्धवार्षिक / वार्षिक भुगतान DISCOM द्वारा स्वीकृत शर्तों के अनुसार.
प्रक्रिया शुल्क / सेवा प्रभार	सेवा प्रभार के मास्टर सर्कुलर 2017-26 दिनांक 01.01.2017 व समय समय पर संशोधित के अनुसार

23.सेन्ट सरल व्यवसाय ऋण

पात्रता	• शाखा के सभी पीएमजेडीवाई / बीएसबीडी खाता धारक जो, पिछले लगभग एक साल से खाते का संचालन संतोषजनक कर रहे हैं. संतोषजनक संचालन से अर्थ है कि खाते से नियमित जमा / नामे करना. • खाताधारक उस क्षेत्र में विगत तीन वर्षों से रह रहा हो. आधार कार्ड/बिजली बिल/ वोटर आईडी से रहवासी का प्रमाण माना जाएगा. • आवेदक की आयु 18 से 60 वर्ष हो. • आवेदक किसी बैंक / वित्तीय संस्था का चूककर्ता नहीं होना चाहिए.
गतिविधि	कोई वैध छोटा व्यवसाय / सेवा गतिविधि जैसे होकर्स/ छोटा किराना और जनरल शॉप, रिक्शा चलाने वाला, प्लंबर्स / इलेक्ट्रिशियन / साइबर केफे / सेलून / ब्यूटी पार्लर आदि चलाने वाले.
ऋण राशि	• विगत 6 माह के पीएमजेडीवाई / बीएसबीडी खाता राशि के औसत का 10 गुना, अधिकतम राशि रु.50,000.00 (पीएमजेडीवाई के अधिविकर्ष खाता सुविधा के साथ). • वास्तविक आवश्यकता (जो भी कम)
भुगतान	• अधिविकर्ष सीमा 3 वर्ष के लिए वैध है. खाता का निर्बाध व संतोषजनक संचालन होने पर खाता का नवीनीकरण पुनः अधिकतम राशि रु.50000.00 के लिए किया जा सकता है. • तीन वर्ष पश्चात खाते की समीक्षा करते समय, खाते का संचालन अनियमित / असंतोषजनक होने पर खाते की सुविधा प्रदान करना रोक दी जानी चाहिए. • प्रति वर्ष दृष्टिबंधक स्टाक व उपकरण के मूल्य के आधार पर निकासी क्षमता का मूल्यांकन किया जाए. सावधि ऋण : • अधिस्थगन समय (अधिकतम 3 माह) को मिला कर, अधिकतम 48 माह (प्रतिमाह सामन किश्त व मासिक ब्याज अलग से पुनर्भुगतान करना)
सुविधा	अधिविकर्ष खाता / सावधि खाता

प्रकृति	
मार्जिन	रु. 25000/- : शून्य रु.25000/- से अधिक = रु.50000/- : 5%
प्रक्रिया शुल्क	शून्य
सुरक्षा	बैंक द्वारा प्रदान वित्त के विरुद्ध सम्पत्तियों का दृष्टिबंधन.
बीमा	बैंक नियमानुसार संपातीयों का बीमा होना चाहिए.
चार्ज का निर्माण	ऋण राशि जारी करने से पहले CERSAI के साथ दृष्टिबंधक का चार्ज लेना चाहिए.

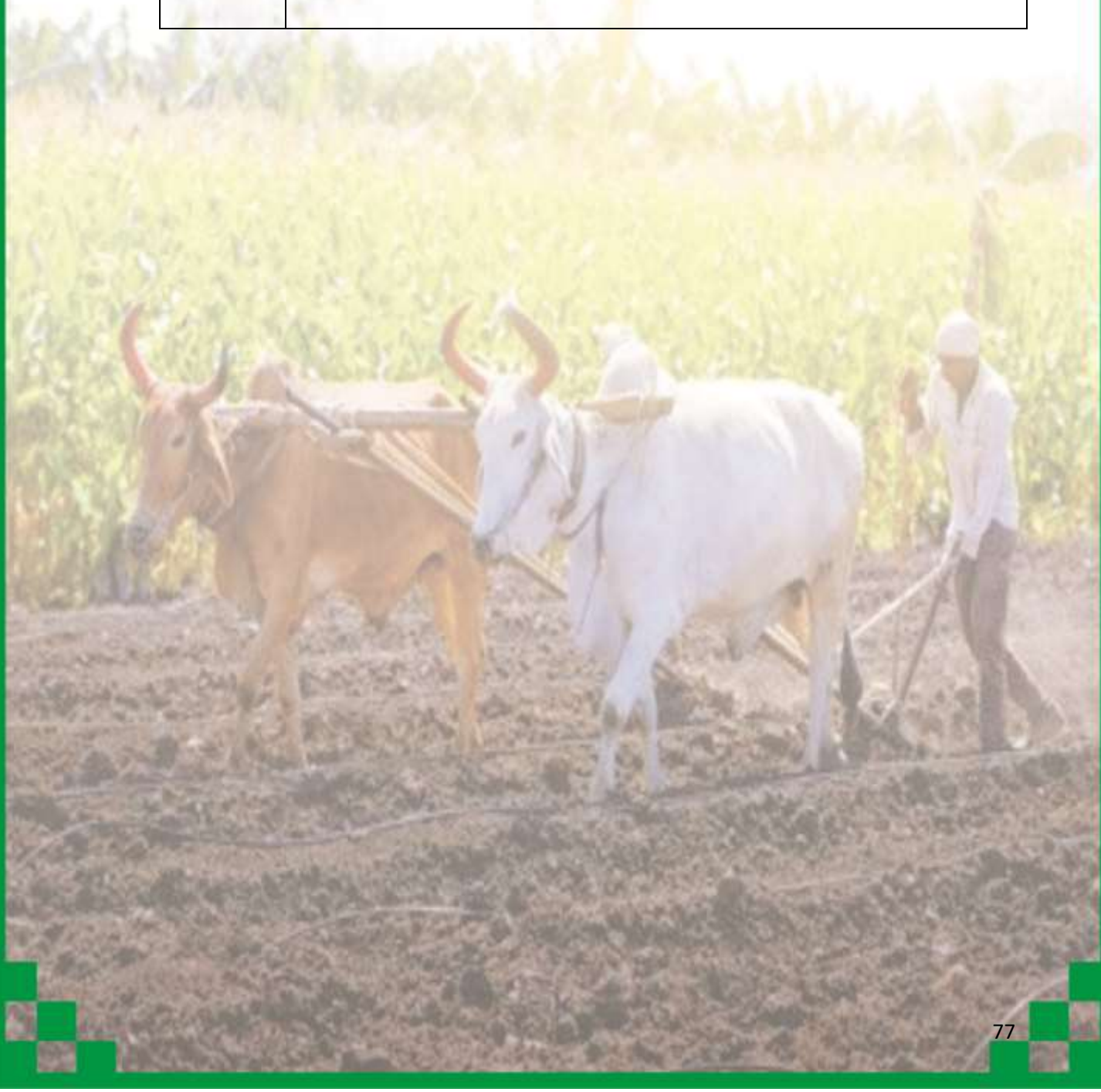

24. सेन्ट स्वयं सहायता समूह

उद्देश्य	• स्वयं सहायता समूहों, गैर सरकारी संस्थाओं या इनसे जुड़े अन्य संस्थानों को जो पहले से ही इस क्षेत्र में कार्यरत हैं को वित्तीय प्रदान करना. • इसका परिणाम सामान्य रूप प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों एवं विशेष कर कृषि क्षेत्र में उन्नति के रूप में दिखाई देगा.
सामाजिक उद्देश्य	• स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से गरीबोन को बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करना. • माइक्रो फाइनेंस योजना के अंतर्गत गरीबों को सामाजिक उत्थान कर आगे लाना. • स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से गरीबों के जीवन स्तर को सुधारना, रोजगार प्रदान करना व आय का श्रोत बढ़ाना. • महिला स्वयं सहायता समूहों की मदद से महिला शक्ति को बढ़ाना सशक्त करना.
स्वयं सहायता समूहों का चयन	• गैर सरकारी संगठनों को वरीयता दी जानी चाहिए और यदि सेवा क्षेत्र में कोई गैर सरकारी संगठन काम नहीं कर रहा है तो कार्य चुनाव के लिए अन्य संगठनों का चयन करें. • चयनित गैर सरकारी संगठनों/अन्य सहायता संगठनों के पास कम से कम तीन वर्षों से अस्तित्व में होने का ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए और स्वयं सहायता समूहों के गठन का अनुभव होना चाहिए. • गैर सरकारी संगठनों/अन्य संगठनों को ऐसी कोई गतिविधि नहीं करनी चाहिए जिससे सार्वजनिक व्यवस्था को नुकसान हो. और उन्हें राज्य सरकार या आरएमके, कपार्ट, और नाबार्ड इत्यादि जैसी किसी अन्य एजेंसी द्वारा ब्लैकलिस्ट नहीं किया जाना चाहिए. • प्रबंधन बोर्ड, कर्मचारियों, संस्थागत स्थिरता और गैर सरकारी संगठनों/अन्य संगठनों के ट्रैक रिकॉर्ड की संरचना पर उचित परिश्रम किया जाना चाहिए. • गैर सरकारी संगठनों को संबंधित नियामक के पास अंतिम देय खाते दर्ज करने होंगे. • जिले में एक या अधिक ब्लॉक को कवर करने के लिए छोटे एनजीओ हो सकते हैं और वे मुख्य चयनित एनजीओ के साथ साझेदारी में काम करेंगे. मौजूदा छोटे गैर सरकारी संगठनों

	को भी मुख्य गैर सरकारी संगठनों के साथ एकीकृत किया जाएगा. • स्वयं सहायता समूहों की संरचनाओं के लिए सूचीबद्ध नए गैर सरकारी संगठनों या अन्य सहायता संगठनों की क्षमता निर्माण के लिए नाबार्ड द्वारा डिजाइन किए गए प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर विचार किया जा सकता है.
स्वयं सहायता समूहों का चयन की सिफ़ारिश	• शाखा प्रबंधक को उपयुक्त गैर सरकारी संगठनों / संगठनों का चयन करना है और इसकी रेटिंग के साथ क्षेत्रीय कार्यालयों को इसकी सिफारिश करनी है. • ऐसे गैर सरकारी संगठनों/समर्थन संगठनों के अनुमोदन के लिए क्षेत्रीय प्रबंधक उपयुक्त प्राधिकारी होंगे. • सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले एनजीओ की सूची के लिए और शीर्ष पांच एनजीओएस में से सर्वश्रेष्ठ का चयन करने के लिए शाखाएं/क्षेत्रीय कार्यालय नाबार्ड की सहायता लेंगे.
सेवा शुल्क भुगतान करने का तरीका	• स्वयं सहायता समूहों की औसत बकाया क्रेडिट सीमा के आधार पर शाखाएं प्रत्येक माह एनजीओ/सहायता संगठनों को सेवा शुल्क का भुगतान करेंगी. • गैर सरकारी संगठनों/सहायता संगठनों से कोई दस्तावेज मांगे बिना सीबीएस के माध्यम से गैर सरकारी संगठनों के खाते में राशि जमा की जाएगी. ऐसा ही संबंधित एसएचजीएस के किसी भी अधिक बकाया की कटौती के बाद अनुमोदित द्वारा प्रवर्तित एसएचजीएस को शाखाओं द्वारा दिए गए ऋण के आधार पर किया जाएगा.

25. सेंट सोलर पंपसेट

ऋण का उद्देश्य	➢ लघु सिंचाई परियोजनाओं के लिये सोलर फोटो वोल्टिक पंपिग सिस्टम के लिये वित्तपोषण ➢ लघु सिंचाई परियोजनाओं के लिये सोलर फोटो वोल्टिक पंपिग सिस्टम के लिये वित्त पोषण
पात्रता	➢ वैयत्तिक, व्यक्ति समूह, एसएचजी/ जेएलजी/ एनजीओ, किसान क्लब इत्यादि ➢ वैयतिक, व्यक्ति समूह, एसएचजी/जेएलजी/एनजीओ, किसान क्लब इत्यादि
ऋण सुविधा की प्रकृति	➢ सावधि ऋण
ऋण की प्रमात्रा	➢ खरीदे जाने वाले मॉडल की इकाई लागत पर आधारित ➢ खरीदे जाने वाले मॉडल की इकाई
मार्जिन	➢ 15%
प्रतिभूति	➢ प्राथमिक – पंपिंग सिस्टम का दृष्टिबंधक ➢ संपार्श्विक – रू. 1.00 से अधिक की ऋण राशि से अधिक मूल्य की कृषि भूमि पर प्रभार
ब्याज दर	➢ रू. 50 हजार तक की ऋण सीमा – बेस रेट+0.50 % ➢ रू. 50 हजार से अधिक एवं रू. 5 लाख तक – बेस रेट+1.00 प्रतिशत ➢ रू. 5 लाख से अधिक व 10 लाख तक – बेस रेट+1.50 % प्रतिशत
प्रक्रिया शुल्क	➢ रू. 25000/- तक – निरंक ➢ रू. 25000/- से अधिक – रू. 120/-प्रति लाख अथवा उसका भाग, अधिकतम रू. 20000/- ➢ रू. 25000/- से अधिक – रू.
दस्तावेजीकरण	➢ निरंक

शुल्क	
निरीक्षण प्रभार	➢ रू. 2 लाख तक- निरंक ➢ रू. 2 लाख सक अधिक व रू. 5 लाख तक – रू. 200/- ➢ रू. 5 लाख से अधिक व रू. 50 लाख तक – रू. 500/-
पुनर्भुगतान	➢ 10 वर्ष के भीतर

26. सेंट एसआरएम योजना

ऋण का उद्देश्य	➢ पहचान किये गये हाथ से मैला ढोने वालों/स्वच्छता कर्मियों को उनके पुनर्वास के लिये ऋण/सीमा प्रदान करना
पात्र उधारकर्ता	➢ हाथ से मैला उठाने वाले/स्वच्छता कर्मचारी/ कचरा बीनने वाले और उनके आश्रित पति या पत्नी या बच्चे / सीवर और सैप्टिक टैंक की सफाई में लगे व्यक्ति
सुविधा की प्रकृति	➢ सावधि ऋण/नकद ऋण
योजना की अवधि	➢ वित्त वर्ष 2021- 22 से 2025-26 तक
परियोजना लागत	➢ व्यक्तिगत – रू. 15.00 लाख ➢ एसएचजी/ समूह - रू. 50.00 लाख
ब्याज दर	➢ एमसीएलआर ➢ 100000 रूपये तक की परियोजनाओं के लिये पुरूष 5 प्रतिशत प्रति वर्ष, महिला 4 प्रतिशत प्रति वर्ष 100000/ 6 प्रतिशत प्रतिवर्ष से अधिक की परियोजनाओं के लिये (ब्याज सब्सिडी- योजना के अनुसार प्रभारित और ब्याज प्रभार का अंतर का भुगतान एनएसएफडीसी/एससीएएस करेगा.
मार्जिन	➢ शून्य
सब्सिडी	➢ क्रेडिट लिंक्ड अपफ्रंट कैपिटल सब्सिडी
व्यक्तिगत	➢ रू. 05.00 लाख – परियोजना लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम रू. 02.50 लाख रू. 5 लाख से रू. 15 लाख – रू. 02.50 लाख +शेष परियोजना लागत 6.25 का 25 प्रतिशत

एसएचजी/समूह	➢ व्यक्तिगत के मामले में भी अधिकतम रू. 3.75 लाख प्रति लाभार्थी
सुरक्षा	➢ प्राथमिक – बैंक वित्त् से बाहर ➢ संपार्श्विक – कोई संपार्श्विक नही (ऋण प्रासंगिक गारंटी के तहत कवर किया जाएगा.
पुनर्भुगतान	➢ रू. 5 लाख तक – 60 महीने ➢ 5 लाख रूपये से अधिक – 84 महीने

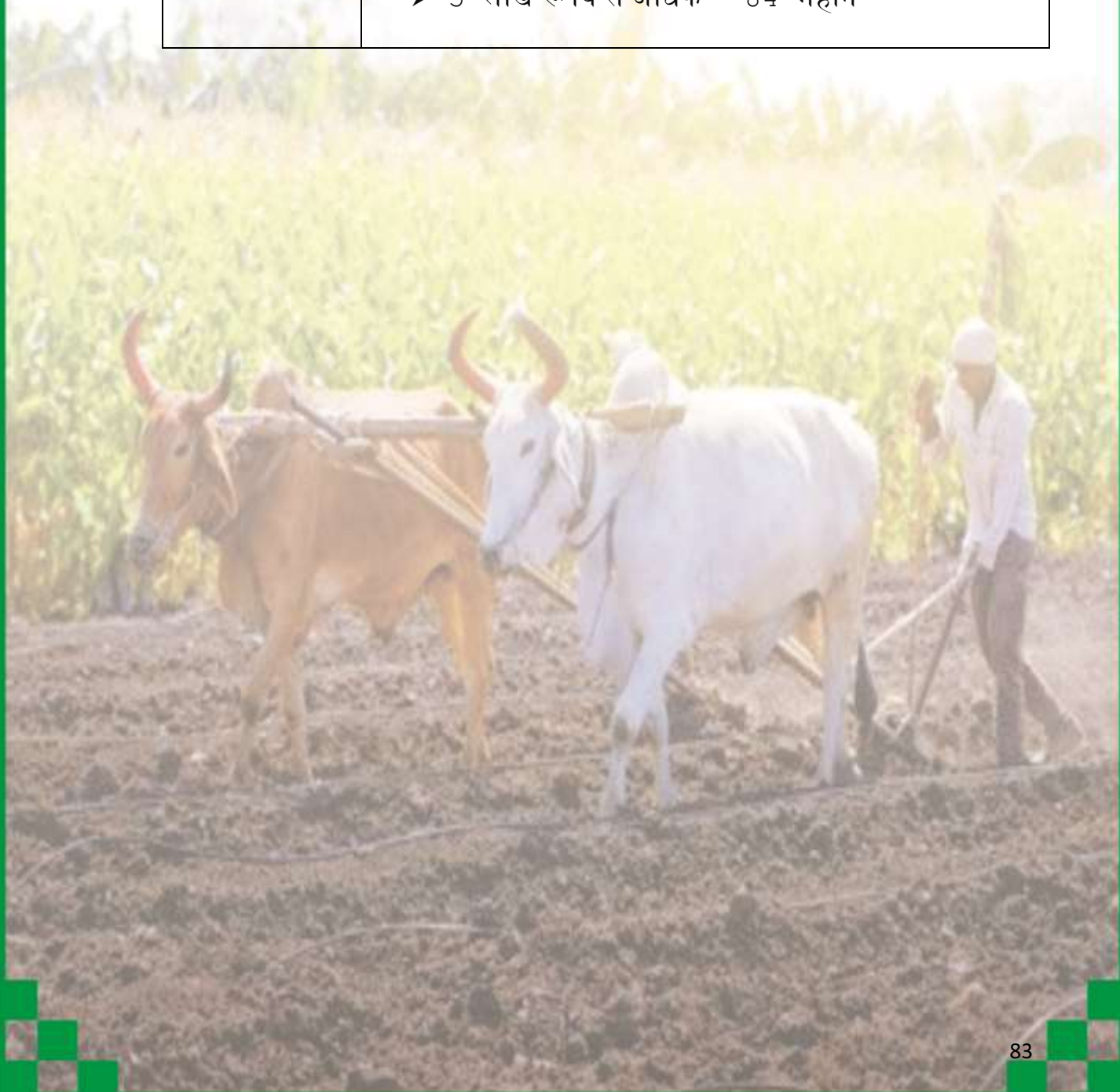

27.सेंट विश्वास योजना

ऋण का उद्देश्य	➢ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों के माध्यम से ऋण प्राप्त करने वाले पात्र स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) / व्यक्तिगत लाभार्थियों को कम ब्याज दर का प्रत्यक्ष लाभ प्रदान करना
पात्रता	➢ एनआरएलएम/एनयूएलएम या नाबार्ड के साथ पंजीकृत (एसएचजी) /व्यक्तिगत लाभार्थियों को कम ब्याज दर का प्रत्यक्ष लाभ प्रदान करना
सुविधा का प्रकार	➢ मियादी ऋण /नकद साख
ऋण की प्रमात्रा	➢ एसएचजी के लिये अधिकतम रू. 4.00 लाख व्यक्तियों के लिये अधिकतम रू. 2.00 लाख
मार्जिन	➢ शून्य
प्रतिभूति	➢ प्राथमिक प्रतिभूति बैंक वित्त से सृजित आस्तियों का दृष्टिबंधक ➢ संपार्श्विक – शून्य
ब्याज दर	➢ रू. 300000/ तक – एमसीएलआर रू. 3.00 लाख से उपर 1.35+ 4.00 लाख तक एमसीएलआर 2.50%
ब्याज में छूट	➢ एनअीएफडीसी/एनएसएफडीसी से अधिकतम 5 वर्ष तक की ऋण अवधि के लिये 5%
प्रक्रिया शुल्क	➢ उत्पादन हेतु ऋण के लिये शून्य ➢ उत्पादन ऋण के अलावा रू. 25000/- तक शून्य ➢ रू. 25000/- से अधिक – रू. 120/-प्रति लाख अथवा उसका भाग के लिये

दस्तावेजीकरण शुल्क	➢ उत्पादन ऋण के लिये शून्य
प्रभार	➢ निवेश ऋण के लिये ➢ रू. 2 लाख तक- शून्य ➢ रू. 2 लाख से अधिक – 50 रूपये / लाख रूपये अधिकतम 1000/
पुनर्भुगतान	➢ नकद साख सीमा – 5 साल के लिये है जिसे प्रति वर्ष नवीनीकरण किया जाना है सावधि ऋण – अधिकतम 5 वर्ष (अधिकतम 3 महीने की छूट सहित)

28.सेंट पीएमएफएमई योजना

ऋण का उद्देश्य	➢ सक्षम करने के लिये सूक्ष्म उद्यम की क्षमता का निर्माण करने के लिये 1. मौजूदा सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमियों, एफपीओ, एसएचजी और सहकारी समितियों दवारा ऋण तक पहुंच में वृद्धि 2. ब्रांडिग और मार्केटिंग को मजबूत करके संगठित आपूर्ति श्रृखला के साथ एकीकरण 3. मौजूदा उद्यमों के औपचारिक ढांचे में परिवर्तन के लिये समर्थन 4. सामान्य प्रसंस्करण सुविधा, प्रयोगशालाओं भंडारण पैकेजिंग विपणन और उष्मायन सेवाओं जैसी सामान्य सेवाओं तक पहुंच बढाना 5. खाद्य प्रसंस्काण क्षेत्र में संस्थानों अनुसंधान और प्रशिक्षण का सुदृढीकरण 6. व्यावसायिक और तकनीकी सहायता के लिये उद्यमी के लिये बढी हुई पहुंच
पात्र संस्थाएं	➢ व्यक्तिगत सूक्ष्म उद्यम, किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) /उत्पादक सहकारी समितियां और एसएचजी
सुविधा की प्रकृति	➢ प्राप्तियों के बदले सावधि ऋण /नकद ऋण / ओडीबुक ऋण गैर- निधि आधारित (एनएफबी) सीमाएं – बैंक गारंटी (बीजी)
मार्जिन	➢ न्यूनतम 10 प्रतिशत
ब्याज दर	➢ आरबीएलआर +2 %
प्रसंस्करण शुल्क	➢ 25000/- रूपये तक – शून्य ➢ रू. 2 लाख से रू. 25 लाख रू. 50/प्रति लाख या उसका भाग अधिकतम रू.1000 ➢ रू. 25 लाख से रू. 50 लाख रू. 75/प्रति लाख अथवा एसका भाग अधिकतम रू. 3000/ ➢ रू. 50 लाख से रू. 1 करोड रू. 100/ प्रति लाख या एसके भाग अधिकतम रू. 7500/ ➢ रू. 1 करोड से रू. 100 करोड रू.100/ प्रति लाख या उसका भाग अधिकतम रू.1500/

पुनर्भुगतान	➢ सीसी/ ओडी हर साल नवीनीकृत किया जाना है.
	➢ सावधि ऋण – अधिकतम 6 वर्ष (अधिकतम 6 महीने की अवधि सहित)

29. दीनदयाल अंत्योदय योजना-एनआरएलएम

दीनदयाल अंत्योदय योजना का उद्देश्य कौशल विकास और अन्य उपायों के माध्यम से आजीविका के अवसरों में वृद्धि कर शहरी और ग्रामीण गरीबी को कम करना. मेक इन इंडिया, कार्यक्रम के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुये सामाजिक तथा आर्थिक बेहतरी के लिये कौशल विकास आवश्यक है. दीनदयाल अंत्योदय योजना को आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय के तहत शुरू किया गया था. भारत सरकार ने इस योजना के लिये 500 करोड रूपये का प्रावधान किया गया है.

यह योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन और राष्ट्रीय ग्रमीण आजीविका मिशन का एकीकरण है.

दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के घटक

इस योजना में दो घटक है एक ग्रामीण भारत के लिये दूसरी शहरी भारत के लिये

- दीनदयाल अंत्योदय योजना के रूप में नामित शहरी घटक को आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय दवारा लागू किया जाएगा.
- दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना के रूप में नामित ग्रामीण घटक को ग्रामीण विकास मंत्रालय दवारा लागू किया जाएगा.

योजना की मुख्य विशेषताएं

1. कौशल प्रशिक्षण और स्थापन के माध्यम से रोजगार – मिशन के तहत शहरी गरीबों को प्रशिक्षित कर कुशल बनाने के लिये 15 हजार रूपये का प्रावधान किया गया है.
2. सामाजिक एकजुटता और संस्था विकास – इसे सदस्यों के प्रशिक्षण के लिये स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) के गठन के माध्यम से किया जाएगा. जिसमें प्रत्येक समूह को 10000 रूपये का प्रारंभिक समर्थन दिया जाता है. पंजीकृत क्षेत्रों के स्तर महासंघों को 50000 रूपये सहायता प्रदान की जाती है.
3. शहरी गरीबी सब्सिडी – सूक्ष्म उघोगों और समूह उद्यमों की स्थापना के जरिये स्व-रोजगार को बढावा दिया जाएगा. इसमें व्यक्तिगत परियोजनाओं के लिये 2 लाख रूपयों की ब्याज सब्सिडी और समूह उद्यमों पर 10 लाख रूपयों की ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाएंगी.

4. शहरी निराश्रय के लिये आश्रय – शहरी बेघरों के लिये आश्रयों के निर्माण की लागत योजना के तहत पूरी तरह से वित्त पोषित है.
5. अन्य साधन – बुनियादी ढांचे की स्थापना के माध्यम से विक्रेताओं के लिये व्रिकेता बाजार का विकास और कौशल को बढावा और कूडा उठाने वालों और विकलांगजनों आदि के लिये विशेष परियोजनाएं .
6. कौशल प्रशिक्षण और स्थापन के माध्यम से रोजगार – मिशन के तहत शहरी गरीबों को प्रशिक्षित कर कुशल बनाने के लिये 15 हजार रूपये का प्रावधान किया गया है.
7. सामाजिक एकजुटता और संस्था विकास – इसे सदस्यों के प्रशिक्षण के लिये स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) के गठन के माध्यम से किया जाएगा. जिसमें प्रत्येक समूह को 10000 रूपये का प्रारंभिक समर्थन दिया जाता है. पंजीकृत क्षेत्रों के स्तर महासंघों को 50000 रूपये सहायता प्रदान की जाती है.

दीनदयाल अंत्योदय योजना के लाभ

- देश के नागरिक को स्वतंत्र एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिये सरकार दवारा दीनदयाल अंन्तयोदय योजना का शुभारंभ किया गया था.
- यह योजना शहरी गरीबी को दूर करने करने में कारगार साबित होगी.
- इस योजना के माध्यम से लाभार्थियों को रोजगार प्राप्त करने के लिये प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा.
- इसके अलावा स्ट्रीट वेंडर को वित्तीय सहायता एवं बेघर लोंगों को स्थाई आश्रय भी प्रदान किया जाएगा.
- यह योजना शहरी गरीबी को घटाने में बहुत लाभकारी साबित होगी.
- इस योजना स्वयं सहायता हेल्थ समूह के सदस्य को एवं उनके परिवारों के जीवन स्तर में भी सुधार लाने में कारगर साबित होगी.

राष्ट्रीय आजीविका मिशन 2021 के मुख्य तथ्य

- इस योजना के अंतर्गत देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के सडक विक्रेताओं की आजीविका सबंधी समस्याओं को देखते हुये उनकी उभरती बाजार के अवसरों तक पहुंच को सुनिश्चित करने के लिये उपयुक्त जगह,संस्थागत ऋण और सामाजिक सुरक्षा और कौशल विकास प्रदान करना.
- राष्ट्रीय आजीविका मिशन 2021 के तहत गरीब नागरिकों के लिये रोजगार के अवसर उत्पन्न करना है..
- इस योजना के तहत ट्रेनिग के तहत युवाओं को कुशल बनाकर आय में बढोत्तरी करना है.
- भारत सरकार दवारा इस योजना के लिये 500 करोड रूपये का प्रावधान रखा है.
- इस योजना के तहत बेघर नागरिकों को रहने के लिये घर का इंतजाम कराना है.
- दीनदयाल अंत्योदय योजना के 2021 के तहत प्लेसमेंट तथा कौशल ट्रेनिंग के जरिये से रोजगार के अंतर्गत सभी शहरियों को ट्रेनिंग के लिये 15 हजार रूपये की राशि निवेश के लिये दी जाती है.
- सरकार की तरफ से प्रत्येक समूह को 10000 स्पये का प्रारंभिक समर्थन दिया जायेगा और पंजीकृत क्षेत्रों के स्तर महासंघों को 50000 रूपये की सहायता प्रदान की जायेगी .
- दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन महिला स्वयं सहायता समूहों को ब्याज भुगतान में आर्थिक सहायता उपलब्ध कराता है.

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की प्रमुख विशेषतायें

- कृषि आजीविका को प्रोत्साहन
- गैर-कृषि आजीविका को प्रोत्साहन
- ग्रामीण हाट की स्थापना
- औपचारिक वित्तीय संस्थान तक ग्रामीण गरीबों कर पहुंच सुनिश्चित करना
- ग्रामीण स्वयं रोजगार प्रशिक्षण संस्थान

दीनदयाल योजना 2021 की दस्तावेज (पात्रता)

- आवेदक भारतीय निवासी होना चाहिये
- आवेदक गरीब होना चाहिये

- ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों के ही गरीब लोग इस योजना के अंतर्गत शामिल हो सकते है.
- आधार कार्ड
- पहचान पत्र्
- निवास प्रमाण पत्र
- वोटर आइ्डी कार्ड
- मोबाईल नंबर
- पासपोर्ट साइज

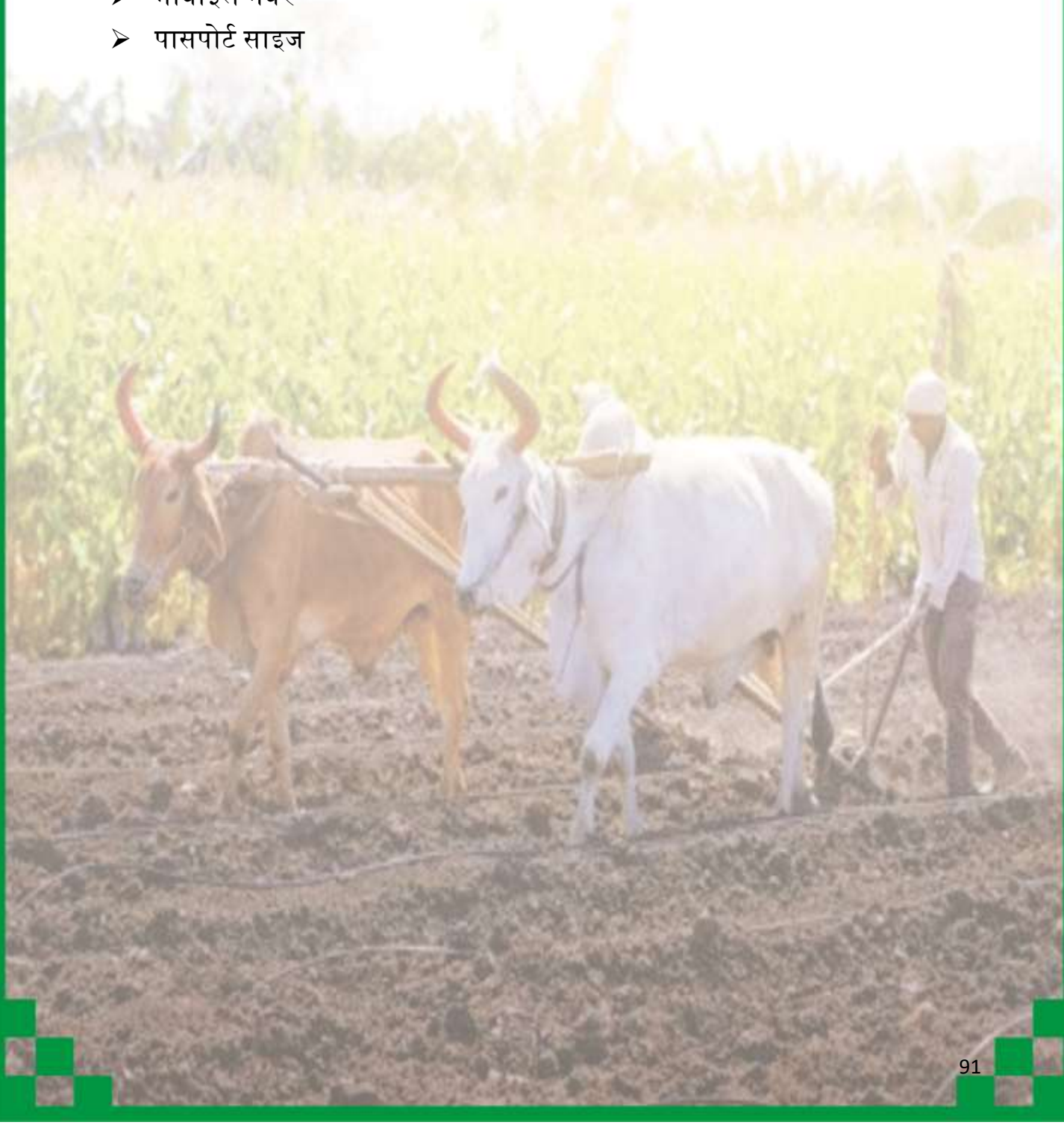

30.सेन्ट कम्प्रेसेड बॉयो गैस

उद्देश्य	इस योजना का उद्देश्य नए कम्प्रेसेड बॉयो गैस संयंत्रों की स्थापना और मौजूदा बायो गैस संयंत्रो के उन्नयन के लिए वित्त प्रदान करना है.
सुविधा का प्रकार	1. मियादी ऋण 2. नगद साख/ओडीबीडी 3. गैर निधि आधारित सीमा (एनएफबी लिमिट) क. बैंक गारंटी (बीजी) साख पत्र (लेटर ऑफ क्रेडिट एलसी)
वित्त की प्रमात्रा	अधिकतम रूपये 100.00करोड़ प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत विचार किया जायेगा. रूपये 100.00करोड से ऊपर के अग्रिम गैर प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत/कॉपोरेट अग्रिम के अंतर्गत विचार किया जायेगा.
पुर्नभुगतान कार्यशील पूंजी	अधिकतम अवधि 12 माह – वार्षिक नवीनीकरण मासिक/त्रैमासिक किश्तों में 6 माह से 2 साल मॉनोटोरियम अवधि के साथ अधिकतम 12 माह
मार्जिन	न्यूनतम 25 प्रतिशत
ब्याज दर	रूपये 100.00लाख तक – एमसीएलआर प्लस 1.35 % रूपये 100.00 से अधिक- क्रेडिट रेटिंग के आधार पर ब्याज दर केका परिपत्र CO/CRE/POLCY/2019-20/285 DT 30.09.2019 के अनुसार
संपार्श्विक प्रतिभूति	कम से कम 50 प्रतिशत संपार्श्विक प्रतिभूति प्राप्त किया जाना चाहिए जहॉ फारर्वड तथा बैकवर्ड लिंकेज हो अन्य मामले में 100प्रतिशत संपार्श्विक प्रतिभूति ली जाना चाहिए.
प्रसंस्करण प्रभार	सर्विस चार्ज अनुदेश परिपत्र संख्या 2751 दिनांक 28.07.2021 तथा समय समय पर संशोधित के अनुसार

31.सेन्ट कृषि विपणन आधारभूत संरचना (ए . एम . आई .) योजना

उद्देश्य	नवीनतम प्रौद्योगिकियों के साथ विपणन अवसंरचना के निर्माण के लिए वित्त प्रदान करना, कृषि उत्पादों की ग्रेडिंग, मानकीकरण और गुणवत्ता प्रमाणन की सुविधाएं और कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के विपणन योग्य आधिक्य (सरप्लस) के प्रभावी प्रबंधन के लिए वैज्ञानिक भंडारण क्षमता का निर्माण .
पात्रता	व्यक्ति, किसानों/उत्पादकों का समूह, पंजीकृत किसान उत्पादक संगठन, मालिकाना, साझेदारी, कंपनियां, निगम, गैर सरकारी संगठन, एसएचजी, सहकारिता आदि. ऐसी गतिविधियां जो प्राथमिक प्रसंस्करण तक भंडारण या अन्य विपणन अवसंरचना की प्रकृति में हों, कवर की जाएं .
वित्त की प्रमात्रा	न्यूनतम 50% और परियोजना लागत का अधिकतम 80% सहितअनुदान.
निर्माण	इंजीनियरिंग विचारों पर संरचनात्मक रूप से मजबूत होना और कृषि वस्तुओं को संग्रहीत करने के लिए कार्यात्मक रूप से उपयुक्त होना. इसे एनडब्ल्यूआरएस के अनुसार तकनीकी विशिष्टताओं का अनुपालन करना चाहिए. आवश्यक लाइसेंस प्राप्त किए जाएंगे. परियोजना को पूरा करने के लिए समय सीमा का पालन किया जाए.
मार्जिन	परियोजना लागत का न्यूनतम 20% और अधिकतम 50%
अनुदान	गोदाम के स्थान के आधार तथा कृषक के संघटन पर 15% से 33.33% तक नाबार्ड के दिशा-निर्देशों के अनुसार.
ब्याजदर	जैसा कृषि अग्रिमों पर लागू
प्रतिभूति	परियोजना की भूमि पर EM/चार्ज और बैंक द्वारा वित्त पोषित अन्य परिसंपत्तियॉं
वर्गीकरण	प्रत्यक्ष कृषि ऋण में वर्गीकृत किया जाये

32.सेन्ट पशुपालन आधारभूत योजना

उद्देश्य	भारत सरकार के मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय, पशुपालन एवं डेयरी विभाग ने व्यक्तिगत उद्यमियों, निजी कंपनियों, एमएसएमई, कृषक उत्पादक संगठनों (एफपीओ) और धारा 8 कंपनियों द्वारा निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए "पशुपालन अवसंरचना विकास कोष (AHIDF) के लिए कार्यान्वयन दिशानिर्देश परिचालित किए हैं.
ब्याज अनुदान	सभी पात्र /उधारकर्ताओं के लिए 3.00% (ऋण सीमा की बाध्यता बगैर)
मार्जिन	सूक्ष्म, लघु इकाइयों और मध्यम उद्यमों के मामले में लाभार्थी योगदान, एमएसएमई परिभाषित सीमा के अनुसार. सूक्ष्म और लघु उद्यम 10%, मध्यम उद्यम 15% और अन्य के लिए 25%
पुर्नभुगतान	अधिकतम 8 वर्ष जिसमें अधिकतम 2 वर्ष की स्थगन अवधि शामिल है.
ब्याज दर	आरबीएलआर + 2% जिन हितग्राहियों की परियोजना लागत एमएसएमई सीमा में परिभाषित सीमा में है. अन्य के लिए खातों की रेटिंग के अनुसार .
संपार्श्विक प्रतिभूति	माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज के लिए परिभाषित एमएसएमई सीमा में, कोई संपार्श्विक प्रतिभूतियों की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अग्रिम क्रेडिट गारंटी फंड के तहत कवर किया जाएगा . एमएसएमई सीमा से अधिक अग्रिम पर सीमा का 150%, संपार्श्विक प्रतिभूतियों की आवश्यकता होती है.
गारंटी कवर	अग्रिम केवल उन परियोजनाओं के लिए क्रेडिट गारंटी के तहत कवर किया जाएगा जो व्यवहार्य हैं और एमएसएमई परिभाषित सीमा के तहत कवर किए जाते हैं और गारंटी कवरेज उधारकर्ता को उपलब्ध क्रेडिट सुविधा का 25% तक होगा.

33.सेन्ट इस्टेट परचेस स्कीम

उद्देश्य	पारंपरिक बागान फसलों जैसे कॉफी, चाय, रबर, इलायची, काजू, काली मिर्च, नारियल और अन्य बारहमासी बाग फसलों को उगाने वाली संपदा क्रय किया जाना.
पात्रता	मौजूदा ग्राहक जिनका पिछला लेन–देन संतोषप्रद रहा है– उपज संपदा होने और प्रस्तावित संपदा का पुर्नजीवन करने की स्थिति में खरीदा जाना है मजबूत वित्तीय के साथ दिशा में अनुभवी और संबंधित राज्य अर्हता प्राप्त सरकारी मानदंडों के अनुरूप कृषक संपत्ति अधिमानतः एक उपेक्षित होना चाहिए.
मार्जिन	शाखा द्वारा मूल्यांकन की गई संपत्ति के खरीद विचार या बाजार मूल्य का 50% जो भी अधिक है, अगले उच्चाधिकारी द्वारा 40% तक स्वीकार किया जा सकता है .
पुर्नभुगतान	पुनर्भुगतान: स्थगन अवधि सहित 7-9 वर्षों . आवश्यक पुर्नजीवन करने के आधार पर इसे 15 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है
ब्याज दर सेवा प्रभार	कृषि अग्रिमों पर लागू अनुसार
संवितरण	उधारकर्ता से मार्जिन वसूलने के बाद सीधे विक्रेता को
संपार्श्विक प्रतिभूति	स्वामित्व वाली सम्पत्ति का प्रभार या मार्गटेज के माध्यम से बंधक अधिमानतः आवासीय संपत्ति प्रस्तावित ऋण राशि का 200% से कम मूल्य नहीं

34. सेंट मत्स्य योजना

उद्देश्य	परंपरागत एवं वाणिज्यिक मस्त्य पालन गतिविधियों हेतु वित्त उपलब्ध कराना
पात्रता	परंपरागत मछली पालक, शिक्षित व्यक्ति/व्यक्तियों का समूह, फर्म इत्यादि
सुविधा	सावधि ऋण/नगद साख
ऋण की प्रमात्रा	प्रोजेक्ट लागत के आधार पर
मार्जिन	रू. एक लाख तक – निरंक रू. एक लाख से पांच लाख तक – बीस प्रतिशत रू. पांच लाख से अधिक – पच्चीस प्रतिशत
पुनर्भुगतान अवधि	सावधि ऋण – छह से नौ वर्ष मोरेटिरयम अवधि को सम्मिलित करते हुए नगद साख – फसल कटाई अवधि के अनुसार
प्रतिभूति	प्राथमिक – बैंक वित्त से निर्मित संपत्तियां संपार्श्विक – रू. एक लाख से अधिक
दस्तावेजीकरण	नियमों के अनुसार
ब्याज	रेटिंग के अनुसार परिवर्तनीय
सेवा प्रभार	कृषि अग्रिमों में लागू दर अनुसार
बीमा	बैंक वित्त से निर्मित संपत्ति
वर्गीकरण	कृषि फार्म क्रेडिट

35. सेंट फलेक्सी कृषि व्यवसाय ऋण योजना

उद्देश्य	कृषि गतिविधियों में लगे हुए व्यक्तिगत, पार्टनरशिप फर्म, कारपोरेटे सोसायटी, एफपीओ एवं कंपनियां को वित्त सुविधा उपलब्ध कराना
वित्त प्रमात्रा	न्यूनतम ऋण सीमा – दो लाख अधिकतम ऋण सीमा – एक हजार लाख
ऋण दशाएं	ग्रामीण क्षेत्र की संपत्ति को प्रतिभूति रूप में रखने पर रू.पचास लाख से अधिक ऋण की पात्रता नहीं होगी. नई यूनिट/वे यूनिट जो एक वर्ष से परिचालित हो रहीं हों, अधिकतम ऋण सीमा रू. एक करोड होगी. एक वर्ष से अधिक एवं तीन वर्ष तक की यूनिट को अधिकतम ऋण सीमा रू. दो करोड हो
ऋण सुविधा प्रकार	अधिविकर्ष सुविधा, पीक लेवल अधिविकर्ष, सावधि ऋण और ओपन सावधि ऋण सुविधा
ब्याज दर	रू. 100 लाख तक – केन्द्रीय कार्यालय परिपत्र क्र. 2313 दिनांक 23.04.2020 के अनुसार
ऋण की मात्रा	सावधि ऋण के अंतर्गत अधिकतम रू. 05.00 करोड अधिविकर्ष सुविधा – टर्नओवर लागत सीमा के आधार पर पीक लेवल अधिविकर्ष सीमा – वर्तमान वर्ष टर्नओवर लागत सीमा के आधार पर ओपन सावधि ऋण सीमा – अधिकतम रू.पचास लाख उक्त सभी सुविधाओं को मिलाकर अधिकतम ऋण सीमा रू. दस करोड होगी.

36. सेंट फूड प्रोसेसिंग प्लस योजना – राईस मिल्स

सुविधा प्रकार	कार्यशील पूंजी के रूप में सावधि ऋण पैंकिजिंग क्रेडिट गैर निधि आधारित सीमा एल/सी एवं एल/जी
ऋण सीमा	अधिकतम रू. सौ करोड
पुनर्भुगतान	कार्यशील पूंजी अधिकतम अवधि – बारह माह – वार्षिक नवीनीकरण सावधि ऋण – डोर टू डोर अवधि – सात वर्ष इसमें मोरेटियम अवधि सम्मिलित है जो कि अधिकतम बारह माह तक होगी.
मार्जिन	निधि आधारित – बीस प्रतिशत गैर निधि आधारित – दस से बीस प्रतिशत
ब्याज दर	निधि आधारित कार्यशील पूंजी एवं सावधि ऋण रू. 100 लाख तक राशि एमसीएलआर + रू. तीन लाख तक 1.00 रू. तीन लाख से दस लाख तक 1.15 रू. दस लाख से सौ लाख तक 1.25
वर्गीकरण	प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम
स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी	संबंधित ऋण अधिकारियों के अंतर्गत प्रत्यायोजन

37. सेन्ट एफपीओ ऋण योजना

उद्देश्य	अर्थव्यवस्था में आ रहे परिवर्तनों के दौर में कृषकों को उनकी उचित कृषि आय दिलाने हेतु एफपीओ के रूप में संगठन को आवश्यक वित्त सुविधा उपलब्ध कराना
पात्र हितग्राही	कृषक उत्पादक संगठन/कृषक उत्पादक समितियां
सुविधा का प्रकार	सावधि ऋण/नगद साख/अधिविकर्ष गैर निधि आधारित सीमा – बैंक गारंटी
मार्जिन	सावधि ऋण/सीसी/बीजी – 35 प्रतिशत अधिविकर्ष सुविधा – 40 प्रतिशत
ब्याज दर	फार्म क्रेडिट हेतु लागू दर अनुसार रू. तीन लाख तक – एमसीएलआर रू. तीन लाख से दस लाख तक – एमसीएलआर रू. दस लाख से सौ लाख तक – रू. सौ लाख से अधिक –
पुनर्भुगतान	नगदसाख/अधिविकर्ष सुविधा – हर वर्ष नवीनीकरण सावधि ऋण – अधिकतम आठ वर्ष
प्रतिभूति	प्राथमिक प्रतिभूति – स्टॉक बंधक/प्लांट एवं मशीनरी बंधक संपार्श्विक प्रतिभूति – निरंक
वितरण	एनसीडीसी/नाबार्ड से अनुमोदन के बाद

38. सेन्ट यूपीआई पंजीकरण हेतु प्रक्रिया

- इमेज को स्केन करें एवं हमारे भीम सेन्ट यूपीआई एप्प को प्ले स्टोर से डाऊनलोड करें (गूगल एवं एप्पल)
- शर्तो एवं दशाओं को पढने के बाद स्वीकार पर क्लिक करें
- आपके पंजीकृत मोबाईल क्रमांक को डालें एवं आगे पर क्लिक करें
- एप्लीकेशन पासवर्ड के रूप में किसी चार अंकों का चयन करें
- भुगतान पता–संदेश में जोडने आता हे फिर ओके को चयनित करें
- आपके भुगतान पता को टाईप करें जैसे `ravi1234@central bank`
- उस बैंक का चयन करें जहां आपके लिंक खाते को मेन्टेन किया गया है
- चयनित खाते को लिंक करें.
- नेक्स्ट को क्लिक करें एवं डेबिट कार्ड विवरण डालें
- आपके पंजीकृत मोबाईल पर आये ओटीपी को डालें.
- ट्रांजेक्शन पासवर्ड हेतु एमपिन को सेट करें एवं सबमिट पर क्लिक करें
- लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड के माध्मय से लॉगिन करें.

उपसंहार

देश के विकास और प्रगति में कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र का महत्त्वपूर्ण योगदान है. देश का आर्थिक व सामाजिक ढाँचा इसी पर टिका है. कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था की आधारशिला है, यह न केवल देश की दो-तिहाई आबादी की रोजी-रोटी एवं आजीविका का प्रमुख साधन हैं, बल्कि हमारी संस्कृति, सभ्यता और जीवन-शैली का आईना भी हैं.

कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदण्ड है. जहां एक ओर यह प्रमुख रोजगार प्रदाता क्षेत्र है. वहीं सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में इसका महत्वपूर्ण योगदान है. वस्तुतः ये तथ्य भारत को विकासशील देशों में शामिल करते विकसित राष्ट्रों में जहां सकल घरेलू उत्पाद में कृषि की भागीदारी का प्रतिशत कम होता है वहीं वहां की अपेक्षाकृत कम जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न होती है. उदाहरणार्थ ब्रिटेन व अमेरिका की राष्ट्रीय आय में कृषि की भागीदारी क्रमशः 2 तथा 3 प्रतिशत है. कृषि के माध्यम से खाद्यान्न तो उपलब्ध होता ही है, साथ ही अनेक प्रमुख उद्योगों के लिए कच्चा माल भी उपलब्ध होता है (सूती वस्त्र उद्योग, जूट उद्योग, चीनी उद्योग, चाय उद्योग, सिगरेट उद्योग और तम्बाकू उद्योग, आदि). कृषि राष्ट्रीय आय का एक प्रधान स्रोत है. कृषिजन्य उत्पाद व्यापार (राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय) का एक अभिन्न एवं प्रमुख हिस्सा है. भारत द्वारा चाय, कपास, तिलहन, मसाला, तम्बाकू आदि का विश्व-व्यापार होता है. कृषिजन्य उत्पादों के आंतरिक व्यापार से परिवहन कर और अंतरराष्ट्रीय व्यापार से तटकर की आय में वृद्धि होती है, जो अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के लिए नितांत आवश्यक है. कृषि संपूर्ण राष्ट्र को प्रभावित करती है. कृषि-उत्पादन मुद्रास्फीति दर पर अंकुश रखता है, उद्योगों की शक्ति प्रदान करता है, कृषक आय में वृद्धि करता है तथा रोजगार प्रदान करता है. कृषि का आर्थिक महत्व के साथ-साथ सामाजिक महत्व भी है. यह क्षेत्र निर्धनता उन्मूलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है क्योंकि इस क्षेत्र में अधिकांश निर्धन लोग ही कार्यरत हैं और यदि कृषि क्षेत्र का विकास होगा तो निर्धनता भी स्वतः समाप्त हो जायेगी.

आज, भारत खाद्यान्न में आत्मनिर्भर है, हालांकि बढ़ती जनसंख्या की खाद्यान्न जरूरतों को पूरा करने का दबाव भी भारत पर निरंतर बढ़ता जा रहा है. अंतरराष्ट्रीय पटल पर, विश्व में भारतीय कृषि के लिए, भविष्य में निहितार्थ रखेगा. भारत किस प्रकार इन चुनौतियों से निपटेगा, यह देखा जाना शेष है.

स्वतंत्रता प्राप्ति के दशकों बाद कृषि का उत्पादन कई गुणा बढ़ चुका है. किंतु भारतीय कृषि में व्याप्त कुछ कारक इसके संतुलित विकास व वृद्धि में अवरोधक हैं. अभी भी भारत में प्रतिहेक्टेयर भूमि में उत्पादन का स्तर बहुत ही न्यून है. कृषि के विकास के लिए नयी

तकनीक, मशीनरी तथा नव-विकसित बीजों को अपनाकर यदि कृषि के क्षेत्र में कदम बढ़ाया जाए, तो हम विश्व के प्रमुख देशों के उत्पादन-स्तर से अधिक हासिल कर सकते हैं. कृषि को उद्योग का दर्जा देना नितांत आवश्यक है. भारत में अधिकांश कृषि क्षेत्र अल्प-वर्षा वाले हैं और वहां सिंचाई की सुविधा भी बहुत ही सीमित है. बहुत-से क्षेत्र बाढ़ और सूखा जैसी प्राकृतिक आपदा से त्रस्त हैं. यहां मिट्टी का वितरण भी विभिन्न क्षेत्रों में असमान ही है, इसलिए विभिन्न प्रकार की फसलें उत्पादित होती हैं.

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भारत सरकार द्वारा किसानों के हित में बनाई गई सभी योजनाओं के लाभ किसानों तक पहुंचाने के लिए कृत संकल्पित है. 110 वर्षों से अधिक समय से समाजसेवी बैंकिंग में यह संस्था हमेशा अग्रणी रही है. बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पश्चात बैंकों ने जिस तेजी से क्रषि बैंकिंग के क्षेत्र में कार्य किया है उसकी पूरी दुनिया में तारीफ हुई है. सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की लगभग 60% शाखाएं ग्रामीण क्षेत्र में हैं. इन शाखाओं की मदद से हम किसानों की कृषि सम्बन्धी वित्त की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं.

- **इस बुकलेट के माध्यम से हम बैंक की कृषि सम्बन्धी योजनाओं की जानकारी राजभाषा हिंदी में दे रहे हैं ताकि आम आदमी भी भारत सरकार की योजनाओं को समझ सकें एवं इसका लाभ ले सके.**
- हम योजनाओं को ग्राहकों तक पहुँचाने का माध्यम है और उपभोक्ता बैंक के माध्यम से सरकार की योजनाओं का लाभ ले रहे हैं. बैकिंग की मदद से ग्रामीण क्षेत्र में जो विकास हो रहा है उससे देश के आर्थिक विकास में बेहतर वृद्धि हो रही है और निश्चित ही भारत में कृषक, कृषि और कृषि बैंकिंग का भविष्य बहुत उज्ज्वल है

****